राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– अराजपत्रित/भर्ती प्रकोष्ठ/एफ–1463/2024/425 दिनांकः–02.09.2024

निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान,
जयपुर।

विषयः– महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती–2023 में प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण बाबत्।
सन्दर्भः– आपका पत्र क्रमांक 7233–36 दिनांक 16.08.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों की प्रक्रियाधीन भर्ती के संबंध में परिवेदना निस्तारण समिति की बैठक संयुक्त शासन सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 21.08.2024 को आयोजित की गई थी, जिसका बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न कर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्न उपरोक्तानुसार

2/9/24
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर
2/9/24

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर

–:बैठक कार्यवाही विवरण:–

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2023 बाबत राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 19.05.2023 के संदर्भ में ऑनलाइन आवेदन पत्रों के दस्तावेज सत्यापन उपरान्त भर्ती एजेंसी द्वारा तैयार की गई अंतरिम वरीयता सूची 06.10.2023 का प्रकाशन किया जाकर ऑनलाईन परिवेदनाऐं आमंत्रित की गई। जिसके क्रम में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 7233–36 दिनांक 16.08.2024 के द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की कुल 721 परिवेदनाऐं (डुप्लीकेट परिवेदनाओं को गणना में सम्मिलित करते हुये) निदेशालय को निस्तारण हेतु प्राप्त हुई हैं, जिनके निस्तारण हेतु संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की अध्यक्षता में गठित परिवेदना निस्तारण समिति की बैठक दिनांक 21.08.2024 को दोपहर 03:00 बजे राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (शिफ्), जयपुर में आयोजित की गई जिसमें निम्नांकित अधिकारियों ने भाग लिया:–

1	रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर	सदस्य
2	निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर	सदस्य सचिव
3	निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर	सदस्य
4	रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर	सदस्य
5	संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित), मुख्यालय	सदस्य
6	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), मुख्यालय	सदस्य
7	रजिस्ट्रार, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर	सदस्य
8	उप विधि परामर्शी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय	सदस्य
9	उप विधि परामर्शी, मुख्यालय	सदस्य

बैठक में प्राप्त ऑनलाइन परिवेदनाओं पर चर्चा कर एवं सम्बन्धित दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

क्र. स.	अभ्यर्थी का नाम	आवेदन आईडी क्रमांक	परिवेदना का विवरण	वस्तुपरक टिप्पणी	परिवेदना समिति का निर्णय
1	SUSHILA KUMARI	HWN100604	कोई परिवेदना संलग्न नहीं है, केवल दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थिया विच्छिन्न विवाह में वर्ग में दिनांक 16.09.2023 को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था किन्तु तत्समय अभ्यर्थिया द्वारा उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया गया। अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया गया था। नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 5.4.2024.में लिये गये निर्णय के अनुसार अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अब कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता। अतः परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
2	KUMARI SEEMA	HWN129511	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की तबीयत खराब होने के कारण दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित नहीं हो सकी। अतः पुनः दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाने हेतु	अभ्यर्थिया द्वारा दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहने के कारण पुनः अवसर प्रदान करने हेतु निवेदन किया हैं । तत्समय अभ्यर्थिया द्वारा उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया गया। अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया गया था। नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 5.4.2024.में लिये गये निर्णय के अनुसार	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			परिवेदना प्रस्तुत की है।	अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अब कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता। अतः परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
3	MUKESH	HWN115941	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर दिनांक 14.09.2023 को दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाने का उल्लेख कर पुनः दस्तावेज सत्यापन करवाने हेतु शिथिलता प्रदान कर हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहने के कारण पुनः अवसर प्रदान करने हेतु निवेदन किया हैं । तत्समय अभ्यर्थिया द्वारा उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया गया। अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया गया था। नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 5.4.2024.में लिये गये निर्णय के अनुसार अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अब कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता। अतः परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
4	NIRMALA KATARA	HWN120838	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया टीएसपी एसटी महिला है। अभ्यर्थिया के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 67.7 प्रतिशत है। जबकि अभ्यर्थिया का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है। अभ्यर्थिया कोविड स्वास्थ्य सहायक एवं वर्तमान में यूटीबी में प्रसाविका के पद पर कार्यरत है। अतः अभ्यर्थिया ने स्वंय का नाम विभिन्न कारणो से रोके गये परिणाम में सम्मिलित कर सीट रिजर्व रखने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया को दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक 14.9.2023 को आमंत्रित किया गया था। जिसमें वह अनुपस्थित रही है। अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया गया था। नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 5.4.2024.में लिये गये निर्णय के अनुसार अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अब कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता। अतः परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
5	NIKITA SHARMA	HWN122399	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि अभ्यर्थिया को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित होने वाले अभ्यर्थियों की द्वितीय सूची में क्रम संख्या 204 पर आमंत्रित किया गया था किन्तु अभ्यर्थिया की तबीयत खराब होने के कारण अभ्यर्थिया तत्समय उपस्थित नहीं हो पायी। अतः दस्तावेज सत्यापन हेतु एक और अवसर प्रदान किये जाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहने के कारण पुनः अवसर प्रदान करने हेतु निवेदन किया हैं अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया गया था। नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 5.4.2024.में लिये गये निर्णय के अनुसार अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अब कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता। अतः परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
6	ANAM JAT	HWN127636	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी–एनसीएल वर्ग में आवेदन किया गया था परन्तु दस्तावेज सत्यापन के दौरान तकनीकी त्रुटी के कारण ओबीसी–सीएल का प्रमाण पत्र बन गया था, जिस कारण रिमार्क लगाया गया परन्तु तत्समय ओबीसी–एनसीएल का प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण संशोधन नहीं करवाया गया। अतः ओबीसी–एनसील जाति प्रमाण पत्र दिनांक 18.09.2023 प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी–एनसीएल वर्ग से किया गया किन्तु ऑनलाईन आवेदन में ओबीसी सीएल वर्ग का दिनांक 30.1.2023 को जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जिसके अनुसार अभ्यर्थिया तत्समय ओबीसी एनसीएल वर्ग में नहीं थी। अभ्यर्थिया को दिनांक 13.9.2023 को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया तत्समय भी अभ्यर्थिया द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अब अभ्यर्थिया द्वारा दिनांक 18.09.2023 को जारी ओबीसी–एनसीएल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कार्मिक विभाग के निर्देशों के क्रम में परिवेदना समिति की बैठक दिनांक 24.4.2024 में अन्य समान प्रकरणों में लिये गये निर्णयानुसार अब जातिवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकता। रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी अपील सं	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			सम्मिलित करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई है।	7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार के अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
7	ARCHANA SHARMA	HWN107143	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर परित्यक्ता कोटे में ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र संलग्न कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ दिये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है एवं आवेदन के समय ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं था जो कि परिवेदना के समय भी उपलब्ध नहीं हो पाया है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.22 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है व आवेदन के समय सम्बन्धित जाति वर्ग में नहीं थे, त्रुटि संशोधन के नाम पर उनका जाति वर्ग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार देय नहीं है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 41.835 उनके सामान्य विच्छिन्न विवाह वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 64.050 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
8	PANKAJ SHARMA	HWN106765	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 43.34 प्रतिशत बताते हुए अनारक्षित महिला वर्ग में विधवा श्रेणी से आवेदन किया है। अभ्यर्थिया ने दस्तावेज सत्यापन के समय ईडब्ल्यूएस श्रेणी का वर्ष 2019 का प्रमाण पत्र संलग्न किया था एवं वर्तमान में नवीनतम प्रमाण पत्र संलग्न कर स्वयं को ईडब्ल्यूएस विडो श्रेणी का लाभ देने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनारक्षित विधवा वर्ग से किया गया है। अब अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ दिनांक 11.10.2023 का जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जो कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार स्वीकार किया जाना संभव नहीं है। अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक 43.342 प्रतिशत बनते है जो कि अनारक्षित विधवा वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.925 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में स्थान बनाने में असफल रही। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्याा 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा श्रेणी परिवर्तन की मांग को अस्वीकार कर दिया है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
9	Sangeeta sharma	HWN120080	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के ईडब्ल्यूएस श्रेणी की कटऑफ 52.92 प्रतिशत से ज्यादा 60.49 प्रतिशत अंक बताते हुये सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है जिसमें इनके प्राप्तांक प्रतिशत 60.492 बनते है जो कि अनारक्षित श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत 68.883 से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। इन्होने ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र 07.08.2023 का जारी संलग्न किया है जो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है। स्पष्ट है कि आवेदन के समय अभ्यर्थिया ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं थी। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.22 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है व आवेदन के समय सम्बन्धित जाति वर्ग में नहीं थे, त्रुटि संशोधन के नाम पर उनका जाति वर्ग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः अभ्यर्थिया को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार के अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
10	SARITA KUMARI	HWN118569	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर त्रुटि से आवेदन ईडब्ल्यूएस श्रेणी की जगह सामान्य श्रेणी में करने का उल्लेख कर कैटेगरी सामान्य श्रेणी से ईडब्ल्यूएस श्रेणी में सम्मिलित करते हुए सूची	अभ्यर्थिया ने अनारक्षित श्रेणी में आवेदन किया था। अतः अभ्यर्थिया को अनारक्षित श्रेणी में ही दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया। अभ्यर्थिया को त्रुटि सुधार हेतु दो बार अवसर प्रदान किया गया था किन्तु उसने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया। अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ दिनांक 12.10.2023 को जारी ईडब्लूएस प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अतः	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना 17.10.2022 के अनुसार यदि अभ्यर्थी ने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है व आवेदन के समय इस श्रेणी में नहीं था तो बाद में प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर त्रुटि संशोधन के नाम पर जातिवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार के अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
11	SONU THANVI	HWN123796	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को ईडब्ल्यूएस श्रेणी की विडो श्रेणी की कट ऑफ 39.242 से ज्यादा 44.89 प्रतिशत होने पर भी वरीयता सूची में नाम सम्मिलित नहीं करने का उल्लेख कर मेरिट सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है जिसमें इनके प्राप्तांक प्रतिशत 44.892 बनते है जो कि अनारक्षित विधवा श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 44.980 से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ संलग्न ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पिता के नाम से 4.10.2023 का जारी संलग्न किया है। अभ्यर्थिया को त्रुटि सुधार हेतु अवसर प्रदान किया गया था किन्तु उसने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.22 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है व आवेदन के समय सम्बन्धित जाति वर्ग में नहीं थे, त्रुटि संशोधन के नाम पर उनका जाति वर्ग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः अभ्यर्थिया को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार के अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
12	SUMAN	HWN116712	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर जाति वर्ग में सामान्य श्रेणी से ईडब्ल्यूएस श्रेणी में परिर्वतन कर स्वयं का मेरिट सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है जिसमें इनके प्राप्तांक प्रतिशत 64.120 अनारक्षित श्रेणी अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत 68.883 से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। इन्होने ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र पति के नाम से 8.7.2023 का जारी संलग्न किया है जो आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है। स्पष्ट है कि आवेदन के समय अभ्यर्थिया ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं थी। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.22 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है व आवेदन के समय सम्बन्धित जाति वर्ग में नहीं थे, त्रुटि संशोधन के नाम पर उनका जाति वर्ग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः अभ्यर्थिया को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार के अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
13	ABHILASHA SHRIVASTAVA	HWN107277	ई–मित्र द्वारा त्रुटिवश ईडब्ल्यूएस के स्थान पर सामान्य श्रेणी में आवेदन किया गया। श्रेणी सामान्य के स्थान पर ईडब्ल्यूएस करने हेतु परिवेदना। अभ्यर्थिया आवेदन करते समय तलाकशुदा थी तथा वर्तमान में भी तलाकशुदा है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनारक्षित परित्यक्यता वर्ग से किया गया अब अभ्यर्थिया द्वारा दिनांक 11.10.2023 को जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थिया को त्रुटि संशोधन का अवसर भी प्रदान किया गया था। यदि अभ्यर्थिया ईडब्ल्यूएस संवर्ग में पात्र थी तो उसे त्रुटि संशोधन के समय उपरोक्त गलती को ठीक कर दुरूस्त करा लेना चाहिये था। किन्तु सम्भवतया अभ्यर्थिया तत्समय पात्र नहीं थी जो कि अभ्यर्थिया द्वारा 11.10.2023 को जारी प्रमाण पत्र से स्पष्ट होता है। कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार यदि आवेदक पूर्व में सम्बन्धित जाति वर्ग का नहीं है तो त्रुटि संशोधन के नाम पर जाति वर्ग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। रिट याचिका संख्या	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार में पारित निर्णयानुसार अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 54.042 प्रतिशत बनते है जो कि अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम विच्छिन्न विवाह महिला के कुल प्राप्तांक 64.050 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
14	NEELAM	HWN127902	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर आवेदन के समय मानवीय भूल के कारण जातिगत श्रेणी ओबीसी की जगह एमबीसी भरा जाने एवं विभाग द्वारा आनलाईन परिवेदना दर्ज कर दस्तावेज सत्यापन के समय जातिगत श्रेणी की त्रुटी के बारे में अवगत करवाकर दस्तावेज सत्यापन के समय ओबीसी जाति का प्रमाण पत्र व शपथ पत्र जमा करवाये जाने का उल्लेख किया है परन्तु विभाग द्वारा जारी अंतिम वरीयता सूची में अभ्यर्थियां का चयन एमबीसी जाति श्रेणी में कर लिया गया है। अभ्यर्थिया के कुल 64.910 प्रतिशत अंक है एवं ओबीसी की न्यूनतम कट ऑफ 63.658 है इसलिये ओबीसी जाति का प्रमाण पत्र संलग्न कर वास्तविक जाति ओबीसी मे शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्रतिशत प्राप्तांक 64.910 प्रतिशत हैं जो कि ओबीसी–एनसीएल श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक से अधिक हैं । अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपलोड जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछडी जाति का है जिसमें अभ्यर्थिया की जाति जाट है। अभ्यर्थिया ने दस्तावेज सत्यापन के समय ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके आधार पर अभ्यर्थिया का जातिवर्ग कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17.10.2022 के क्रम में एमबीसी एनसीएल के स्थान ओबीसी एनसीएल किया जाना प्रस्तावित है।	नीति निर्धारण समिति द्वारा इस संबंध में लिए जाने वाले निर्णय अनुसार कार्यवाही की जाये।
15	SAROJ MEENA	HWN109613	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित जनजाति वर्ग से किया गया तथा दस्तावेज सत्यापन अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित किया गया किन्तु दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से जारी प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर अभ्यर्थी को अनारक्षित वर्ग में माना गया अब अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ पिता के नाम सहित जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 240/2020 उर्मिला बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुरूप अभ्यर्थिया का जातिवर्ग अनारक्षित वर्ग से अनुसूचित जनजाति वर्ग में परिवर्तित कर चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
16	ANSHI DEVASI	HWN115021	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कम्प्युटर की त्रुटी के कारण जाति वर्ग एमबीसी के स्थान पर ओबीसी अंकित हो गया था जबकि अभ्यर्थिया की जाति एमबीसी है। अतः एमबीसी जातिवर्ग में वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी–एनसीएल वर्ग में आवेदन किया गया है किन्तु अभ्यर्थिया द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान दिनांक 05.01.2023 का जारी एमबीसी जातिवर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर अभ्यर्थिया का जातिवर्ग कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17.10.2022 के क्रम में ओबीसी एनसीएल के स्थान एमबीसी एनसीएल किया जाना प्रस्तावित है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है।	नीति निर्धारण समिति द्वारा इस संबंध में लिए जाने वाले निर्णय अनुसार कार्यवाही की जाये।
17	MANEETA KANWAR	HWN101045	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर आवेदित श्रेणी सामान्य श्रेणी को बदलकर ईडब्ल्यूएस श्रेणी	अभ्यर्थिया द्वारा अनारक्षित वर्ग में आवेदन किया गया था तथा दस्तावेज सत्यापन के समय दिनांक 30.6.2023 को जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जो आवेदन की तिथि	प्रस्तावनुसार अनुमोदित

			करने एवं स्वयं के कुल प्राप्तांक 46.580 प्रतिशत होने का उल्लेख कर स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी जिनकी आईडी मॅछ106051 है के प्राप्तांक 45.133 होने के बाद भी चयन कर लिया गया है इसलिये सूची में अभ्यर्थियां का चयन कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी करते हुये चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	के पश्चात का होने के कारण मान्य नहीं किया गया अब परिवेदना के साथ अभ्यर्थिया द्वारा ईडब्ल्यूएस वर्ग का प्रमाण पत्र दिनांक 23.12.2019 का जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके संबंध में कार्मिक विभाग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से प्रापत मार्गदर्शन अनुसार अभ्यर्थिया को आवेदन के समय ईडब्ल्यूएस संवर्ग में नही माना जा सकता।	
18	MEENA KUMARI	HWN123708	अभ्यर्थियां ने परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल जाति प्रमाण पत्र जारी दिनांक 10.06. 2021 संलग्न कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया ने आवेदन करते समय अपनी श्रेणी ओबीसी एनसीएल के स्थान पर सामान्य श्रेणी अंकित कर दी गई थी जिसको परिर्वतित कर कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17.10.2022 के अनुसार जाति प्रमाण पत्र स्वीकार करते हुये पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया जावें तथा दो अनुभव प्रमाण पत्रों का लाभ देते हुये अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किया जावें।	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ 10.06.2021 का राजस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ओबीसी एनसीएल नॉनक्रिमीलयर वर्ग का जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अभ्यर्थिया को त्रुटि संशोधन हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उसके द्वारा तत्समय इसका लाभ नहीं उठाया गया । कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अनारक्षित वर्ग में आवेदन किया गया है और आरक्षित जातिवर्ग का प्रमाण पत्र नही है तो उनका जातिवर्ग त्रुटि संशोधन के नाम पर परिवर्तित नही किया जा सकता है। अभ्यर्थिया द्वारा अन्तरिम सूची जारी किए जाने के पश्चात परिवेदना में दिनांक 10.06.2021 को जारी ओबीसी एनसीएल वर्ग का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। समिति द्वारा निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है।	कार्मिक विभाग एवं कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन अनुसार परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
19	MONIKA KUMARI SHYORAN	HWN120851	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन सामान्य वर्ग से किया गया था किन्तु अभ्यर्थिया ओबीसी एनसीएल वर्ग की है जिसका जाति प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र संलग्न कर स्वयं का जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल परिवर्तित किये जाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ 23.07.2021 का राजस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ओबीसी एनसीएल नॉनक्रिमीलयर वर्ग का जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अभ्यर्थिया को त्रुटि संशोधन हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उसके द्वारा तत्समय इसका लाभ नहीं उठाया गया । कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अनारक्षित वर्ग में आवेदन किया गया है और आरक्षित जातिवर्ग का प्रमाण पत्र नही है तो उनका जातिवर्ग त्रुटि संशोधन के नाम पर परिवर्तित नही किया जा सकता है। अभ्यर्थिया द्वारा अन्तरिम सूची जारी किए जाने के पश्चात दिनांक 23.07.2021 को जारी ओबीसी एनसीएल वर्ग का प्रमाण पत्र संलग्न किया है। समिति द्वारा निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है।	कार्मिक विभाग एवं कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन अनुसार परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
20	NEHA VERMA	HWN113553	अभ्यार्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उसकी जाति फॉर्म में ओबीसी सीएल है, जबकि उसकी वास्तविक जाति ओबीसी एनसीएल है। अतः अभ्यार्थिया द्वारा जाति ओबीसी सीएल से ओबीसी एनसीएल करते हुए परिणाम जारी करने का अनुरोध किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी सीएल वर्ग से किया गया है किन्तु अभ्यर्थिया द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान दिनांक 28.12.2022 को जारी ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अभ्यर्थिया आवेदन के समय ओबीसी एनसीएल वर्ग में थी। अतः कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थिया का जातिवर्ग ओबीसी सीएल से ओबीसी एनसीएल परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।	नीति निर्धारण समिति द्वारा इस संबंध में लिए जाने वाले निर्णय अनुसार कार्यवाही की जाये।
21	SANTOSH GURJAR	HWN126961	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने के संबंध में उल्लेख कर एवं स्वयं को एमबीसी वर्ग का	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल श्रेणी में आवेदन किया था। अतः अभ्यर्थिया को ओबीसी एनसीएल श्रेणी में ही दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया। अभ्यर्थिया ने दस्तावेज सत्यापन में दिनांक 18.11.2022 को जारी राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र संलग्न	नीति निर्धारण समिति द्वारा इस संबंध में लिए जाने वाले निर्णय अनुसार कार्यवाही की जाये।

			अभ्यर्थी मानकर एमबीसी जाति वर्ग का प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करते हुये स्वयं के कुल प्राप्तांक 58.370 प्रतिशत बताते हुये मेरिट लिस्ट में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया हे।	किया है जिसमें इनकी जाति गुर्जर दशायी गई है जो एमबीसी वर्ग में है। अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ पुनः दिनांक 21.9.2023 को जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें भी इनकी जाति गुर्जर ही है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना 17.10.2022 के अनुसार अभ्यर्थिया की श्रेणी एमबीसी एनसीएल माना जाना प्रस्तावित है।	
22	PRIYANKA KUMARI	HWN124398	अभ्यर्थिया द्वारा कोविड अवधि में कार्य करने के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र एवं स्वयं की जाति ओबीसी एनसीएल होने के संबंध में शपथ पत्र संलग्न कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान दिनांक 19.12.2022 को जारी अन्य पिछडा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द द्वारा कोविड अवधि का 204 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण संलग्न किया गया था जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान कर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है। अभ्यर्थिया की जाति रावत है जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को एमबीसी के स्थान पर ओबीसी श्रेणी में सम्मिलित करते हुये यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	नीति निर्धारण समिति द्वारा इस संबंध में लिए जाने वाले निर्णय अनुसार कार्यवाही की जाये।
23	USHA SHARMA	HWN112841	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर सामान्य से ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नाम सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनारक्षित परित्यक्यता वर्ग से किया गया अब अभ्यर्थिया द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थिया को त्रुटि संशोधन का अवसर भी प्रदान किया गया था। यदि अभ्यर्थिया ईडब्ल्यूएस संवर्ग में पात्र थी तो उसे त्रुटि संशोधन के समय उपरोक्त गलती को ठीक कर दुरूस्त करा लेना चाहिये था। कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार यदि आवेदक पूर्व में सम्बन्धित जाति वर्ग का नहीं है तो त्रुटि संशोधन के नाम पर जाति वर्ग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार में पारित निर्णयानुसार अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
24	KAMALESH MEENA	HWN124433	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित जनजाति वर्ग से किया गया तथा दस्तावेज सत्यापन अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित किया गया किन्तु दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र पिता एवं पति दोनो के नाम से जारी प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर अभ्यर्थी को अनारक्षित वर्ग में माना गया अब अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ पिता के नाम सहित जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 240/2020 उर्मिला बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुरूप अभ्यर्थिया का जातिवर्ग अनारक्षित वर्ग से अनुसूचित जनजाति वर्ग में परिवर्तित कर चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जाना प्रस्तावित है।	नीति निर्धारण समिति द्वारा इस संबंध में लिए जाने वाले निर्णय अनुसार कार्यवाही की जाये।
25	samiksha sharma	HWN121457	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने के संबंध में उल्लेख करते हुये स्वयं के कुल प्राप्तांक 63.96 प्रतिशत बताते हुये अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया हे।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन सामान्य श्रेणी से किया गया था जिसके अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर दस्तावेज सत्यापन हेतु अनारक्षित वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया से कम प्रतिशत होने के कारण अभ्यर्थिया को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नही किया गया था। दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थिया की सूची पर प्राप्त परिवेदना अनुसार अभ्यर्थिया को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था जिसमें अभ्यर्थिया द्वारा दिनांक 18.01.2023 का जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार अभ्यर्थिया का जातिवर्ग सामान्य से ईडब्ल्यूएस संशोधित करते हुये भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित

26	Taramani Jat	HWN110385	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी सीएल वर्ग में आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा दस्तावेज सत्यापन से पूर्व प्रस्तुत परिवेदना के आधार पर ओबीसी एनसीएल वर्ग में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। दस्तावेज सत्यापन के दौरान 28.06.2021 का राजस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ओबीसी एनसीएल नॉनक्रिमीलयर वर्ग का जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जिसके संबंध मे पत्रावली पर प्रदत्त निदेशानुसार यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अनारक्षित वर्ग में आवेदन किया गया है और आरक्षित जातिवर्ग का प्रमाण पत्र नही है तो उनका जातिवर्ग त्रुटि संशोधन के नाम पर परिवर्तित नही किया जा सकता है किन्तु अभ्यर्थिया द्वारा दिनांक 28.06.2021 को जारी ओबीसी एनसीएल वर्ग का प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो मय शपथ पत्र अधिकतम 03 वर्ष तक मान्य है। इस संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार अन्तरिम चयन सूची पर परिवेदना प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक इस प्रकार प्राप्त प्रमाण पत्र को मान्य किया जाता है। अतः कार्मिक विभाग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार अभ्यर्थिया को शपथ पत्र प्रस्तुत करने के अध्याधीन आवेदन के समय ओबीसी एनसीएल नॉनक्रिमीलेयर वर्ग में माना जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
27	PUSHPA RANI	HWN129579	अभ्यर्थियां ने परिवेदना प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि प्रार्थिया द्वारा पूर्व में शीफू में फार्म भरा गया था जिसमें विवाहित लिखा गया था जबकि प्रार्थिया का कोर्ट से डिक्री अब प्राप्त हुई है व प्रार्थिया के वर्तमान में तीन बच्चे है व पूर्व में दो बच्चो का विवरण दिया गया था। अतः फार्म में करेक्शन करवाकर दोबारा फार्म सबमिट करवाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा है कि विच्छिन्न विवाह श्रेणी में पात्रता हेतु आवेदन की अंतिम दिनांक तक जारी डिक्री ही मान्य होगी। अभ्यर्थिया ने आवेदन विवाहित श्रेणी में किया है। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ दिनांक 6.10.2023 को जारी डिक्री प्रस्तुत की है जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को विच्छिन्न विवाह वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। श्रेणी परिवर्तन के प्रकरणों रिट याचिका संख्या 13409/2019 निरमा बनाम सरकार, रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार डीबी याचिका सं. 7840/2019 सोनल त्यागी आदि में याचिकाकर्ता की मांग को को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
28	PINKY	HWN112183	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं की कैटेगरी ओबीसी दिव्यांग बताते हुये अनुभव नहीं भरने का उल्लेख किया है एवं पोर्टल पर सही अंक एवं कैटेगरी दर्ज करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के उपवर्ग में विशेष योग्यजन श्रेणी को सम्मिलित करने बाबत् निवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया ने ओबीसी–एनसीएल सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है। यदि अभ्यर्थिया दिव्यांग थी तो उसे विभाग द्वारा पूर्व में दो बार त्रुटिसुधार करने का अवसर प्रदान किया गया था जिसका अभ्यर्थिया को लाभ उठाना चाहिये था। किन्तु अभ्यर्थिया द्वारा त्रुटिसुधार नहीं किया गया। जो कि अब संभव नहीं है। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ अनुभव एवं स्वयं की दिव्यांगता के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
29	DHAPU	HWN129319	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय में दायर याचिका संख्या 8087/2023 के क्रम में जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंकों को सम्मिलित करते हुए कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 77.53 है जो अन्य पिछड़ा वर्ग की कटऑफ प्रतिशत से अधिक है। अतः अभ्यर्थिया द्वारा अंतरिम चयन सूची में नाम	माननीय न्यायालय ने 23.03.2023 के परिपत्र को संज्ञान में लेते हुए निर्देश दिये हैं कि present writ petition as well as the stay application, are disposed of with a direction to the respondents to consider the case of the petitioners for issuance of the requisite experience in their favour certificate for the works performed by them as Ashasahyogini while taking into account the aforementioned circular/ notification dated	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	23.03.2023 issued by the State Government. उपरोक्त आदेशों के क्रम में याचिकाकर्ता को अनुभव अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में आशा सहयोगिनी के पद पर जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की पालना सख्ती से करने के निर्देश प्रदान किये हैं। अभ्यर्थिया ने ए.एन.,एम प्रशिक्षण वर्ष 2022–2023 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया आशा सहयोगिनी ही रही है अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 47.525 प्रतिशत है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थियां के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
30	KANTA NAVAL	HWN129237	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया को माननीय न्यायालय में दायर याचिका संख्या 7884/2023 में पारित निर्णय दिनांक 01.06.2023 की पालना में जारी अनुभव प्रमाण पत्र का लाभ दिया जाकर बोनस अंकों को जोडकर कुल प्राप्तांक 69.19 है जो अनुसूचित जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक होने के कारण अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति वर्ग की अंतरिम चयन सूची में शामिल किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अभ्यर्थिया ने ए.एन.,एम प्रशिक्षण वर्ष 2023 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया ने आशा सहयोगिनी का कार्य ही सम्पादित किया है जो ए.एन.एम. के कार्य के समरूप नहीं है। अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 39.192 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग अनुसूचित जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 54.140 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

31	KUM. REENA TRIVEDI	HWT128614	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि याचिका संख्या 8081/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2023 की पालना में जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर आशा सहयोगिनी के पद के अनुभव का लाभ दिया जाकर बोनस अंकों का लाभ दिये जाने पर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 77.96 है जो टीएसपी सामान्य श्रेणी की कटऑफ से अधिक है। अतः अभ्यर्थिया ने अनुभव का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अभ्यर्थिया ने ए.एन.,एम प्रशिक्षण मई 2023 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया ने आशा सहयोगिनी का कार्य ही सम्पादित किया है जो ए.एन.एम. के कार्य के समरूप नहीं है। अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 47.958 उनके जातिवर्ग टीएसपी अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 55.217 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
32	KUSUM SAIN	HWN102082	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 69.180 प्रतिशत होने के बाद भी सलेक्सन नहीं होने के कारण प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	याचिकाकर्ता द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती–2023 के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग में आई.डी. संख्या HWN102082 द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया है। जिसके क्रम में याचिकाकर्ता को उनके द्वारा भरे गये डेटा के आधार पर निर्धारित दिनांक को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खारची जिला पाली द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र क्रमांक 651 दिनांक 04.06.2023 में दिनांक 14.01.2011 से 16.06.2023 तक का आशा सहयोगिनी के कार्य का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। आशा सहयोगिनी का कार्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) के समान नहीं है एवं ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है। अभ्यर्थिया ने एएनएम प्रशिक्षण वर्ष 2023 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के एएनएम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया ने आशा सहयोगिनी का कार्य ही सम्पादित किया है जो ए.एन.एम. के कार्य के समरूप नहीं है। अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। ऐसे ही समान प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.2018 को एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.2021 को निर्णय पारित कर अभ्यर्थियाओं के अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्थियाओं की याचिका खारिज कर दिया है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंको लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार याचिकाकर्ता के औसत प्राप्तांक 39.180 प्रतिशत उनके जाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के औसत प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण याचिकाकर्ता को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती–2023 हेतु जारी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।	
33	MANJU GURJAR	HWN119635	अभ्यर्थीया ने कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। केवल याचिका संख्या 14453/2023 एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया प्राप्तांकों के आधार पर चयन योग्य नहीं है। अभ्यर्थिया ने माननीय न्यायालय में याचिका दायर की हुई है जिसपर माननीय न्यायालय द्वारा कांता नवल के प्रकरण से कवर करते हुए अन्तरिम निर्णय पारित किया है। रिट यांचिका संख्या 16664/2023 कान्ता नवल बनाम सरकार के प्रकरण को बाद में माननीय न्यायालय द्वारा 14080/2023 राजेन्द्र बेनीवाल बनाम सकार के प्रकरण में कवर करते हुए निस्तारित कर दिया है। तदनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमादित।
34	MAYA	HWN119154	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया के कोरोना काल में कार्यरत अनुभव के आधार पर बोनस अंकों को नहीं जोडा गया है। साथ ही अभ्यर्थिया द्वारा आवेदन पत्र में Details of registration with nursing council in Coulmn wheather worked on contract on similar post/work, during dated 22.03.2020 जव 13.02.2022 में लमे के स्थान पर no अंकित कर दिया था, जिसे yes किये जाने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थिया द्वारा बोनस अंकों का लाभ नहीं दिये जाने के कारण माननीय न्यायालय में याचिका संख्या 16474/2023 दायर की गई है। अतः अभ्यर्थिया ने अनुभव प्रमाण के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	माननीय न्यायालय ने 23.03.2023 के परिपत्र को संज्ञान में लेते हुए निर्देश दिये हैं कि present writ petition as well as the stay application, are disposed of with a direction to the respondents to consider the case of the petitioners for issuance of the requisite experience in their favour certificate for the works performed by them as Ashasahyogini while taking into account the aforementioned circular/ notification dated 23.03.2023 issued by the State Government. उपरोक्त आदेशों के कम में याचिकाकर्ता को अनुभव अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय द्वारा पीपीपी मोड पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद पर किए गए कार्य हेतु 831 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को पूर्व में ही 20 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है जिसके आधार पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 60.608 प्रतिशत बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। माननीय न्यायालय में दायर याचिका संख्या 16474/2023 माया बनाम राज्य सरकार दायर की गई है जिसमें अग्रिम सुनवाई की तारीख 11.09.2024 दी गई है। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
35	MAYA ROAT	HWT126123	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर याचिका संख्या 8081/2023 रीना त्रिवेदी व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक	माननीय न्यायालय ने 23.03.2023 के परिपत्र को संज्ञान में लेते हुए निर्देश दिये हैं कि present writ petition as well as the stay application, are disposed of with a direction to the respondents to consider the case of	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			13.06.2023 के परिप्रेक्ष्य में जारी अनुभव प्रमाण पत्र का लाभ देते हुये अनुभव के 30 प्रतिशत अंकों को जोडकर कुल प्राप्तांक प्रतिशत 71.27 होने का उल्लेख कर अनुसूचित जनजाति वर्ग की कटऑफ से स्वयं के प्राप्तांक अधिक होने क कारण अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	the petitioners for issuance of the requisite experience in their favour certificate for the works performed by them as Ashasahyogini while taking into account the aforementioned circular/ notification dated 23.03.2023 issued by the State Government. उपरोक्त आदेशों के कम में याचिकाकर्ता को अनुभव अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने जारी अनुभव प्रमाणपत्र की veracity का सत्यापन करने की जिम्मेदारी विभाग की निश्चित की है एवं रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की पालना सख्ती से करने के निर्देश प्रदान किये हैं। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में आशा सहयोगिनी के पद पर जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। अभ्यर्थिया ने ए.एन.,एम प्रशिक्षण वर्ष 2022–2023 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया आशा सहयोगिनी ही रही है अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 41.265 प्रतिशत है जो कि उनके जातिवर्ग टीएसपी एसटी वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थियां के प्राप्तांक 47.592 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
36	MEEMA DEVI	HWN126769	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर याचिका संख्या 8087/2023 मीमा व अन्य में माननीय न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.2023 के परिप्रेक्ष्य में जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंकों का का लाभ देते हुये अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	माननीय न्यायालय ने 23.03.2023 के परिपत्र को संज्ञान में लेते हुए निर्देश दिये हैं कि present writ petition as well as the stay application, are disposed of with a direction to the respondents to consider the case of the petitioners for issuance of the requisite experience in their favour certificate for the works performed by them as Ashasahyogini while taking into account the aforementioned circular/ notification dated 23.03.2023 issued by the State Government. उपरोक्त आदेशों के कम में याचिकाकर्ता को अनुभव अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने जारी अनुभव प्रमाणपत्र की veracity का सत्यापन करने की जिम्मेदारी विभाग की निश्चित की है एवं रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में भर्ती नियम 1965 के नियम	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				19 की पालना सख्ती से करने के निर्देश प्रदान किये हैं। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में आशा सहयोगिनी के पद पर जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। अभ्यर्थिया ने ए.एन.एम प्रशिक्षण वर्ष 2022–2023 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया आशा सहयोगिनी ही रही है अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.025 प्रतिशत है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थियां के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
37	POOJA YADAV	HWN122993	अभ्यर्थियां ने परिवेदना प्रस्तुत कर माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर की रिट संख्या 14479/2023 की पालना में प्रार्थियां का अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार कर दस्तावेज सत्यापन में बुलाये जाने हेतु निवेदन किया है।	रिट संख्या 14479/2023 पूजा यादव बनाम राज्य सरकार में 19.3.2024 को अग्रिम सुनवाई तिथि 5.4.2024 निर्धारित की थी किन्तु इसके उपरान्त कोई निर्णय हाईकोर्ट सर्वर पर उपलब्ध नहीं है। अभ्यर्थिया द्वारा आवेदन अनारक्षित वर्ग में किया गया है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 42.020 बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अनारक्षित वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.830 से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थिया द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक मानदेय आधारित सोशल वर्कर है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
38	SANYOGITA YADAV	HWN121596	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर की रिट संख्या 150/2023 की पालना में स्वयं का अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार कर अंतिम चयन सूची में नाम	माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 150/2023 अनुराधा कुमारी बनाम राज्य सरकार को रिट याचिका संख्या 18156/2022 रितेश गोचर बनाम राज्य सरकार से कवर्ड करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश प्रदान किये हैं जो 2022 की भर्ती हेतु थे। उक्त भर्ती निदेशक, शीफू के आदेश दिनांक 19.4.2023 द्वारा निरस्त की जा चुकी है। तथापि	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ कोविड काल में कार्यानुभव का दिनांक 22.1.2023 को 91 दिवस का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निर्धारित प्रपत्र में नहीं है व माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। चूंकि 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है, अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा–निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में अनुभव का लाभ देने की याचिकाओं (5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार डीबी याचिका 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार) को खारिज किया जा चुका है। अनुभव प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रमाण पत्र परिशिष्ट 'अ' में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगें। अतः उक्तानुसार 91 दिवस का अनुभव कम होने से अभ्यर्थिया का अनुभव 2 वर्ष से अधिक किन्तु 3 वर्ष से कम होता है जिसके 20 बोनस अंक दिये जा चुके हैं जिसे मिलाकर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 62.665 प्रतिशत होते हैं जो अनारक्षित श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 68.883 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
39	SHARMILA	HWN121997	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर आशा सहयोगिनी के पद पर कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र एव माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न कर स्वयं के 10वीं, एएनएम एवं बोनस अंकों को जोड़कर कुल अंक 61.350 प्रतिशत है जो कि अनुसूचित जाति श्रेणी में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अभ्यर्थिया ने ए.एन.,एम प्रशिक्षण वर्ष मई, 2023 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया ने आशा सहयोगिनी का कार्य ही सम्पादित किया है जो ए.एन.एम. के कार्य के समरूप नहीं है। अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 46.350 उनके अनुसूचित जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 50.542 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

40	SUNEETA KUMARI	HWN119646	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के औसत प्राप्ताक 74.070 प्रतिशत बताते हुए स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु माननीय न्यायालय में रिट याचिका संख्या 9241/2023 दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 16.06.2023 को आदेश पारित किया जिसके आधार पर अभ्यर्थियो को आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया। अभ्यर्थिया ने उक्त अनुभव प्रमाण पत्र एवं शैक्षिणिक अंकों के आधार पर स्वयं को प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलिमत करने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहायोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अभ्यर्थिया ने ए.एन.,एम प्रशिक्षण वर्ष मई 2023 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया ने आशा सहयोगिनी का कार्य ही सम्पादित किया है जो ए.एन.एम. के कार्य के समरूप नहीं है। अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44067 उनके अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक54.140 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
41	GUDDI DEVI	HWN121535	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर बच्चो के जन्म दिनांक से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थिया ने परिवेदना के संलग्नक में अनुभव प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एवं याचिका संख्या 9430/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 05.07.2023 की प्रति संलग्न की है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनारक्षित वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो दिनांक 21.8.2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अभ्यर्थिया ने ए. एन.,एम प्रशिक्षण वर्ष मई 2023 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया ने आशा सहयोगिनी का कार्य ही सम्पादित किया है जो ए.एन.एम. के कार्य के समरूप नहीं है। अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर गणना करने पर कुल प्राप्तांक 49.130 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				सत्यापन हेतु जारी सूची में आमंत्रित अभ्यर्थियो की सूची में अनारक्षित वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 65.830 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
42	JULLY KUMARI REGAR	HWN122562	अभ्यर्थिया ने परिवेदना एवं इसके संलग्नक में याचिका संख्या 9430/2023 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.07.2023 एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद के अनुभव का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आवेदन अनुसूचित जनजाति वर्ग में किया गया है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 43.810 बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अनुसूचित जाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 49.190 से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थिया द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आंगनबाडी कार्यकर्ता के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अभ्यर्थिया ने ए.एन.,एम प्रशिक्षण मई, 2023 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही रही है अतः इन्हे ए. एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक मानदेय आधारित सोशल वर्कर है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
43	SANTU SARAN	HWN127843	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट संख्या 8087/2023 की प्रति संलग्न की है।	माननीय न्यायालय ने 23.03.2023 के परिपत्र को संज्ञान में लेते हुए निर्देश दिये हैं कि present writ petition as well as the stay application, are disposed of with a direction to the respondents to consider the case of the petitioners for issuance of the requisite experience in their favour certificate for the works performed by them as Ashasahyogini while taking into account the aforementioned circular/ notification dated 23.03.2023 issued by the State Government. उपरोक्त आदेशों के कम में याचिकाकर्ता को अनुभव अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने जारी अनुभव प्रमाणपत्र की veracity का सत्यापन करने की जिम्मेदारी विभाग की निश्चित की है एवंरिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अभ्यर्थिया ने ए.एन.,एम प्रशिक्षण वर्ष मई, 2023 में उत्तीर्ण किया है इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया ने आशा सहयोगिनी का कार्य ही सम्पादित किया है जो ए.एन.एम. के कार्य के समरूप नहीं है। अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहायोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.2023 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.667 उनके जातिवर्ग ओबीसी–एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
44	KIRAN DAMAMI	HWN125455	अभ्यर्थिया ने परिवेदना के संलग्नक में याचिका संख्या 8774/2023 की प्रति संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया का नाम कोर्ट के अधीन रोके गये परिणाम की सूची में आया है। अभ्यर्थिया के साथ अन्य 9 अभ्यर्थियों ने 20 नम्बर बोनस अंक के लिए याचिका संख्या 8774/2023 सुनीता व अन्य लगायी थी जिनका परिणाम जारी हो गया है परन्तु अभ्यर्थिया का परिणाम रोका गया है जिसकी सूची निम्न प्रकार हैः–1. कुसुमलता 126207 2. चन्द्रकान्ता कुम्हार 126669 3. सुमन/ओमप्रकाश 126546 4. सुनिता कुमारी 125993 5. शारदा फरडौदा 127058 6. मैना कुमारी सालवी 125882 7. ओरमता कुमारी 125241 8. कैलाश /जगनाराम 125473 9. करिश्मा गर्ग 126993 अतः अभ्यर्थिया ने निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया एससी श्रेणी में होते हुए एवं बिना रिट लगाये सामान्य रूप से 67.270 प्रतिशत पर भी अभ्यर्थिया का चयन हो रहा है। अभ्यर्थिया ने उक्त 9 अभ्यर्थिया के साथ स्वंय का भी नाम अंतरिम चयन सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	प्रार्थिया सहित शेष 9 अभ्यर्थियोंने रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के तहत अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। अतः नीति निर्धारण समिति के समक्ष रखा जाकर समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित

45	MEERA BAI MEENA	HWN111775	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरीयता सूची में दिये गये 20 बोनस अंकों को संशोधित कर 15 किये जाने बाबत् निवेदन किया है।	अनुभव जॉचकर्ता द्वारा सहवन से अनुभव के आधार पर बोनस अंक 20 दिए गए है। अनुभव पुनर्सत्यापन अनुसार अभ्यर्थिया के अनुभव 15 ही है। अतः 20 के स्थान पर 15 बोनस अंक देते हुए वरियता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
46	KHEMEE	HWN127417	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है।	अभ्यर्थिया को सहवन से 15 बोनस अंक के स्थान पर 30 बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है जिसे आगामी चयन प्रक्रिया में 15 करते हुए मेरिट में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
47	MEERA DEVI	HWN126584	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं की 10वीं की अंकतालिका में 500 में 332 के आधार पर गणना की गई है जबकि 10वी की अंकतालिका के अनुसार 600 में 332 के आधार पर गणना की जानी है। अतः 10 की अंकतालिका की पुनः जॉच कर कुल प्राप्तांक प्रतिशत संशोधित किये जाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने सैकण्डरी परीक्षा हरियाणा राज्य से उत्तीर्ण की है। जिसमें उसके प्राप्तांक 600 में से 332 अंक है। अतः हरियाणा बोर्ड से प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार पूर्णांक 600 में से 332 के स्थान पर 500 में से 291 किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
48	ANTIMA SUMAN	HWN121087	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 63.31 प्रतिशत है जबकि ओबीसी कैटेगरी की कटऑफ 63.65 होने के कारण अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं है। अतः वरियता सूची में राजस्थान निवासियों का प्राथमिकता देते हुए, फर्जी डिग्रीधारियों की जांच करते हुए सही अभ्यर्थियों को वरियता सूची में सम्मिलित किया जावें।	कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल आग्रह किया गया है कि राजस्थान निवासियों का प्राथमिकता देते हुए, फर्जी डिग्रीधारियों की जांच करते हुए सही अभ्यर्थियों को वरियता सूची में सम्मिलित किया जावें। विभाग द्वारा पूर्व से ही नियमानुसार एवं समुचित कार्यवाही की जा रही है। पृथक से किसी कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं है।	चूँकि अभ्यर्थिया द्वारा कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, अतः इस समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
49	BEERI	HWN102853	अभ्यर्थया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑनलाईन आई0डी संख्या 123005, 117787, 124356 एवं 109083 के एमबीसी जाति प्रमाण पत्रों की जांच करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अन्य चार अभ्यर्थियों की जाति श्रेणी के संबंध में जांच करने हेतु निवेदन किया है। विभाग द्वारा भर्ती प्रकिया में पूर्व से ही नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जा रही है।	चूँकि अभ्यर्थिया द्वारा कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, अतः इस समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
50	DIVYA GOCHER	HWN102346	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नलिखित आईडी क्रमांक पर उल्लेखित अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्रों की जॉच करने बाबत् निवेदन किया है जो निम्नानुसार हैः– hwn123005, hwn117787, hwn124356, hwn109083	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अन्य चार अभ्यर्थियों की जाति श्रेणी के संबंध में जांच करने हेतु निवेदन किया है। विभाग द्वारा भर्ती प्रकिया में पूर्व से ही नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जा रही है।	चूँकि अभ्यर्थिया द्वारा कोई व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, अतः इस समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
51	KAVITA	HWN118045	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को	प्रार्थी कविता सुथार द्वारा इन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन सूची में अंकित प्रतिशत	चूँकि अभ्यर्थिया द्वारा कोई

	SUTHAR		ओबीसी में आवेदन कर कुल प्रतिशत अंक 63.450 प्रतिशत होने का अवगत करवाकर स्वयं से कम प्रतिशत (59.00 –62.43) वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख किया ह जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः– HWN121243, HWN122375, HWN129284, HWN120571, HWN122783, HWN122434, HWN122129, HWN129993, HWN124231, HWN129563, HWN121381, HWN122298, HWN128940, HWN124409	प्राप्तांकों का हवाला देते हुए स्वयं से कम प्राप्तांक बताये है किन्तु ऐसा इस कारण हुआ है कि इन अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी के अतिरिक्त शेष अभ्यर्थियों ने कोविड अवधि के अनुभव के कालम में NO अंकित किया जिस कारण साफ्टवेयर द्वारा इन्हें कोविड अवधि के अनुभव का लाभ दिये बिना ही दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध कर लिया। दस्तावेज सत्यापन उपरान्त इनके वास्तविक अनुभव के आधार पर बोनस अंक निर्धारित करते हुए अन्तरिम चयन सूची में यथा स्थान सम्मिलित किया गया है। विभाग द्वारा भर्ती प्रकिया में पूर्व से ही नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जा रही है।	व्यक्तिगत परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, अतः इस समिति के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
52	GAYATRI CHOUDHARY	HWN126288	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर आईडी क्रमांक HWN125304 एवं आईडी क्रमांक HWN125870 को कोविड अवधि में कार्य नही होने के बावजूद भी 15 बोनस अंक प्रदान किये जाने के संबंध में आपत्ति दर्ज करते हुये उक्त अभ्यर्थियों को 15 के स्थान पर 10 बोनस अंक दिये जाने हेतु निवेदन किया है।	आई डी0 कमांक 125304 का अनुभव कोविड काल के पश्चात का एक वर्ष से अधिक होने के कारण 10 बोनस अंक पुर्नसत्यापन रिपोर्ट अनुसार देय होंगे। आईडी संख्या 125870 के संबंध में कोविड अवधि का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है अतः शिकायत तथ्यहीन है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
53	RAM	HWN128235	अभ्यर्थिया परिवेदना प्रस्तुत कर ऑनलाईन आवेदन में सहवन से स्वयं के नाम में त्रुटी हो जाने के फलस्वरूप प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार नाम संशोधन हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया का चयन अंतिम वरीयता सूची में होने की स्थिति में सही नाम की पुष्टि संलग्न दस्तावेजों से किया जाकर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
54	DODIYAR KOKILABEN	HWT117403	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया के शिक्षा संबंधित दस्तावेज में नाम डोडियार कोकिलाबेन है लेकिन विवाह पश्चात पति का नाम रमणलाल पारगी की वजह से सरनेम में पारगी होने से कुछ दस्तावेजों में कोकिला पारगी है। अतः अभ्यर्थिया ने डोडियार कोकिलाबेन व कोकिला पारगी को एक ही मानते हुए नियुक्ति आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा केवल स्वयं के दस्तावेजो में अंकित डोडियार कोकिला बेन एवं विवाह पश्चात् बने दस्तावेजों में कोकिला पारगी को एक समान मानने हेतु निवेदन किया है। चयन की स्थिति जिस नाम से आवेदन किया गया है उसे ही अग्रिम कार्यवाही हेतु मान्य किया जायेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
55	BHAVNA KUMARI KATARA	HWT117256	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थिया द्वारा केवल सैकेण्डरी की	अभ्यर्थिया ने अपनी जन्म दिनांक 15.05.2000 से 15.08.2000 संशोधित कराने बाबत् निवेदन किया है जिसे चयन होने की स्थिति में संशोधित कर दिया जावेगा। वर्तमान में कोई	प्रस्तावानुसार अनुमोदित

			अंकतालिका एवं जन्मतिथि संशोधन हेतु शपथ पत्र सलग्न किया है।	कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	
56	DEEPIKA KANWAR	HWN116000	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर विवाह प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर विवाहित श्रेणी किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा स्वंय की श्रेणी अविवाहित के स्थान पर विवाहित करने हेतु निवेदन किया है जिस हेतु विवाह प्रमाण पत्र संलग्न किया है। चयन होने की स्थिति में वैवाहिक श्रेणी में संशोधन कर दिया जायेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
57	PAYAL SHREEMALI	HWN126871	अभ्यर्थिया नं पूर्व में ईडब्ल्यूएस श्रेणी का पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया था एवं अब परिवेदना प्रस्तुत कर पति के नाम का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ पति के नाम जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। जिसे स्वीकार कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
58	BANA KUNWAR SANYAWAT	HWT101471	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि प्रार्थी ने सामान्य कैटगरी के टीएसपी क्षेत्र की महिला वर्ग तलाकशुदा कैटगरी में आवेदन किया है प्रार्थी के 10वीं में 57.800 प्रतिशत एवं डिप्लोमा में 72.645 अंक प्राप्त है आवेदिका की दिनांक 11.01.23 को जारी डिक्री भी संलग्न है फिर भी टीएसपी क्षेत्र की तलाकशुदा महिलाओं के 3 मे से 2 ही पद भरे गये है। आवेदिका को वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः आवेदिका का आवेदन पत्र स्वीकार कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सैकण्डरी परीक्षा की जो अंकतालिका प्रस्तुत की है, उस पर जारी दिनांक 17.11.2022 अंकित है । जिसके आधार पर दस्तावेज सत्यापन के दौरान एएनएम प्रशिक्षण के बाद की अंकतालिका के आधार पर आवेदन निरस्त कर दिया गया, जबकि उक्त अंकतालिका द्वितीय प्रति के रूप में जारी की गई है जिस पर सत्र अक्टूबर 2007 अंकित है। साथ ही Appeared for improvement अंकित है। अतः अंकतालिका के सत्यापन के अध्याधीन भर्ती प्रकिया में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
59	SUNITA	HWN117769	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन है कि ऑनलाईन आवेदन करते समय घोषणापत्र के कॉलम में हस्ताक्षर अपलोड करने समय ई–मित्र वाले ने सहवन से स्वयं के स्थान किसी अन्य अभ्यर्थिया मंजू के हस्ताक्षर अपलोड कर दिये गये। अतः घोषणापत्र में मंजू के स्थान पर स्वयं के हस्ताक्षर पढ़े जाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के आर.एन..सी. रजिस्ट्रेशन के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रार्थना पत्र में उल्लेखित आवेदन पत्र में मंजू के हस्ताक्षरो को स्वयं के हस्ताक्षर पढ़े जाने के संबंध में परिवेदना समिति द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।	परिवेदना समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि समस्त दस्तावेजों की जांच के अध्याधीन परिणाम रोका जाये।
60	BHAGWATI KUMARI	HWN109731	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थिया द्वारा केवल दस्तावेज सलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में कोविडकाल में कार्य करने वाले कॉलम में 'नहीं' अंकित किया गया था यद्यपि इनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में 204 दिवस का कोविड काल में कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था। विभाग द्वारा 02 बार त्रुटिसुधार किये जाने का अवसर प्रदान करने के बावजूद भी अभ्यर्थिया द्वारा त्रुटि सुधार नहीं किया गया। अभ्यर्थिया द्वारा स्वयं भरे गये डाटा के आधार पर गणना करने पर कुल प्राप्तांक 38.170 प्रतिशत बनते है जो दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची मे अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 49.190 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है विभाग द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र भरते समय त्रुटि की गई थी जिसे सुधार करने हेतु विभाग द्वारा दिनांक 13.09.2023 से 19.09.2023 तक परिवेदनाये आमंत्रित की गई थीं जिसमें अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई। अब अंतरिम चयन सूची जारी होने के उपरान्त अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत की है जिसके साथ 08.09.2021 से 31.03.2022 तक कुल 204 दिवस का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द द्वारा 25.5.2023 को सीएचए पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जो अब स्वीकार्य नहीं है।	
61	SUMAN DEVI	HWN114470	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग में स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने एवं अनुभव प्रमाण पत्र का प्रतिशत जोड़कर अंकों को सही करने का उल्लेख कर मेरिट लिस्ट में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया हरियाणा राज्य की मूल निवासी है। अभ्यर्थिया ने आवेदन के साथ हरियाणा राज्य का जारी जाति प्रमाणपत्र संलग्न किया है। नियमानुसार जातिगत आरक्षण का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही देय है। समान प्रकरण विशेष अनुमति याचिका संख्या 8425/2013 रंजना बनाम राजस्थान राज्य को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य राज्य का निवासी होने के आधार पर जातिगत आरक्षण की मांग को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार अभ्यर्थिया को अनुसूचित जाति वर्ग में नहीं माना जाकर अनारक्षित वर्ग में माना गया है। दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत अनारक्षित वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
62	SAMANDAR KUMARI	HWN118549	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 44.740 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में ओबीसी–एनसीएल जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 56.100 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
63	MUKESH	HWN120336	प्रार्थी के द्वारा वर्ष 2023 में एएनएम भर्ती के लिए आवेदन किया गया था जिसमें अनुभव प्रमाण पत्र के भी अंक जोडे जा रहे है, जब प्रार्थिया को इस बात का ज्ञान नहीं था। प्रार्थिया के द्वारा एएनएम के पद पर पीपीपी मोड अस्पताल में कार्य किया हुआ है जिसका प्रमाण पत्र प्रार्थिया के नाम जारी किया हुआ है तथा प्रार्थिया के पास खेल प्रमाण पात्र भी है । प्रार्थिया को अनुभव प्रमाण पत्र एवं खेल प्रमाण पत्र को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने की इजाजत प्रदान करने की कृपा करें प्रार्थिया का वरीयता सूची में नाम दर्ज हो सके।	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा गया था कि अभ्यर्थी को अपने समस्त दस्तावेज ऑनलाइन संलग्न करने होंगे। ऑफलाइन दस्तावेज स्वीकार नहीं होंगे न ही आवेदन की अंतिम तिथि के उपरान्त कोई दस्तावेज स्वीकार किया जायेगा। यदि अभ्यर्थिया ने विज्ञप्ति को ध्यान से पढा होता तो उन्हे इसमें दी गई सभी बातों की जानकारी हो जाती। अतः इस आधार पर कि अभ्यर्थिया को अनुभव प्रमाणपत्र के बोनस अंकों या उत्कृष्ट खिलाडी कोटे के आरक्षण के सम्बन्ध में जानकारी नहीं थी, परिवेदना को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ भी अनुभव संबंधी एवं खेल संबंध कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि अभ्यथिया द्वारा प्रस्तुत परिवेदना पर कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
64	NEETU RANI	HWN124951	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनारक्षित वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 42.780 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनारक्षित वर्ग में	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

				आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 65.830 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
65	SUMAN	HWN125412	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर आवेदन के समय गलती से जाति वर्ग सामान्य श्रेणी भरा जाने का उल्लेख करते हुये ईडब्ल्यूएस श्रेणी का प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर सामान्य श्रेणी के स्थान पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आवेदन अनारक्षित वर्ग में किया गया है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.630 बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अनारक्षित वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.830 से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। इन्होने ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र पति के नाम से 13.10.2023 का जारी संलग्न किया है जिसमे स्पष्ट उल्लेख है कि ये हरियाणा राज्य की मूल निवासी है। आरक्षण के नियमानुसार ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को देय है अतः परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.22 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है व आवेदन के समय सम्बन्धित जाति वर्ग में नहीं थे, त्रुटि संशोधन के नाम पर उनका जाति वर्ग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः अभ्यर्थिया को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार के अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
66	KIRAN GARASIYA	HWT112804	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर गणना करने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 42.380 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.310 से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
67	LATA ANGARI	HWT115579	कैटगरी परिवर्तन कर कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	दिनांक 13.9.2023 से 19.9.2023 तक इस संबंध में ऑनलाईन परिवेदनाएं आमंत्रित की जाकर अभ्यर्थियों को अन्तिम अवसर प्रदान किया जा चुका है। अन्तरिम चयन सूची जारी होने के पश्चात अब जाति वर्ग परिवर्तन कर दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित नहीं किया जा सकता। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
68	LEELA KUMARI BHAMAT	HWT117892	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 53 प्रतिशत बताते हुये दस्तावेज सत्यापन कराने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 43.500 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.310 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा 14.12.2022 से 18.05.2023 तक कुल 156 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि कोविड अवधि का नहीं होने एवं 01 वर्ष से कम होने के कारण बोनस अंकों लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
69	SANGEETA	HWT118018	अभ्यर्थियां द्वारा परिवदना प्रस्तुत कर अनुभव	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में आवेदन किया गया था।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं

	MEENA		प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार बोनस अंक देकर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 43.470 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.310 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो निर्धारित प्रारूप में नहीं होने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। रिट याचिका 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार एवं डी.बी. याचिको सं. 1660/2018 कंविता पंवार बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी अनुभव प्रमाण पत्र के अभाव में खारिज कर दिया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
70	ANSHU KUMARI KHARADI	HWT122831	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर बोनस अंक सम्मिलित करते हुए वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने के कारण बोनस अंकां का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। रिट याचिका 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार एवं डी.बी. याचिको सं. 1660/2018 कंविता पंवार बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी अनुभव प्रमाण पत्र के अभाव में खारिज कर दिया है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग से किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 40.440 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.310 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
71	KANTA MEENA	HWT122985	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण दिनांक 16.09.2023 को उपस्थित नहीं हो पाई। इस बाबत अभ्यर्थिया के पति द्वारा सींफ में ऑफलाईन परिवेदना जमा करवाइ गई। अभ्यर्थिया को जानकारी के अभाव में आनलाईन परिवेदना जमा नहीं करवाई गई। अभ्यर्थिया द्वारा दस्तावेज सत्यापन किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थिया को विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था किन्तु तत्समय अभ्यर्थिया द्वारा उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाया गया है। इसके उपरान्त अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को पुनः अवसर प्रदान किया गया था किन्तु अभ्यर्थिया द्वारा इस अवसर का लाभ नहीं उठाया गया। भर्ती प्रकिया के दौरान परिवेदनाओं को ऑनलाईन माध्यम से पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जाने के स्पष्ट निर्देश प्रसारित किए गए थे। नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 5.4.2024.में लिये गये निर्णय के अनुसार अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अब कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता। अब अभ्यर्थिया को पुनः दस्तावेज सत्यापन हेतु अवसर प्रदान किया जाना संभव नहीं है। परिवेदना स्वीकार करने योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
72	AARTI SHARMA	HWN103687	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किये जाने की सूचना से अवगत कराते हुये निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया गॉव में रहती है और वहा पर किसी प्रकार का कोई उपकरण एवं मोबाईल नहीं होने	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 45.830 है एवं अनुभव संबंधी कोई जानकारी आवेदन पत्र में नहीं भरी गई है। अतः दस्तावेज सत्यापन हेतु अनारक्षित श्रेणी में आमंत्रित अन्तिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 65.830 से कम होने के कारण अभ्यर्थिया को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			के कारण दस्तावेज सत्यापन की सूचना नहीं मिली। जिसके कारण अभ्यर्थिया द्वारा दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया गया है। अतः दस्तावेज सत्यापन कराये जाने बाबत् निवेदन किया है।		
73	ANILA	HWN111995	दस्तावेज सत्यपान सूची में नाम सम्मिलित करवाने बाबत्।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनारक्षित वर्ग में किया गया है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 53.130 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनारक्षित वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 65.830 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
74	ANJALI SOONDIYA BHEEL	HWN102378	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्पोर्टस श्रेणी की दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर परिवेदना के साथ खेल प्रमाण पत्र संलग्न कर दस्तावेज सत्यापन करने बाबत् निवेदन किया है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन नहीं किया विभाग द्वारा दो बार त्रुटि सुधार का अवसर प्रदान करने के पश्चात् भी संशोधन नहीं किया गया जो अब मान्य नहीं है। रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार के अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित जनजाति वर्ग से किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 45. 230 प्रतिशत बनते हैं जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.510 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। अतः परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
75	BHAWANA YADAV	HWN129002	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि भर्ती में सामान्य श्रेणी में अभ्यर्थिया द्वारा आवेदन किया गया था। तत्समय अभ्यर्थिया का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन किया हुआ था। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी दिनांक 10. 10.2023 संलग्न कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ प्रदान करते हुए अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनारक्षित वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर गणना करने पर कुल प्राप्तांक 43.900 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अनारक्षित वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 65.830 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अब अभ्यर्थिया द्वारा दिनांक 10.10.2023 को जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसे कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार एवं रिट याचिका सं. 13614/2019 जयेश कुमार में पारित निर्णय के अनुसार अब स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
76	DEEPIKA PARMAR	HWN116447	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर खेल प्रमाण पत्र के आधार पर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन ही नहीं किया गया एवं परिवेदना के साथ संलग्न खेल प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र के आधार पर नियमानुसार उत्कृष्ठ खिलाड़ी वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित जनजाति	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				वर्ग से किया गया है। अभ्यथिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर गणना करने पर कुल प्राप्तांक 41.230 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तंक 46.510 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
77	DEEPIKA PARMAR	HWT116430	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर खेल प्रमाण पत्र के आधार पर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन ही नहीं किया गया एवं परिवेदना के साथ संलग्न खेल प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र के आधार पर नियमानुसार उत्कृष्ठ खिलाड़ी वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग से किया गया है। अभ्यथिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर गणना करने पर कुल प्राप्तांक 41.230 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तंक 46.310 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
78	DURGA GURJAR	HWN102256	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर एमबीसी एनसीएल वर्ग में आवेदन कर स्वयं के 10वीं में 56.33 प्रतिशत 12वीं में 72.60 प्रतिशत एवं एएनएम में 78.85 प्रतिशत अंक एवं 130 दिवस का कार्यनुभव होने का उल्लेख कर एमबीसी वर्ग में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा एमबीसी एनसीएल जाति वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.870 प्रतिशत बनते है चूंकि अभ्यर्थिया द्वारा डाटा में कोविड अवधि में कार्य के संबंध में "NO" अंकित एवं 130 दिवस का अनुभव भरा गया था जिसका कोविड अवधि में "NO" अंकित होने के कारण बोनस अंक नहीं दिये गये फलस्वरूप दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में एमबीसी–एनसीएल जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 48.270 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। विभाग द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र भरते समय त्रुटि की गई थी जिसे सुधार करने हेतु विभाग द्वारा दिनांक 13.09.2023 से 19.09.2023 तक परिवेदनाये आमंत्रित की गई थीं जिसमें अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई। अब अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 130 दिवस का कार्यानुभव कोविड अवधि का होने के कारण बोनस अंक देते हुये अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है जिसे अब स्वीकार नहीं किया जा सकता। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
79	ELASI VADERA	HWT120497	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 10वीं में 52. 50, एएनएम प्रथम वर्ष में 75 प्रतिशत एवं एएनएम द्वितीय वर्ष में 85.66 प्रतिशत होने का उल्लेख कर अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.230 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.310 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
80	GEETA KUMARI	HWN126181	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थिया द्वारा केवल दस्तावेज संलग्न किये गये	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अति पिछड़ा वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर कुल प्राप्तांक 42.970 प्रतिशत बनते है	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर

			है।	जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में एमबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 48.270 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी नहीं किया गया है। अतः कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	निस्तारित की जाती है।
81	KAVITA MEENA	HWN102377	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी के नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर गणना करने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 39.920 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.510 से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
82	KIROSHATA	HWN102789	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनारक्षित वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर गणना करने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 40.930 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनारक्षित वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 65.830 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
83	LAVLI GHOGARA	HWT112752	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के 10वीं में 55.50 प्रतिशत एएनएम में 78.75 प्रतिशत अंक बताते हुये अनुसूचित जनजाति वर्ग की चयन सूची में नाम शामिल करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 45.800 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.310 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
84	MAMATA	HWN131900	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया के अनुसूचित जाति में परित्यकत्ता श्रेणी में औसत प्राप्तांक प्रतिशत 49.09 प्रतिशत होने के उपरांत भी दस्तावेज सत्यापन हेतु नहीं आमंत्रित किया गया जबकि अभ्यर्थिया से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया है। अतः अभ्यर्थी ने दस्तावेज सत्यापन एवं अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	दिनांक 13.9.2023 से 19.9.2023 तक परिवेदनाएं आमंत्रित कर की गई थी। जिसके द्वारा अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई। अतः अब अवसर दिया जाना संभव नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
85	MAYA GURJAR	HWN129558	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर जाति वर्ग ओबीसी एनसीएल के स्थान पर एमबीसी एनसीएल किया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 37.220 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में ओबीसी–एनसीएल जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 56.100 प्रतिशत	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। तत्वश्चात अभ्यर्थिया ने एमबीसी श्रेणी में कंसीडर किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया किन्तु एमबीसी एनसीएल वर्ग में भी आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 48.270 प्रतिशत से कम होने के कारण कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई। चूंकि अभ्यर्थिया द्वारा डाटा में कोविड अवधि में कार्य के संबंध में "NO" अंकित एवं 130 दिवस का अनुभव भरा गया था जिसका कोविड अवधि में "NO" अंकित होने के कारण बोनस अंक नहीं दिये गये अभ्यर्थिया को दो बार त्रुटि संशोधन का अवसर प्रदान किया जा चुका है। विभाग द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र भरते समय त्रुटि की गई थी जिसे सुधार करने हेतु विभाग द्वारा दिनांक 13.09.2023 से 19.09.2023 तक परिवेदनाये आमंत्रित की गई थीं जिसमें अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई। अब अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 130 दिवस का कार्यानुभव कोविड अवधि का होने के कारण बोनस अंक देते हुये अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है जिसे अब स्वीकार नहीं किया जा सकता। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
86	MEERA SAINI	HWN117874	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल वर्ग में किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर अंकों की गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 44.640 प्रतिशत बनते हैं जो दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 56.100 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
87	NAJNEEN	HWN101263	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी कैटेगरी में स्वयं के कुल प्राप्तांक 48.80 प्रतिशत होने का उल्लेख करते हुये दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित किये जाने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 48.810 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में ओबीसी–एनसीएल जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 56.100 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
88	NEELAM	HWN130644	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनारक्षित वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 50.040 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनारक्षित वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 65.830 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
89	NIKITA MEENA	HWN107393	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 46.50 प्रतिशत बताते हुए एसटी वर्ग से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर गणना करने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 43.480 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.510 से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थिया द्वारा कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना किस प्रकार की गई है, के संबंध में स्पष्ट नहीं किया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			है।		
90	PARVATEE AHARI	HWT112064	अभ्यर्थियां ने स्वयं के जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 42.130 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.310 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
91	POOJA KANWAR	HWN100434	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि मेरा नाम प्रोविजनल सूची लिस्ट में नहीं आया है मेरे 53.21 प्रतिशत बन रहे हैं। मेरा रजिस्ट्रेशन आरएनसी जयपुर से है। अतः बाहरी अभ्यर्थियों का चयन नहीं करके हमें विर्यात देवे ताकि हमारे साथ न्याय हो सके।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 53.150 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में ओबीसी–एनसीएल जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 56.100 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
92	PRIYANKA	HWN108351	दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 49.010 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में ओबीसी–एनसीएल जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 56.100 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
93	RADHA	HWT112483	विवाह प्रमाण पत्र संलग्न कर सूची में नाम जोडने बाबत।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 45.970 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.310 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
94	RADHA BAI	HWN119703	परिवेदना संलग्न नहीं है। दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 47.130 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में ओबीसी–एनसीएल जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 56.100 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थिया द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक मानदेय आधारित सोशल वर्कर है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
95	REKHA GARG	HWN125731	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय कोविड अवधि के अनुभव के कॉलम में "Yes" के स्थान पर "No" अंकित हो गया था जिसे पुनः "Yes" कराने बाबत् निवेदन किया है जिससे अभ्यर्थिया का अंतिम चयन सूची में नाम जोड़ा जा सकें।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचिज जाति वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 39. 260 प्रतिशत बनते है क्योंकि कि अभ्यर्थिया द्वारा डाटा में कोविड अवधि में कार्य के संबंध में "NO" अंकित एवं 261 दिवस का अनुभव भरा गया था जिसका कोविड अवधि में "NO" अंकित होने के कारण बोनस अंक नहीं दिये गये फलस्वरूप दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 49.190 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। विभाग द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र भरते समय त्रुटि की गई थी जिसे सुधार करने हेतु विभाग द्वारा दिनांक 13.09.2023 से 19.09.2023 तक परिवेदनाये आमंत्रित की गई थी जिसमें अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई। अब अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 261 दिवस का कार्यानुभव कोविड अवधि का होने के कारण बोनस अंक देते हुये अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है जिसे अब स्वीकार नहीं किया जा सकता है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
96	REKHA KUMARI AHARI	HWN123534	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को यूटीबी भर्ती में पिछले एक वर्ष से कार्यरत बताकर अंतरिम एवं अंतिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 42.660 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.510 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थिया द्वारा अनुभव के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
97	REKHA KUMARI DAMOR	HWN107761	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल जीवीके ईएमआरआई संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जारी प्रमाण पत्र संलग्न क़िया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 40.630 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.510 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ जीवीके ईएमआरआई द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने का प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
98	REKHA KUMARI DAMOR	HWT107712	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर जीवीके ईएमआरआई प्रमाण पत्र संलग्न कर बोनस अंकों का लाभ दिया जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 40.630 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.310 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ जीवीके ईएमआरआई द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				भाग लेने का प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
99	RENUKA	HWN112384	अभ्यर्थियां ने परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी के स्थान पर एमबीसी का प्रमाण पत्र सम्मिलित कर केटेगिरी परिवर्तन करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल श्रेणी में आवेदन किया है। अभ्यर्थिया द्वारा भरे गये डाटा के आधार पर गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 44.920 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थिया की सूची में ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 56.100 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। विभाग द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र भरते समय त्रुटि की गई थी जिसे सुधार करने हेतु विभाग द्वारा दिनांक 13.09.2023 से 19.09.2023 तक परिवेदनाये आमंत्रित की गई थी जिसमें अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई। अब अभ्यर्थिया अपनी श्रेणी परिवर्तन करना चाह रही है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना 17.10.2022 के अनुसार एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों विशेषकर जयेश कुमार बनाम सरकार व सोनल त्यागी बनाम सरकार में पारित निर्णयों के आलोक में किया जाना संभव नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
100	Sanju meena	HWN106356	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 44.960 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.510 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ निजी अस्पताल का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो नियमानुसार बोनस अंक दिए जाने हेतु मान्य नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
101	SANNA KUMARI MEENA	HWT129609	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन करने का उल्लेख कर स्वयं को अन्तरिम चयन सूची में सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.230 प्रतिशत बनते है जो कि अनुसूचित क्षेत्र में दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.310 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
102	SANNA KUMARI MEENA	HWN129720	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.230 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.510 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
103	SONIKA KANWAR	HWT113387	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर आवेदन के समय आरएनसी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र अंकित नहीं होने का उल्लेख कर परिवेदना के साथ आरएनसी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में अनारक्षित वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 41.970 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित क्षेत्र में अनारक्षित वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 53.230 प्रतिशत से कम	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थिया रजिस्ट्रेशन 14.7.2023 को हुआ है जो कि आवेदन की तिथि के बाद का है। अतः आवेदन के समय अभ्यर्थिया नियमानुसार इस भर्ती हेतु पात्र नहीं थी। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
104	SUNITA	HWN131964	अभ्यर्थियां द्वारा परिवदना प्रस्तुत कर आवेदन के समय कोविड अवधी में समान पद कार्य करने वाले विकल्प में NO के स्थान पर YES कर नियमानुसार बोनस अंक देकर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा डाटा में कोविड अवधि में कार्य के संबंध में "NO" अंकित एवं 134 दिवस का अनुभव भरा गया था जिसका कोविड अवधि में "NO" अंकित होने के कारण बोनस अंक नहीं दिये गये फलस्वरूप दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में आमंत्रित नहीं किया गया। विभाग द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र भरते समय त्रुटि की गई थी जिसे सुधार करने हेतु विभाग द्वारा दिनांक 13.09.2023 से 19.09.2023 तक परिवेदनाये आमंत्रित की गई थी जिसमें अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई। अब अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कार्यानुभव कोविड अवधि का होने के कारण बोनस अंक देते हुये अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है जिसे अब स्वीकार नहीं किया जा सकता है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
105	SUNITA	HWN115331	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का जाति वर्ग सामान्य से ईडब्ल्यूएस श्रेणी में त्रुटि सुधार के समय परिवर्तन करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थिया ने दिनांक 27.09.2023 का जारी ईडब्ल्यूएस वर्ग का प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनारक्षित वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 65.470 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनारक्षित वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 65.830 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। विभाग द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र भरते समय त्रुटि की गई थी जिसे सुधार करने हेतु विभाग द्वारा दिनांक 13.09.2023 से 19.09.2023 तक परिवेदनाये आमंत्रित की गई थी जिसमें अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई। अब परिवेदना में अभ्यर्थिया द्वारा ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र पति के नाम से 27.9.2023 का जारी संलग्न किया है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.22 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने सामान्य श्रेणी में आवेदन किया है व आवेदन के समय सम्बन्धित जाति वर्ग में नहीं थे, त्रुटि संशोधन के नाम पर उनका जाति वर्ग परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अतः अभ्यर्थिया को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार रिट याचिका संख्या 13614/2019 जयेश कुमार एवं डी.बी अपील सं 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार के अनुसार आवेदित श्रेणी में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
106	SUNITA DEVI JATAV	HWN122351	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन किया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं के कोविड अवधि में कार्य करने हेतु बताया है किन्तु आशा सहायोगिनी पर कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का दस्तावेज सत्यापन में शामिल करने हेतु निवेदन किया है एवं कैटेगिरी वाईज लिस्ट जारी करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 39.720 उनके अनुसूचित जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 49.190 से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। अभ्यर्थिया ने कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है। दस्तावेज सत्यापन हेतु परिवेदना अब स्वीकार योग्य नहीं है। इस परिवेदना के साथ अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहायोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय आधारित सोशल वर्कर है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
107	SUSHILA KUMARI DEVAT	HWT110147	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 44.730 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.310 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। परिवेदना के साथ संलग्न खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाडी कोटे हेतु मान्य नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
108	TARA PRAJAPAT	HWT128524	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया द्वारा वर्ष 2009 में जामिया उर्दु कक्षा उत्तीण की था। तत्पश्चात एएनएम प्रशिक्षण प्राप्त किया था। प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत वर्ष 2016 में अभ्यर्थिया ने पुनः 10 वीं परीक्षा एनआईओस से उत्तीण की है क्योंकि अभ्यर्थियां को वर्ष 2018 की भर्ती में भी होल्ड कर दिया गया था, जिसका मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ एनआईओस की 10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण अंकतालिका संलग्न करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में अनारक्षित वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 53.190 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित क्षेत्र में अनारक्षित वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 53.230 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना में स्पष्ट उल्लेख किया है कि उनके द्वारा एएनएम कोर्स के पश्चात् 10 कक्षा एनआईओएस के माध्यम से पूर्ण की है जो कि मान्य नहीं की जा सकती है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
109	USHA KUMARI MACHHR	HWT101222	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 37.790 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.310 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
110	VIDHYA KUMARI	HWT113783	अभ्यर्थियां द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग की कट ऑफ 40 प्रतिशत से स्वयं के ज्यादा कुल अंक 41.62 प्रतिशत होने के बाद भी सूची में नाम नहीं आने के कारण परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 41.560 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.310 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
111	VIMLA KUMARI	HWN111726	अभ्यर्थिया ने परिवेदना के संलग्नक में आरएनसी	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं

			प्रमाण पत्र जारी दिनांक 07.07.2023 संलग्न कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 37.720 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जनजाति में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.510 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। अभ्यर्थिया आवेदन के समय आर.एन.सी. में पंजीकृत नहीं थी अतः इस भर्ती हेतु पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
112	VIMLA KUMARI	HWT111698	अभ्यर्थिया ने परिवेदना के संलग्नक में आरएनसी प्रमाण पत्र जारी दिनांक 07.07.2023 संलग्न कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग से आवेदन किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार गणना किये जाने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 37.720 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.310 **प्रतिशत** से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। अभ्यर्थिया आवेदन के समय आर.एन.सी. में पंजीकृत नहीं थी अतः इस भर्ती हेतु पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
113	SAROJ KUMARI YOGI	HWN111300	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का अनुभव प्रमाण पत्र सखी वन स्टॉप सेन्टर महिला अधिकारिता विभाग के होने के आधार पर कुल प्राप्तांक 68.270 प्रतिशत बताते हुये प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया का अनुभव निजी संस्थान का है व निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने से नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं हैं। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट यांचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 38.267 प्रतिशत बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। अन्य पद पर कार्यरत कर्मिकों को बोनस देने की मांग को पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
114	KAMLESH BAI	HWN111464	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित जाति वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान निजी संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 51.150 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 54.140 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा अनुभव जारी किया हुआ नहीं होने के कारण माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 5436/2016 कविता पंवार बनाम सरकार व डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है।कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
115	PINKY MAHAWAR	HWN111576	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर कोरोना काल अवधि में कार्य किये जाने पर 15 बोनस अंकों को जोड़कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 48.292 बनते है जो अनुसूचित जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 54.140 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
116	SONU MEENA	HWN117463	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के गैर अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति श्रेणी की कट ऑफ 50.07 से ज्यादा 63.71 प्रतिशत होने पर भी वरीयता सूची में नाम सम्मिलित नहीं करने पर नाम जोड़ने हतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ कोविड काल में कार्यानुभव का दिनांक 1.2.2023 को 207 दिवस का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निर्धारित प्रपत्र में नहीं है व माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा–निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अनुभव प्रमाणपत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट 'अ' में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगें। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 48.708 प्रतिशत हैं जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 50.075 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
117	PHULA DEVI	HWN120220	अभ्यर्थियां ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया के 61.460 प्रतिशत अंक है तथा मेरा खो–खो प्रमाण पत्र आंगनबाडी सहायिका का एक साल का अनुभव प्रमाण पत्र है दो वर्ष का प्राईवेट हॉस्पीटल का अनुभव है तथा अनुसूचित वर्ग की मेरिट सूची 54.15 प्रतिशत रही है अतः मुझे वरीयता सूची में मेरा नाम सम्मिलित करने की कृपा करें।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान निजी चिकित्सा संस्थान द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाडी कोटे हेतु मान्य नहीं है। आंगनबाडी सहायिका का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य के समान नहीं होने के कारण अभ्यर्थिया को बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में अनुभव का लाभ देने की याचिकाओं (डी.बी. याचिका संख्या 1660/2018 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डी.बी. याचिका संख्या 315/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार) को खारिज किया जा चुका है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 41.456 बनते है जो कि अनुसूचित जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 54.140 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
118	MANISHA GURJAR	HWN123654	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया को अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र (कॉलम संख्या 8 का उल्लेख नहीं) में नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है जो कि विभागीय त्रुटीवश है जो जारीकर्ता एवं सत्यापितकर्ता की जिम्मेदारी में आता है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ अनुभव प्रमाण	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 49.592 उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 52.800 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। माननीय न्यायालय द्वारा सरोज वर्मा बनाम सरकार में पारित निर्णय जिसमें माननीय न्यायालय ने इस भर्ती हेतु विज्ञापन जारी होने की दिनांक के बाद 7.8 बिन्दुओं वाले प्रपत्र में जारी अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य किया	परिवेदना समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि माननीय न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अपील/नो अपील का निर्णय होने तक अभ्यर्थिया का परिणाम जारी नहीं किया जाये।

			पत्र संलग्न कर एमबीसी जाति वर्ग में अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	है के आलोक में परिवेदना समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है।	
119	MEENA KUMARI MEENA	HWN125130	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान 03 फरवरी 2023 का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा द्वारा 560 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। यह प्रमाणपत्र माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा–निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में /सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार में खारिज कर दिया है। अनुभव जारी करने हेतु निर्धारित परिशिष्ट 'अ' में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगें। तथा परिवेदना के साथ 13.06.2023 का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जिसके जारी किए जाने की तिथि संदेहास्पद है क्योंकि अभ्यर्थिया द्वारा दिनांक 16.6.2023 को ऑनलाइन आवेदन किया गया है यदि अभ्यर्थिया के पास तत्समय उक्त अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध थे तो ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न क्यों नहीं किए? अतः ऐसा प्रतीत होता है कि अभ्यर्थिया द्वारा उक्त अनुभव प्रमाण पत्र किसी प्रकार से आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त स्वयं द्वारा आवेदन करने की तिथि इन प्रमाण पत्रों पर अंकित करवा ली गई है। अतः रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप उक्त प्रमाण पत्रों की veracity प्रमाणित नहीं होने के कारण उक्त अनुभव प्रमाण पत्रों को अमान्य किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
120	RENU	HWN127425	अभ्यर्थियां ने परिवेदना प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन के उपरान्त 10वीं, एएनएम एवं अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 71.010 प्रतिशत होना बताते हुये प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ कोविड काल में कार्यानुभव का दिनांक 23.1.2023 को 1219 दिवस का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निर्धारित प्रपत्र में नहीं है व माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अनुभव प्रमाण पत्र हेतु निधारित प्रपत्र परिशिष्ट अ में अनुभव प्रमाण पत्र के प्रारूप में स्पष्ट अंकित है कि केवल विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा–निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 41.008 प्रतिशत बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
121	PANKAJ KUMARI	HWN128014	अभ्यर्थिया ने अनारक्षित महिला वर्ग से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने यूपी का जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंतिम प्रतिशत अंकों की गणना अभ्यर्थिया द्वारा भरे गये डाटा के अनुसार की गई थी जिसके उपरान्त दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियां के डाटा का संशोधन उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कर अंतरिम वरीयता सूची जारी की गई है। अभ्यर्थिया ने अन्य राज्य से जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो नियमानुसार मान्य नहीं है। अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य से नहीं होकर अन्य राज्य द्वारा जारी किया गया है जिसके आधार पर बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अन्य राज्य के अनुभव के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका संख्या याचिका सं 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राज्य सरकार को खारिज किया जा चुका है। अभ्यर्थिया का आवेदन की अन्तिम तिथि तक राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल में पंजीयन नहीं होने के कारण इस पद हेतु पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
122	SANGITA	HWN128354	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया ने 2013 में जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम राज्य सरकार को निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण खारिज कर दिया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 38.617 प्रतिशत हैं जो ओबीसी एनसीएल श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
123	JYOTI KUMARI MEENA	HWN129229	अनुभव बोनस अंक जोडकर सूची में नाम जोडने बाबत।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ कोविड काल में कार्यानुभव का दिनांक 16.1.2023 को 175 दिवस का प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जमवारामगढ़ द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निर्धारित प्रपत्र में नहीं है व माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा–निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। रिट याचिका 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार एवं डी.बी. याचिको सं. 1660/2018 कविता पंवार बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी अनुभव प्रमाण पत्र के अभाव में खारिज कर दिया है। परिशिष्ट अ में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगें। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
124	GAYTRI BHOI	HWT108362	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर संलग्न दस्तावेजों के आधार पर यथा विशेष मूल निवास,	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया केवल कार्य समर्थता एवं चिकित्सकीय प्रमाण पत्र संलग्न किया है	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर

			अनुभव प्रमाण पत्र एवं आरएनसी रिन्युवल रिसिप्ट के आधार पर संशोधन कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को अन्तरिम वरियता सूची में बोनस अंक प्रदान नहीं किये गये है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 35.245 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिगर्व टीएसपी अनारक्षित वर्ग में चयनित अन्तिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 55.225 प्रतिशत से कम होने के कारण अन्तरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवयश्यक नहीं है।	निस्तारित की जाती है।
125	URMILA PATEL	HWT115706	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी डंगरपुर द्वारा 25.6.2018 को लैब सहायक पद का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया हुआ संलग्न किया है जो निर्धारित प्रपत्र में इस भर्ती हेतु जारी किया हुआ नहीं है और न ही महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य का है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 40.040 बनते है जो कि अनुसूचित क्षेत्र में अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 55.217 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
126	DEEPIKA MEENA	HWT124334	अभ्यार्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर द्वारा दिनांक 22.01.2023 को जारी 25.10.2021 से 31.07.2022 तक 279 दिवस का अनुभव जारी किया गया है जो विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के कम में विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के कम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा–निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। परिशिष्ट अ में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगें। अभ्यर्थिया द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी 287 दिवस का एक अन्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि कोविड अवधि का नहीं होने व एक वर्ष से कम होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 38.555 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 47.592 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज कर निस्तारित की जाती है।
127	AMITA	HWN111405	अतंरिम वरियता सूची में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र आफिसर इन्चार्ज इसीएचएस अस्पताल चिडावा द्वारा जारी किया गया है जो निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ नहीं है जिसके कारण अभ्यर्थिया को बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया जा सकता है। रिट याचिका 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार एवं डी.बी. याचिको सं. 1660/2018 कंविता पंवार बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी अनुभव प्रमाण पत्र के अभाव में खारिज कर दिया है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 39.883 बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी–एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

				में चयन नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	
128	ANITA KUMARI	HWN108207	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर बोनस अंक सम्मिलित करते हुए अतंरिम वरियता सूची में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र निजी संस्थान द्वारा जारी किये जाने के कारण बोनस अंकां का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 50.482 उनके जातिवर्ग ओबीसी–एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
129	BHAGWANTI DEVI	HWN127166	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 67. 960 होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि इससे कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थिया द्वारा अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आवेदन के समय अन्य विभाग द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया, जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है, जिसके आधार पर अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार एवं डी.बी. याचिको सं. 1660/2018 कंविता पंवार बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी अनुभव प्रमाण पत्र के अभाव में खारिज कर दिया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 37.961 उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 54.140 से कम होने के अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
130	BHAVNA SHARMA	HWN107065	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोरोना अवधि के अनुभव का लाभ देते हुए अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.125 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया प्राप्तांक प्रतिशत 68.883 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थिया द्वारा आवेदन के समय कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया। वर्तमान परिवेदना के साथ प्रशस्ति पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
131	BHAVNA TAK	HWN115920	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थिया द्वारा केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान निजी संस्थान द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 45. 459 उनके जातिवर्ग ओबीसी–एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 63. 625 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
132	CHANANEE KUMARI	HWN117767	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 65. 100 होने के उपरांत भी चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थिया से कम प्रतिशत वाले अन्य अभ्यर्थी यथा अनिता कुमारी आई0डी0 113305 के कम प्राप्तांक प्रतिशत होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थिया द्वारा कम प्रतिशत वाले अन्य अभ्यर्थियों से तुलनात्मक जांच कर चयन सूची में नाम सम्मिलित किये	अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के कम में विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के कम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा–निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। परिशिष्ट अ में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगें। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 35. 097 उनके जातिवर्ग ओबीसी–एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थियां के प्राप्तांक प्रतिशत 63.	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			जाने हेतु निवेदन किया है।	625 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। आईडी क्रमांक HWN113305 के संबंध प्रस्तुत शिकायत तथ्यहीन है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
133	CHHOTU SARAN	HWN108613	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 75.28 के उपरांत भी अतंरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थिया ने अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में निजी संस्थान द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल वर्ग से किया गया। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 45.275 उनके जातिवर्ग ओबीसी–एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
134	KAVITA KUMARI	HWN126061	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 71.270 अनुसूचित जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक होने पर अंतरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान मॉ सेवा संस्थान, मानसिंह विमंदित एवं पुनर्वास गृह द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया जा सकता है। रिट याचिका 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार एवं डी.बी. याचिको सं. 1660/2018 कविता पंवार बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी अनुभव प्रमाण पत्र के अभाव में खारिज कर दिया है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 41.265 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 54.140 से कम होने के अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
135	Kiran Vishnoi	HWN127422	अभ्याथिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर राजकीय रा. के. हॉस्पिटल, राजसमन्द में 703 दिवस के कार्य अनुभव के आधार पर बोनस अंक देने हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त अनुभव को मानते हुए अंक दिला मेरीट में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा कुल 05 अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये गये जिनमें से राजकीय आर.के. अस्पताल राजसमन्द द्वारा जारी 3 अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये गये है जिसकें अभ्यर्थी को कुल 703 दिवस का अनुभव जारी किया गया है जिसमें से कुछ अवधि कोविड कॉल की है शेष 02 अनुभव प्रमाण पत्र निजी संस्थान द्वारा जारी किये है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को बोनस अंक दिया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के 15 बोनस अंकों संहित कुल प्राप्तांक 56.808 प्रतिशत बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
136	KM NIDHI	HWN102291	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्रतिशत अंक 75.630 होने एवं स्वयं से कम प्रतिशत अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंतिम प्रतिशत अंकों की गणना अभ्यर्थिया द्वारा भरे गये डाटा के अनुसार की गई थी जिसके उपरान्त दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों के डाटा का संशोधन उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कर अंतरिम वरीयता सूची जारी की गई है। अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य से नहीं होकर अन्य राज्य द्वारा जारी किया गया है जिसके आधार पर बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 45.625 बनते है जो कि अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.883 से कम होने के कारण अभ्यर्थिया का अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। अन्य राज्य के अनुभव के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी सं 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राज्य सरकार को खारिज किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				द्वारा अनुभव जारी किया हुआ नहीं होने के कारण माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या .5436/2016 कविता पंवार बनाम सरकार व डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
137	KM RAJNI	HWN115252	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर कोरोना अवधि के अनुभव का लाभ दिया जाकर बोनस अंकों को जोडकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रशस्ति पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया जाना संभव नहीं है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 56.000 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
138	LALITA VAISHNAV	HWT121006	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के जनरल कैटेगरी में की अंतिम मेरिट 55.21 से ज्यादा 55.34 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान निजी संस्थान जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलगन गया था जिसके आधार पर नियमानुसार बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 45.342 प्रतिशत बनते है जो कि अनुसूचित क्षेत्र में अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 55.217 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
139	MINAXI	HWN107308	अभ्यर्थिया ने परिवेदना के संलग्नक में अनुभव प्रमाण पत्र जारी दिनांक 10.02.2023 प्रस्तुत कर बोनस अंकों में सुधार कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चुरू द्वारा एएनएम पद का दिनांक 01.05.2021 से 23.11.2022 तक कुल 572 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया जो कि निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने तथा विज्ञप्ति की दिनांक से पूर्व का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के कम में विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के कम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा–निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में अनुभव का लाभ देने की याचिकाओं (डी.बी. याचिका संख्या 1660/2018 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डी.बी. याचिका संख्या 315/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार) को खारिज किया जा चुका है। परिशिष्ट अ में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगें। अब अभ्यर्थिया द्वारा उक्त अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में जारी करवाकर परिवेदना के साथ संलग्न किया है जो कि संदेहास्पद है क्योंकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु जारी विज्ञप्ति से पूर्व की दिनांक अंकित है जो परिवेदना आमंत्रित किये जाने की दिनांक के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है यदि अभ्यर्थिया के पास उक्त प्रमाण पत्र पूर्व से ही उपलब्ध था तो ऑनलाईन आवेदन के साथ अथवा त्रुटि संशोधन के समय संलग्न किया जाना चाहिये था। रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने अभ्यर्थियों को 07 दिवस में अनुभव प्रमाण पत्र जारी कराने हेतु निर्देशित किया है। अतः तदनुरूप अभ्यर्थिया को नवीन प्रपत्र में प्रमाण पत्र जारी करवाने हेतु कार्यवाही करनी चाहिये	प्रस्तावानुसार अनुमोदित। संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये।

				थी जो कि उनके द्वारा नहीं की गई। अतः अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	
140	MINTU KUMARI	HWN128079	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.00 से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थिया का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है जबकि अभ्यर्थिया का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने एवं आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात का जारी होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया एवं इसका सत्यापन संयुक्त निदेशक द्वारा नहीं किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में अनुभव का लाभ देने की याचिकाओं (डी.बी. याचिका संख्या 1660/2018 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डी.बी. याचिका संख्या 315/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार) को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 50.600 प्रतिशत बनते हैं जो ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने कोरण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
141	MUNESH KUMARI	HWN104424	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जो दोनो ही हरियाणा सरकार द्वारा जारी किये हुए है संलग्न कर चयनित सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया का अनुभव अन्य राज्य का होने से अनुभव का लाभ देय नहीं हैं। विशेष अनुमति याचिका सं 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता की मांग को अन्य राज्य का अनुभव होने के आधार पर खारिज कर दिया है। अन्य राज्य की मूल निवासी होने के कारण अभ्यर्थिया को अनुसूचित जातिवर्ग का आरक्षण का लाभ भी देय नहीं है। इस प्रकार विज्ञप्ति की शर्त अनुसार सामान्य श्रेणी में आवेदन नहीं करने व तद्नुरूप आवेदन शुल्क नहीं देने के कारण अभ्यर्थिया की पात्रता निरस्त की जा सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति योचिका संख्या 8425/2013 रंजना बनाम सरकार में अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में माने जाने के राज्य सरकार के निर्णय को उचित ठहराया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 41.242 सामान्य श्रेणी मे चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्रतिशत प्राप्तांकों से कम होने के चयन से वचित हैं अतः कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
142	NARAYANI	HWN101091	अभ्यर्थियां ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल अंक 72.300 प्रतिशत जो कि कटऑफ से ज्यादा होने एवं स्वयं के कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थियां ने स्वयं के प्राप्तांक 72.300 प्रतिशत बताये हैं जो 30 बोनस अंक जोडकर दर्शाये है। जबकि अभ्यर्थिया ने निजी क्षेत्र का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो विज्ञप्ति की शर्तों एवं नियमानुसार नहीं है। अतः अभ्यर्थिया को बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 42.300 बनते हैं जो अनुसूचित जाति में अंतिम चयनित अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 54.140 से कम होने कें कारण चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
143	NEELISHA RATHORE	HWT123694	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड काल में कार्य किये जाने के पश्चात भी प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ कोविड काल में कार्यानुभव का दिनांक 11.1.2023 को 316 दिवस का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निर्धारित प्रपत्र में नहीं है व माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के कम में विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के कम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा–निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। परिशिष्ट अ में स्पष्ट अंकित है कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगें। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत एक अन्य प्रमाणपत्र 358 दिवस का है जो निर्धारित प्रपत्र में जारी है किन्तु इसमें कोविड अवधि के बाद का अनुभव है व नियमानुसार एक वर्ष से कम का होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थिया ने स्वयं ही 358 दिवस का अनुभव निर्धारित प्रपत्र में जारी करवाया किन्तु 316 दिवस का नहीं करवाया जो संदेहास्पद है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 48.600 बनते हैं जो इनकी आवेदित श्रेणी टीएसपी सामान्य में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 55.217 से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
144	NILAM	HWN124582	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर हाईस्कूल 58.66 प्रतिशत, इण्टर मीडिएट 51.40 एवं एएनएम डिप्लोमा 70.28 अंक एवं 7 वर्ष से अनवरत स्वास्थ्य सेवाओं का अनुभव होने का उल्लेख कर अन्तिम सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंतिम प्रतिशत अंकों की गणना अभ्यर्थिया द्वारा भरे गये डाटा के अनुसार की गई थी जिसके उपरान्त दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों के डाटा का संशोधन उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कर अंतरिम वरीयता सूची जारी की गई है। अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य से नहीं होकर अन्य राज्य द्वारा जारी किया गया है जिसके आधार पर बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। विशेष अनुमति याचिका 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य में याचिकाकर्ता की मांग को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य राज्य का अनुभव होने के कारण खारिज किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा अनुभव जारी किया हुआ नहीं होने के कारण माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या .5436/2016 कविता पंवार बनाम सरकार व डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 45.133 अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.883 से कम होने के कारण अभ्यर्थिया का अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
145	NIRMAL KOUR	HWN111627	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 58.690 प्रतिशत बताते हुए अनुसूचित जाति वर्ग से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंतिम प्रतिशत अंकों की गणना अभ्यर्थिया द्वारा भरे गये डाटा के अनुसार की गई थी जिसके उपरान्त दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों के डाटा का संशोधन उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कर अंतरिम वरीयता सूची जारी की गई है। अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र निजी संस्थान द्वारा जारी किया गया है जिसके आधार पर नियमानुसार बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में अनुभव का लाभ देने की याचिकाओं (डी.बी. याचिका संख्या 1660/2018 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डी.बी. याचिका संख्या 315/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार) को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 43.692 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 54.140 से कम होने के कारण अभ्यर्थिया का अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
146	OMA DEVI	HWN128222	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 74.33 प्रतिशत	दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंतिम प्रतिशत अंकों की गणना अभ्यर्थिया द्वारा भरे	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं

			बताते हुए अनारक्षित महिला वर्ग से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	गये डाटा के अनुसार की गई थी जिसके उपरान्त दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियां के डाटा का संशोधन उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कर अंतरिम वरीयता सूची जारी की गई है। अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य से नहीं होकर अन्य राज्य द्वारा जारी किया गया है जिसके आधार पर बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अन्य राज्य के अनुभव के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका संख्या याचिका सं 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राज्य सरकार को खारिज किया जा चुका है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.333 बनते है जो कि अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.883 से कम होने के कारण अभ्यर्थिया का अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
147	PALU	HWN121315	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का प्रोविजनल चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किये जाने बाबत् बताया है। स्वयं का नाम अंतिम चयन सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन में निजी चिकित्सा संस्थान द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जो विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तानुसार बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल वर्ग से किया गया है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 43.517 प्रतिशत बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
148	PANA GURJAR	HWN108890	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 70.10 प्रतिशत बताते हुए एमबीसी–एनसीएल महिला वर्ग से आवेदन किया है एवं आशा एवं यशोदा पद के अनुभव का लाभ देने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंतिम प्रतिशत अंकों की गणना अभ्यर्थिया द्वारा भरे गये डाटा के अनुसार की गई थी जिसके उपरान्त दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों के डाटा का संशोधन उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कर अंतरिम वरीयता सूची जारी की गई है। अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी नहीं होने के कारण एवं आशा/यशोदा का कार्य महिला स्वांस्थ्य कार्यकर्ता के समान नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार एवं डी.बी. याचिको सं. 1660/2018 कंविता पंवार बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी अनुभव प्रमाण पत्र के अभाव में खारिज कर दिया है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 40.005 एमबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 52.800 से कम होने के कारण अभ्यर्थिया का अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
149	PINKEY KUMAR	HWN111458	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि अनुसूचित वर्ग की कट ऑफ 52 प्रतिशत रही है जबकी प्रार्थिया के कुल अंक 67 प्रतिशत होने के उपरान्त भी लिस्ट में नाम नहीं जोडा गया है अतः वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने की कृपा करें।	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये डाटा के अनुसार की गई थी किन्तु दस्तावेज सत्यापन के दौरा अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर सैकण्डरी एवं व्यावसायिक योग्यता के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 46.979 बनते है जिनके 70 प्रतिशत की गणना करने पर 32.885 प्रतिशत बनते है एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र निजी क्षेत्र का जारी किया होने के कारण अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थिया द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान अन्य राज्य द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

				प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को अनुसूचित जाति वर्ग में नहीं माना गया। इस प्रकार अभ्यर्थिया के वास्तविक कुल प्राप्तांक 32.885 प्रतिशत बनते है जो कि अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.883 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है किन्तु पूर्व में दिया गया बोनस शून्य करना है।	
150	POONAM	HWT117647	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि मैनें टीएसपी एसटी जाति वर्ग में आवेदन किया था जिसमें अंतरिम वरीयता सूची अनुसार टीएसपी एसटी को 47.59 प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का चयन किया गया परन्तु प्रार्थी के टीएसपी एसटी वर्ग में 50.38 प्रतिशत होने के बावजुद भी अंतरिम वरीयता सूची में शामिल नहीं किया गया है। अभ्यर्थियां द्वारा वरीयता सूची में स्वयं को सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र परियोजना अधिकारी स्वच्छ परियोजना द्वारा जारी किया गया है जो सक्षम अधिकारी नहीं है। अतः अनुभव प्रमाणपत्र विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने से अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 40.375 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग टीएसपी एसटी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 47.592 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
151	POONAM RANI	HWN129321	परिवेदना संलग्न नहीं है दस्तावेज संलग्न है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अंतिम प्रतिशत अंकों की गणना अभ्यर्थिया द्वारा भरे गये डाटा के अनुसार की गई थी जिसके उपरान्त दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों के डाटा का संशोधन उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कर अंतरिम वरीयता सूची जारी की गई है। अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य से नहीं होकर अन्य राज्य द्वारा जारी किया गया है जिसके आधार पर बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशतं 48.021 बनते है जो कि अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.883 से कम होने के कारण अभ्यर्थिया का अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। अन्य राज्य के अनुभव के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी सं 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राज्य सरकार को खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
152	RAJANI YADAV	HWN107150	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने के संबंध में उल्लेख करते हुये अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर स्वयं के कुल प्रतिशत 72.37 बताते हुये अन्तिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया हे।	अभ्यर्थिया द्वारा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भिवाडी द्वारा जारी दो अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जो लैब सहायक पद के हैं व अभ्यर्थिया द्वारा लैब में जॉच इत्यादि कार्य सम्पादित किये हैं जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य के समान नहीं हैं। अतः रिट याचिका 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुरूप नियम 19 की पालना करते हुए अभ्यर्थिया द्वारा संपादित कार्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य के समान नहीं होनें के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है।अतः अनुभव के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 42.373 बनते हैं जो इनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
153	REENA KUMARI	HWN119774	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं

			प्राप्तांक सहरिया वर्ग की कटऑफ 44.917 प्रतिशत से ज्यादा 51.370 प्रतिशत अंक होने पर भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने हेतु निवेदन किया है।	स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा 435 दिवस का कोविड काल का जारी अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 19.01.2023 प्रस्तुत किया है जो निर्धारित प्रपत्र में नहीं है व माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा–निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अनुभव प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट 'अ' में अनुभव प्रमाण पत्र के प्रारूप में स्पष्ट अंकित है कि केवल विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 41.367 प्रतिशत बनते है जो कि सहरिया जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 44.917 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
154	RENOO MEENA	HWN101921	परिवेदना के रूप में अभ्यर्थी ने स्वयं के दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित किए जाने की सूची संलग्न की है।	अभ्यर्थिया द्वारा आवेदन के समय अन्य विभाग द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया, जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं है, जिसके आधार पर अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार एवं डी.बी. याचिको सं. 1660/2018 कंविता पंवार बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी अनुभव प्रमाण पत्र के अभाव में खारिज कर दिया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.058 उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 50.075 से कम होने के अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
155	SAMUDEVI	HWN112512	परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 68.340 प्रतिशत होना बताते हुये वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन में निजी चिकित्सालय का अनुभव प्रमाण संलग्न किया जो नियमानुसार मान्य नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 38.337 प्रतिशत हैं जो ओबीसी एनसीएल श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
156	SANJU KUMARI	HWN109541	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने के संबंध में उल्लेख करते हुये स्वयं के कुल प्राप्तांक 68.63 प्रतिशत बताते हुये मेरिट लिस्ट में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया हे।	अभ्यर्थिया ने निजी क्षेत्र के धनवंतारी अस्पताल का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसका विज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार नियमानुसार अनुभव का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 48.625 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
157	SANTOSH KULHARI	HWN101183	परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 75. 500 प्रतिशत होना बताते हुये वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ने स्वयं के 75.500 प्रतिशत दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रितों की सूची के आधार पर निर्धारित किये हैं जा अभ्यर्थिया द्वारा स्वयं भरे थे। अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ गुरूकृपा अस्पताल का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का अनुभव होने से मान्य	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				नहीं है। अभ्यर्थिया ने 10वीं की परीक्षा में 64.5 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं व व्यावसायिक परीक्षा के दोनों वर्षों हेतु एक ही अंकतालिका वर्ष 2013 की संलग्न की है जिसमें 65.5 प्रतिशत अंक हैं। इस प्रकार इनके अंकों का औसत योग 65 प्रतिशत होता है जिसका 70 प्रतिशत 45.500 होता है जो ओबीसी एनसीएल श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
158	SAROJ	HWN108896	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल श्रेणी में स्वयं के कुल प्राप्तांक 74.860 प्रतिशत होने के कारण अंतिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया को दस्तावेज सत्यापन हेतु भर्ती के आवेदन पत्र में उनके स्वयं के द्वारा भरे हुए डेटा के आधार पर आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ चिकित्सा अधिकारी पावटा अस्तपाल जोधपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो निर्धास्ति प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा किया हुआ नहीं है। अतः यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा–निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। डीबी याचिका 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार एवं डी.बी. याचिको सं. 1660/2018 कंविता पंवार बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी अनुभव प्रमाण पत्र के अभाव में खारिज कर दिया है। अतः अनुभव के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 44.858 प्रतिशत हैं जो ओबीसी–एनसीएल श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
159	SHARDA KUMARI BHAGORA	HWT127704	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर टीएसपी अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल 68.93 प्रतिशत अंक होने के बाद भी वरीयता सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है इसलिये वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा परियोजना अधिकारी स्वच्छ परियोजना, डूंगरपुर द्वारा 30.12.2022 को जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। यह अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में अनुभव प्रमाणपत्र जारी करने के दिशा–निर्देशों दिनांक 25.4.2023 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या लालाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय के क्रम में विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के फलस्वरूप 2022 की विज्ञप्ति हेतु जारी किया गया है। 2022 की उक्त विज्ञप्ति निरस्त हो चुकी है। अनुभव प्रमाण पत्र हेतु निधारित प्रपत्र परिशिष्ट अ में अनुभव प्रमाण पत्र के प्रारूप में स्पष्ट अंकित है कि केवल विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अतः बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 38.933 प्रतिशत बनते है जो कि अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 47.592 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
160	SUMAN KANWAR RATHORE	HWN126399	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल अंक 62.430 अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाइन आवेदन के साथ बराला हॉस्पिटल व रिसर्च सेन्टर से 3.5.2022 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो निजी क्षेत्र का अस्पताल है। नियमानुसार केवल राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थानों/परियोजनाओं मे संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को ही अनुभव आधारित बोनस का लाभ देय है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 42.425 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 52.925 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
161	SUNITA	HWN128281	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 75.360 होने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया का अनुभव प्रमाण पत्र लोक सेवा अस्पताल व व्यास जनरल अस्पताल द्वारा जारी किये गये हैं जो निजी क्षेत्र का अस्पताल होने से अनुभव का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 45.358 प्रतिशत हैं जो ओबीसी एनसीएल श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
162	TANU SEHGAL	HWN100535	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 46.92 का उल्लेख करते हुये 10वीं एवं 12वीं उत्तरप्रदेश बोर्ड से, विवाह पश्चात राजस्थान का मूल निवासी होकर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य से पंजिकृत होने एवं व्यवसायिक योग्यता ग्वालियर मध्यप्रदेश का उल्लेख करते हुये अन्तरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.933 प्रतिशत है जो अभ्यर्थिया की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम होने के कारण चयन किया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
163	ANSHU KUMARI KHARADI	HWN122940	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने के कारण बोनस अंकां का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। रिट याचिका 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार एवं डी.बी. याचिको सं. 1660/2018 कंविता पंवार बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी अनुभव प्रमाण पत्र के अभाव में खारिज कर दिया है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित जनजाति वर्ग से किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर गणना करने परे कुल प्राप्तांक 40.440 प्रतिशत दस्तावेज बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अनुसूचित जातिवर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.510 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
164	BHAWAN KUMARI SHARMA	HWN129543	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थिया द्वारा केवल दस्तावेज संलग्न किये गये हैं।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग से किया गया है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर अंकों की गणना करने पर कुल प्राप्तांक 43.760 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में ओबीसी एनसीएल वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 56.100 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया है। अभ्यर्थिया का अनुभव निजी संस्थान का है जिसका कोई लाभ देय नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
165	POONAM YADAV	HWN119620	अभ्यर्थियां ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के 66.850 प्रतिशत अंक जो की ओबीसी एनसीएल तलाकशुदा श्रेणी की कटऑफ से ज्यादा होना	अभ्यर्थिया के बोनस अंकों के अभाव में कुल प्राप्तांक 51.850 प्रतिशत बनते हैं जो ओबीसी एनसीएल विच्छिन्न विवाह श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थिया के प्रतिशत प्राप्तांकों 54.383 से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 5.4.	प्रस्तावानुसार अनुमादित

			बताते हुये स्वयं को मेरिट सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	2024 के अनुसार भुगतान की पुष्टि किये जाकर तद्नुरूप अग्रिम कार्यवाही किया जाना अर्थात यदि भुगतान हो गया है अथवा अभ्यर्थी के कार्यानुभव को भुगतान योग्य माना जा चुका है तो अनुभव का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है अन्यथा नहीं। अभ्यर्थिया ने ऑनलाइन आवेदन के साथ दो अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं जिसमें से एक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बून्दी द्वारा जारी एक दिवस का भुगतान किए जाने की सूचना प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही की जाये। अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत एक अन्य प्रमाणपत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर द्वारा जारी एक वर्ष से कम अवधि का है एवं कोविड अवधि के बाद का है। अतः दिनांक 25.4.2023 कें राज्य सरकार के निर्देशानुसार बोनस अंकों का लाभ देय नहीं हैं।	
166	KUMARI KOMAL	HWN125431	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी की कटऑफ 63 प्रतिशत से ज्यादा स्वयं के कुल अंक 72.570 प्रतिशत अंक होने के कारण अंतिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान तीन अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है जिनमें से एक अनुभव प्रमाण पत्र जो कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा जारी किया गया है, में भुगतान के संबंध में अवगत नहीं कराया गया है जिसके अभाव में अभ्यर्थिया को उक्त अनुभव अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है तथा शेष अनुभव अवधि के आधार पर अभ्यर्थिया को 15 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया जा चुका है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 57.567 उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। अत नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 5.4.2024 के अनुरूप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर से भुगतान की पुष्टि किये जाकर तद्नुरूप अग्रिम कार्यवाही किया जाना अर्थात यदि भुगतान हो गया है अथवा अभ्यर्थी के कार्यानुभव को भुगतान योग्य माना जा चुका है तो अनुभव का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है अन्यथा नहीं, के अनुसार कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार-अनुमोदित
167	POOJA KUMARI	HWN128120	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूच में स्वयं के 67.83 प्रतिशत का उल्लेख करते हुये अन्तरिम सूची में ओबीसी एनसीएल की कटऑफ 63.65 प्रतिशत होते हुये भी सम्मिलित नहीं किया गया है अतः सम्मिलित किये जाने बाबत निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांको की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के अनुसार कर अनारक्षित महिला वर्ग में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रांक 29 दिनांक 17.06.2023 प्रस्तुत किया गया जिसमें अभ्यर्थिया को किसी भी तरह का कोई भुगतान नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 52.833 प्रतिशत बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अत नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 5.4.2024 के अनुरूप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर से भुगतान की पुष्टि किये जाकर तद्नुरूप अग्रिम कार्यवाही किया जाना अर्थात यदि भुगतान हो गया है अथवा अभ्यर्थी के कार्यानुभव को भुगतान योग्य माना जा चुका है तो अनुभव का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है अन्यथा नहीं, के अनुसार कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
168	RAJ KUMARI	HWN128392	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं से	अभ्यर्थिया को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा 9 दिवस का अनुभव	प्रस्तावानुसार अनुमोदित

			कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने के संबंध में उल्लेख करते हुये ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में स्वयं के कुल प्राप्तांक 69.700 प्रतिशत बताते हुये अन्तिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया हे।	प्रमाणपत्र जारी किया गया है किन्तु यह टिप्पणी अंकित की है कि इस अवधि का भुगतान नहीं किया गया। रिट याचिका संख्या 2577/2020 महीपाल लखेरा बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने जितने दिन का भुगतान हुआ है उतने दिन का अनुभव मानने के निर्देश प्रदान किये है। अत नीति निर्धारण समिति के निर्णय दिनांक 5.4.2024 के अनुरूप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर से भुगतान की पुष्टि किये जाकर तदनुरूप अग्रिम कार्यवाही किया जाना अर्थात यदि भुगतान हो गया है अथवा अभ्यर्थी के कार्यानुभव को भुगतान योग्य माना जा चुका है तो अनुभव का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है अन्यथा नहीं, के अनुसार कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।	
169	PUSHPA KUMARI	HWN128429	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नही की गई। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा दिनांक 20.07.2018 से 03.10.2018 तक कुल 76 दिवस, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ चुरू द्वारा दिनांक 13.09.2021 से 31.03.2022 तक 200 दिवस एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर द्वारा दिनांक 04.07.2022 तक 05.12.2022 तक 155 के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये जिनका योग 431 दिवस होता है तथा बोनस 15 बनता है। अभ्यर्थिया को पूर्व में 10 बोनस अंक प्रदान किये गये थे। अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को पूर्व में दिये गये 10 बोनस अंकों के स्थान पर 15 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
170	SANJU CHOUDHARY	HWN122801	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 49.092 प्रतिशत हैं जो ओबीसी एनसीएल श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। अभ्यर्थिया ने ऑनलाइन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा जारी 2039 दिवस का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर इन्हे 30 बोनस अंक देय हैं। अतः अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को 30 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
171	KOSALYA CHOUDHARY	HWN123162	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 68.650 ओबीसी एनसीएल वर्ग की कटऑफ से अधिक होने पर अंतरिम् वरीयता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाईन आवेदन पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा जारी 1826 दिवस एएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। जिसका बोनस 30 अंक बनता है। अभ्यर्थिया को 30 बोनस अंक के स्थान पर 20 बोनस अंक प्रदान किये गये हैं। अभ्यर्थिया के अनुभव प्रमाणपत्रों के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को पूर्व में दिये गये 20 बोनस अंकों के स्थान पर 30 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
172	SHANTI JAT	HWN124217	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल अनुभव दिवस 515 होने एवं कोविड काल में कार्य किये जाने के उपरान्त भी बोनस अंक 15 के स्थान पर 10 दिये गये है जो गलत है इसलिये बोनस अंक सही प्रदान करने हेतु निवेदन किया हे।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ कोविड काल में कार्यानुभव का दिनांक 6.6.2023 को 515 दिवस का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को 15 बोनस अंक देय हैं। अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को 15 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
173	USHA REGAR	HWN125172	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति श्रेणी की कट ऑफ 54.150 प्रतिशत से	अभ्यर्थिया ने ऑनलाइन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द द्वारा 9.6.2023 को जारी 234 दवस का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो कोविड अवधि के	प्रस्तावानुसार अनुमोदित

			स्वयं के ज्यादा कुल 56.350 प्रतिशत होने पर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	बाद का है व एक अन्य प्रमाण पत्र 202 दिवस का कोविड अवधि का है जिसके आधार पर इन्हे 15 बोनस अंक देय हैं। अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को 15 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	
174	TINA KUMARI DAIYA	HWN126005	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाइन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द, द्वारा 8.6.2023 को जारी 200 दिवस का कोविड अवधि का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर इन्हे 15 बोनस अंक देय हैं। अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को 15 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
175	GOMTI DEVI	HWN126128	अभ्यार्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जारी 1171 दिवस का एएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को पूर्व में दिये गये बोनस अंकों के स्थान पर 30 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
176	SAMIM BANO	HWN128521	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 43.667 प्रतिशत हैं जो ओबीसी एनसीएल श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। अभ्यर्थिया द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर द्वारा 06.06.2023 को जारी 1883 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न किया था। अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को 30 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
177	ANIL KUMARI	HWN129404	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.370 प्रतिशत बताते हुये ओबीसी एनसीएल वर्ग की अंतिम कटऑफ प्रतिशत से ज्यादा होने पर भी अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः स्वयं को अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा आनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली द्वारा दिनांक 07.12.2020 से 25.10.2021 तक कुल 305 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को 15 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित।
178	GEETA KUMARI	HWN122563	अभ्यर्थिया द्वार परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 72.186 का उल्लेख करते हुए स्वंय का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाईन आवेदन पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर द्वारा जारी 1892 दिवस एएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जिसके पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को पूर्व में दिये गये 15 बोनस अंकों के स्थान पर 30 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
179	LALITA KUMARI	HWN112630	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया ने स्वंय के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 68.860 का उल्लेख करते हुए स्वंय के औसत प्राप्तांक से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी क्रम संख्या 496, 498, 514 का चयन अंतरिम चयन सूची में हो गया है। अतः अभ्यर्थिया ने स्वंय का नाम अंतरिम चयन सूची में शामिल करने हेतु	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय के द्वारा 1857 दिवस का एएनएम पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को पूर्व में दिये गये 15 बोनस अंकों के स्थान पर 30 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित

			निवेदन किया है।		
180	PAWANDEEP KAUR	HWN125971	प्रार्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि मेरे द्वारा दिनांक 14 सितम्बर 2023 को दस्तावेज सत्यापन कर लिया गया है दस्तावेज जांच सूची के अनुसार मेरे कुल 72.380 प्रतिशत अंक है जबकि विभाग द्वारा जारी प्रोविजनल मैरिट लिस्ट में 63.85 प्रतिशत पर बन्द हुई है और मेरे 72.380 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर भी मेरा नाम दर्ज नहीं किया गया है। अतः मेरा नाम अन्तरिम वरीयता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा 1827 दिवस का एएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया। अभ्यर्थिया को 30 बोनस अंकों के स्थान 20 बोनस अंक प्रदान किये गये हैं। अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को पूर्व में दिये गये 20 बोनस अंकों के स्थान पर 30 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
181	RAJESH KUMARI	HWN125562	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर 3 वर्ष से अधिक का अनुभव प्रमाण पत्र होने एवं स्वयं के कुल प्राप्तांक 75.160 प्रतिशत अंक होने पर भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर द्वारा जारी 3 वर्ष से अधिक अवधि का एएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर 30 बोनस अंकों का लाभ देय है। अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को पूर्व में दिये गये 10 बोनस अंकों के स्थान पर 30 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
182	SAPANA MEENA	HWN126878	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति वर्ग की 50.07 प्रतिशत से ज्यादा 57 प्रतिशत अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा जारी 134 दिवस का कोरोना अवधि में कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जिसका 15 बोनस देय है। अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को 15 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
183	SHEELA DEVI	HWN122176	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी महिला अभ्यर्थियों की मेरिट 63.65 प्रतिशत से ज्यादा 72.30 प्रतिशत होने के बाद भी अंतिम वरीयता सूची में नाम शामिल नहीं करने का उल्लेख करते हुये अंतिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ 2039 दिवस का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है। अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को 30 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
184	DURGA KUMARI SHARMA	HWN125939	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव के 02 वर्ष के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर अंतरिम वरियता सूची में प्राप्तांको की सही गणना किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव अवधि की पुनः गणना कर बोनस अंक संशोधित किये जाने बाबत् निवेदन किया है। साथ ही 379 दिवस एवं 412 दिवस के दो अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिनका योग 731 दिवस होता है तथा बोनस 20 बनता है। अभ्यर्थिया को पूर्व 15 बोनस अंक प्रदान किये गये थे। अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को पूर्व में दिये गये 15 बोनस अंकों के स्थान पर 20 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
185	RAVINA	HWN124635	अनुभव की जॉच कर सूची में नाम जोडने बाबत।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द द्वारा कोविड अवधि का 185 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को 15 बोनस अंक देय हैं। अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन	प्रस्तावानुसार अनुमोदित

				के आधार पर अभ्यर्थिया को 15 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	
186	MANJU	HWN121003	अभ्यर्थिया ने स्वयं के 15 बोनस अंक जोड़ते हुए कुल औसत प्राप्तांक 61.34 प्रतिशत बताते हुए अनुसूचित जाति महिला वर्ग से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के अनुसूचित जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाईन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द द्वारा जारी कोविड स्वास्थ्य सहायक का 200 दिवस का अनुभव संलग्न किया गया था जिसके अनुसार 15 बोनस अंकों का लाभ देय है। अभ्यर्थिया को 15 बोनस अंक के स्थान पर 00 बोनस अंक प्रदान किये गये हैं। अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को 15 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
187	PARMESHWARI	HWN124534	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 68.29 प्रतिशत बताते हुए ओबीसी–एनसीएल महिला वर्ग से आवेदन किया है। अभ्यर्थिया नं आवेदन करते समय ई–मित्र की गलती से अनुभव के कॉलम में नहीं अंकित करने से अवगत कराया है जिसके आधार पर अभ्यर्थियां प्रोविजनल सूची में स्थान बनाने से वंचित रही ह। अभ्यर्थिया को कुल 760 दिवस का अनुभव संलग्न किया है जिसके आधार पर बोनस अंक प्रदान करने हेतु निवेदन किया है। बोनस अंक देने के पश्चात स्वयं के जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाईन आवेदन पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, सवाई माधोपुर एवं सीकर द्वारा कुल 911 दिवस का एएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किये गये, संलग्न किये हैं। अभ्यर्थिया को 20 बोनस अंक के स्थान पर 15 बोनस अंक प्रदान किये गये है। अनुभव प्रमाणपत्रों के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को पूर्व में दिये गये 15 बोनस अंकों के स्थान पर 20 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
188	SUNITA	HWN125506	अभ्यर्थिया ने ओबीसी–एनसीएल वर्ग में आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के औसत प्राप्ताक 78.13 प्रतिशत बताते हुए स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने अनुभव प्रमाण पत्र एवं शैक्षिणिक अंकों के आधार पर स्वयं को प्रोविजनल चयन सूची में सम्मिलिमत करने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाइन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर द्वारा 9.6. 2023 को जारी 1352 दवस का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर इन्हे 30 बोनस अंक देय हैं। अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को 30 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
189	ANITA	HWN116522	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल श्रेणी में 61.11 प्रतिशत अंक होने के	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द द्वारा कोविड अवधि का 201 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है	प्रस्तावानुसार अनुमोदित

			बाद भी चयन नहीं हुआ है जबकि प्रार्थिया से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी hwn123102 एवं hwn124409 का चयन होल्ड पर रखा गया होने का उल्लेख कर सहानुभूति कर उचित परिक्षण करवाकर निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।	जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को 15 बोनस अंक देय हैं। अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को 15 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	
190	CHANDRA KANTA BAGORIYA	HWN112564	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन करने वाले स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनालाईन आवेदन पत्र में दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा 741 दिवस का एएनएम पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जिसके पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को पूर्व में दिये गये 15 बोनस अंकों के स्थान पर 20 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
191	GUDDI PATEL	HWN126126	अभ्यार्थिया ने परिवेदना में स्वयं के प्राप्तांक 75.00 प्रतिशत होने के बावजूद प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित नहीं होना बताया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर द्वारा जारी 2037 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को 30 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
192	MANJU KUMARI	HWN115502	अभ्यर्थियां ने स्वयं के जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाईन आवेदन में .मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द द्वारा जारी में कोविड स्वास्थ्य सहायक का 205 दिवस का अनुभव संलग्न किया गया था जिसके अनुसार 15 बोनस अंकों का लाभ देय है। अभ्यर्थिया को अंतरिम वरीयता सूची बनाते समय 15 बोनस अंक के स्थान पर 00 बोनस अंक प्रदान किये गये हैं। अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को 15 बोनस अंक दिये. जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
193	SANGEETA	HWN114120	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने के संबंध में उल्लेख करते हुये स्वयं के कुल प्राप्तांक 60.77 प्रतिशत बताते हुये अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया हे।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा द्वारा कोविड अवधि का 195 दिवस का जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को 15 बोनस अंक देय हैं। अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को 15 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
194	SANGEETA BAI	HWN120025	परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 78.340 प्रतिशत होना बताते हुये वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाइन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालौर द्वारा जारी 1892 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर 30 बोनस अंक बनते हैं। अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को 30 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
195	SAROJ RAWAT	HWN118681	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का अनुभव प्रमाण पत्र सीएचए पोस्ट का होने के बाद एवं कुल अंक 53.94 प्रतिशत प्राप्ताक बताते हुये प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ कोविड काल में कार्यानुभव का दिनांक 6.6.2023 को 175 दिवस का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है किन्तु अभ्यर्थिया का अनुभव आर.एन.सी. पंजीयन से पूर्व का है। अतः अनुभव का लाभ देय नहीं है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित

196	SEEMA KUMARI SHARMA	HWN122781	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी का अभ्यर्थी होने का उल्लेख कर सीएचए पद का अनुभव प्रमाण पत्र को जोडने एवं कुल प्राप्तांक 55.47 प्रतिशत होने के कारण स्वयं का ईडब्ल्यूएस श्रेणी में चयन कर अंतिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ कोविड काल में कार्यानुभव का दिनांक 6.6.2023 को 202 दिवस का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को 15 बोनस अंक देय हैं। अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को 15 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
197	SUMAN GODARA	HWN126066	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के 10वीं, एएनएम व अनुभव प्रमाण पत्र मिलाकर कुल 74. 780 प्रतिशत अंक होने पर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 44.092 प्रतिशत हैं जो ओबीसी एनसीएल श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहीं है। अभ्यर्थिया ने ऑनलाइन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर द्वारा 14. 6.23 को जारी 1935 दिवस का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर इन्हे 30 बोनस अंक देय हैं। अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को 30 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
198	VIMLA KUMARI	HWN130391	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया द्वारा आइस हॉकी फेडरेशन द्वारा 9जी IHAI National Ice Hockey Championship में भाग लेना आवेदन पत्र में दर्शाया है किन्तु खेल आयोजक फेडरेशन नियमानुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः उपरोक्त आधार पर उत्कृष्ट खिलाडी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थिया ने ऑनलाइन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर द्वारा 7.6.2023 को जारी 246 दिवस का कोविड अवधि का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर इन्हे 15 बोनस अंक देय हैं। अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को 15 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
199	Nirmala	HWN126814	प्राथियां ने 2 अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है और उनकी गणना कर अंतिम वरीयता सूची में नाम शामिल करने हेतु परिवेदना दी है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाईन आवेदन पत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा एवं उदयपुर द्वारा जारी 1836 दिवस एएनएम पद का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। अभ्यर्थिया को 30 बोनस अंक के स्थान पर 20 बोनस अंक प्रदान किये गये है। जिसे 30 बोनस अंक प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। अनुभव प्रमाणपत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर अभ्यर्थिया को पूर्व में दिये गये 20 बोनस अंकों के स्थान पर 30 बोनस अंक दिये जाकर वरीयता सूची में यथास्थान सम्मिलित किया जना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
200	SUNITA SUMAN	HWN111475	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने एवं दस्तावेज सत्यापन के समय अन्य पिछड़ी जाति (एनसीएल) का नया बना हुआ प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने का उल्लेख कर स्वयं का नाम वरीयता सूची में सम्मिलित करवाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद हेतु निर्धारित योग्यता प्राप्त नहीं कर रखी है अपितु जीएनएम की योग्यता प्राप्त कर रखी है। इस प्रकार अभ्यर्थिया की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
201	JYOTI SHARMA	HWN106318	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय का नाम राके गये परिणाम की सूची से हटाकर परित्यक्ता श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण संबंधित राज्य से सत्यापन के अध्यधीन परिणाम रोका गया है। व्यवसायिक योग्यता अंकतालिकाओं की जांच के उपरांत जांच रिपोर्ट के आधार पर अंतिम चयन सूची से पूर्व निर्णय लिया जायेगा। वर्तमान में कोई	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			हेतु निवेदन किया है।	कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
202	MANISHA	HWN110004	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
203	SUNIL YADAV	HWN112310	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर आर्थिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों को उल्लेख कर रोके गये परिणाम को जारी करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
204	DEEPAK KANWAR	HWN112593	अभ्यर्थिया ने कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
205	HEMLATA	HWN116266	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 42.296 कटऑफ प्रतिशत से अधिक होने के कारण स्वंय का नाम रोके गये परिणाम की सूची से हटाकर ओबीसी एनसीएल वर्ग की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
206	SANGITA PATIDAR	HWN119381	अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम होल्ड लिस्ट में होने से अवगत कराया है एवं स्वयं का नाम अंतरिम प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
207	SUMAN KUMARI	HWN120439	अभ्यर्थियां ने कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
208	POONAM	HWN121567	अभ्यर्थियां ने कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है ।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
209	prem kumari jat	HWN124409	अभ्यर्थिया नं स्वयं का नाम परिणाम रोका गयो सूची में होने से अवगत कराया है एवं स्वयं को कोविड अवधि में कार्य करने से अवगत कराया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं को डॉक्यूमेन्ट वेरिफिकेशन में 10 बोनस अंक देने से अवगत कराया है एवं	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			परिवेदना प्रस्तुत कर 15 बोनस अंक देकर अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित करने बाबत् निवेदन किया है।		
210	KANTA	HWN125147	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोरोना अवधि के अनुभव का 15 अंकों का लाभ देते हुए परिणाम क्यों रोका गया है, का कारण स्पष्ट करते हुए अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
211	ASI KUMARI	HWN128980	अभ्यर्थिया ने कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
212	TWINKAL ROAT	HWT118605	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
213	ANKITA KUNWAR RATHORE	HWN123105	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर चयन होल्ड पर रखने के कारण होल्ड श्रेणी से हटाकर अन्तिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
214	POONAM YADAV	HWN104858	अभ्यर्थियां ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में रोके गये परिणाम में होने से अवगत कराया है एवं स्वयं के दस्तावेज संलग्न कर राके गये परिणाम से स्वयं का नाम हटाकर मूल सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
215	DHANPATI	HWN102740	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर रोके गये परिणाम को जारी करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
216	ANJU TOMER	HWN121320	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर विभिन्न कारणों से रोके गये परिणाम का कारण स्पष्ट करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
217	KAMLESH	HWN122696	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 74.287 कटऑफ से अधिक होने के कारण स्वंय का नाम अंतरिम	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
218	KAVITA RANI	HWN114580	अभ्यर्थिया ने कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। केवल व्यवसायिक अंकतालिका संलग्न की है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
219	MANJU KUMARI	HWN124797	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने एवं स्वयं का परिणाम होल्ड रखने का उल्लेख कर एएनएम ट्रेनिंग हरियाणा स्कूल ऑफ नर्सिंग ऐलानाबाद से सम्पन्न करने जो कि मान्यता प्राप्त संस्था से होना बताते हुये परिणाम जारी करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
220	SARVJEET KAUR	HWN120081	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी योग्यता का उल्लेख कर रोके गये परिणाम को जारी करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
221	SONU	HWN124925	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के एएनएम का प्रशिक्षण शिव शक्ति स्कूल ऑफ नर्सिंग से नियमित प्रशिक्षण किया होने का उल्लेख रोके गये परिणाम को जारी करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
222	SONU GOUR	HWN123405	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर एएनएम डिग्री पंजाब से किये जाने का उल्लेख कर रोके गये परिणाम जारी करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
223	SUKHVINDER KAUR	HWN125683	अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम होल्ड लिस्ट में होने से अवगत कराया है एवं स्वयं का नाम अंतरिम प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
224	MAMTA JAT	HWN122073	अभ्यर्थिया ने ओबीसी–एनसीएल वर्ग में परित्यक्ता श्रेणी से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के 10वीं में 50.666 एवं डिप्लोमा में 68.200 प्रतिशत अंक एवं 3 वर्ष से अधिक का अनुभव होना बताया है। अभ्यर्थियां ने दिनांक 02.02.2019 का जारी डिक्री प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			अभ्यर्थिया ने वरीयता सूची में रोके गये परिणाम वाले आवेदकों का ऑबजेक्शन क्लीयर कर आवेदन पत्र स्वीकार कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम शामिल करने बाबत् निवेदन किया है।		
225	ANKITA KUNWAR RATHORE	HWT122950	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर रोके गये परिणाम को जारी करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
226	REKHA MAIDA	HWT116605	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
227	VANDANA PATIDAR	HWT127403	अभ्यर्थियां द्वारा आरएनसी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को स्वीकार कर रोके गये परिणाम को जारी करने का उल्लेख कर मुख्य चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
228	JYOTI GAMETI	HWT120361	अभ्यर्थिया ने परिवेदना के संलग्नक में स्वंय का नवीनतम ओएसपी एसटी जाति प्रमाण पत्र दिनांक 13.09.2023 एवं टीएसपी मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
229	VIMLA KUMARI	HWT126976	अभ्यर्थियां ने कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
230	ANITA BAI	HWN106566	अथ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदन करते समय ई–मित्र के त्रुटीवश सामान्य श्रेणी में आवेदन किया गया था जबकि अभ्यर्थिया परित्यकता श्रेणी में है। अतः अभ्यर्थिया द्वारा डिक्री दिनांक 08.02.2020 प्रस्तुत कर परित्यक्ता श्रेणी में अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
231	JYOTI MEHRA	HWN115876	अभ्यर्थिया ने कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
232	kiran banwaria	HWN106222	अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के	वर्तमान में कोई कार्यवाही

			नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थियां ने परित्यक्ता श्रेणी में आवेदन किया है एवं दिनांक 28.05.2022 की जारी डिक्री संलग्न की है। प्रोविजनल सूची में परित्यक्ता वर्ग में सम्मिलित करने बाबत् निवेदन किया है।	अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	आवश्यक नहीं है।
233	RAJKUMARI JATAV	HWN101465	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर परिणाम रोके जाने का उल्लेख कर जल्द से जल्द परिणाम जारी करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
234	SUMAN LATA	HWN115107	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के दस्तावेज संलग्न कर रोके गये परिणाम को रोके जाने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
235	SUNITA KUMARI	HWN123356	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 10वीं कक्षा के अंकों में 203 के स्थान पर 221 अंक 10वीं एएनएम फाईनल एवं बोनस अंकों को जोड़कर कुल प्रतिशत 57.122 प्रतिशत होने पर कुल प्रतिशत कटऑफ में सुधार करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। अभ्यर्थिया द्वारा गलत गणना कर स्वयं के प्राप्तांक प्रतिशत 57.122 बताये हैं। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
236	ARCHANA LUNAYACH	HWN106107	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया ने विधवा वर्ग में ऑनलाईन आवेदन किया था। अभ्यर्थिया का नाम रोके गये परिणाम की सूची में सम्मिलित है जबकि अभ्यर्थिया से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी यथा ममता कुमारी आई0डी0 HWN109490 तथा मंजु कुमारी आई0डी0 HWN107581 का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित है। अतः अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
237	BASANTI	HWN102451	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अपितु पुर्नविवाह नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
238	ANSEE	HWN114126	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय का नाम रोके गये परिणाम की सूची से हटाकर खेले कोटे की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			हेतु निवेदन किया है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
239	POONAM	HWN125451	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर दस्तावेजों की प्रतिलिपी संलग्न कर रोके गये परिणाम को जारी करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
240	SAROJ	HWN124756	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्ततु कर रोके गये परिणाम का कारण स्पष्ट कर परिवेदना निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
241	PRAVEENA	HWN122499	रोके गये परिणाम को जारी करने बाबत्।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
242	CHANDA DEVI SHARMA	HWN113822	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय का नाम रोके गये परिणाम की सूची से हटाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
243	JYOTSANA DWIVEDI	HWN108582	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय का नाम राके गये परिणाम की सूची से हटाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यवसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता के अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
244	INDRA KUMARI BAMNIYA	HWT103350	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 38.22 होने के बावजूद अंतरिम चयन सूची में नाम नहीं होने तथा अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम सूची में होने का उल्लेख करते हुए स्वयं का नाम अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जाने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने टी.एस.पी. व नॉन टी.एस.पी. दोनो श्रेणियों में आवेदन किया था एवं दस्तावेज सत्यापन सिर्फ टी.एस.पी. आई डी से कराया है किन्तु मेडिकल बोर्ड से परीक्षण नॉन टीएसपी आई डी से कराया है। अतः अभ्यर्थिया का टी.एस.पी. आई डी का परिणाम दिव्यांगता परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन रोका गया है। नॉन टीएसपी आईडी से प्राप्त दिव्यांगता रिपोर्ट पर बोर्ड को स्पष्ट टिप्पणी अंकित करने हेतु अनुरोध किया गया है जिसके अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
245	KALAWATEE	HWT105628	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय का नाम राके गये परिणाम की सूची से हटाकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने गैर अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित क्षेत्र दोनों ही जगह आवेदन किया हैं किन्तु इन्होने दिव्यांगता परीक्षण गैर अनुसूचित क्षेत्र की आई डी कमांक HWN105698 एवं अनुसूचित क्षेत्र की आई डी HWT105628 दोनो से करवाया किन्तु दस्तावेज सत्यापन केवल अनुसूचित क्षेत्र की आई डी HWT105628 से करवाया। फलस्वरूप इनकी गैर अनुसूचित क्षेत्र की आई डी दस्तावेज सत्यापन नहीं होने के कारण अनुपस्थित की श्रेणी में आ गई एवं जिस आई डी पर दस्तावेज सत्यापन हुआ उस आई डी का परिणाम उस आई डी के दिव्यांगता परीक्षण की रिपोर्ट अंतरिम चयन सूची जारी करने हेतु अनुमोदनार्थ पत्रावली	प्रस्तावानुसार अनुमोदित

				प्रेषित करते समय रिपोर्ट प्राप्ति की सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण रोक दिया गया अन्तिम चयन सूची जारी होने तक रिपोर्ट प्राप्त हो गई हो तो परिणाम जारी किया जाना प्रस्तावित है।	
246	RAKMESHWARI MAIDA	HWT127260	अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम होल्ड लिस्ट में होने से अवगत कराया है एवं स्वयं का नाम अंतरिम प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने गैर अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित क्षेत्र दोनों ही जगह आवेदन किया हैं इन्होने दिव्यांगता परीक्षण गैर अनुसूचित क्षेत्र की आई डी क्रमांक HWN127359 एवं अनुसूचित क्षेत्र की आई डी HWT127260 दोनो से करवाया। मेडिकल बोर्ड दोनों ही बार इन्हे दिव्यांगता प्रतिशत के मूल्यांकन हेतु सवाई मान सिंह अस्पताल को रैफर किया गया। किन्तु अभ्यर्थिया मूल्यांकन हेतु उपस्थित नहीं हुई। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 3.7.2024 में लिये गये निर्णय अनुसार मेडिकल बोर्ड से पुष्टि कराया जाकर तदनुसार कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
247	NEMI	HWN119822	अभ्यर्थिया कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल स्वयं के दस्तावेज संलग्न किये है। अभ्यर्थियां विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थिया की दिव्यांगता की सवाई मानसिंह चिकित्सालय द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का पुर्नसत्यापन होना है। मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता अन्य राज्य से होने के कारण व्यावसायिक योग्यता के अग्रिम सत्यापन हेतु भी परिणाम रोका जा सकता है जिसे अभ्यर्थिया की व्यावसायिक योग्यता की अंकतालिकाओं की जॉच के उपरान्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर निस्तारित किया जायेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
248	ANITA KUMARI GURJAR	HWN106282	कोई परिवेदना संलग्न नहीं है, केवल दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थिया का परिणाम कतिपय दस्तावेजों की पुनः जॉच किये जाने के उद्देश्य से रोका गया था। सत्यापन के अध्यधीन परिणाम जारी कर दिया जायेगा।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
249	VIMLA	HWN108188	अभ्यर्थियां ने कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया के आर.एन..सी. रजिस्ट्रेशन के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। आर. एन.सी. से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
250	SUBHITA MEENA	HWN113165	अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम होल्ड लिस्ट में होने से अवगत कराया है एवं स्वयं का नाम अंतरिम प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया का परिणाम कतिपय दस्तावेजो की पुनः जॉच किये जाने के उद्देश्य से रोका गया था। अंतिम चयन सूची जारी करने से पूर्व आवश्यक कार्यवाही संपादित कर ली जावेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
251	KAMLESH GURJAR	HWN118844	अभ्यर्थिया ने कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है।	अभ्यर्थिया के आर.एन..सी. रजिस्ट्रेशन के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। आर. एन.सी. से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
252	VIMLA NAGAR	HWN119002	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया के आर.एन..सी. रजिस्ट्रेशन के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। आर. एन.सी. से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
253	SUMAN DEVI	HWN131911	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के नियमानुसार शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी समस्त योग्यता का विवरण प्रस्तुत कर रोके गये परिणाम को जारी करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के आर.एन..सी. रजिस्ट्रेशन के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। आर. एन.सी. से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
254	JAYSHREE	HWT117185	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय का नाम	अभ्यर्थिया के आर.एन..सी. रजिस्ट्रेशन के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। आर.	वर्तमान में कोई कार्यवाही

	RATHOD		रोके गये परिणाम की सूची से हटाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	एन.सी. से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	आवश्यक नहीं है।
255	LAXMI BHEEL	HWN117258	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल 55.130 प्रतिशत होने का उल्लेख कर अन्तिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवदन किया है।	अभ्यर्थिया के आर.एन..सी. रजिस्ट्रेशन के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। आर. एन.सी. से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
256	SANJU MEENA	HWN119254	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर आधार कार्ड में त्रुटी होने के कारण परिणाम स्थगित करने का उल्लेख कर जमा किये गये आवेदन में दस्तावेज संसोधित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के आर.एन..सी. रजिस्ट्रेशन के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। आर. एन.सी. से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
257	BHAWNA GANGWAL	HWN110150	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है।	अभ्यर्थिया का परिणाम कतिपय दस्तावेजो की पुनः जॉच किये जाने के उद्देश्य से रोका गया था। सत्यापन के अध्यधीन परिणाम जारी कर दिया जायेगा।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
258	KHUSHBU BAIRWA	HWN110253	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय का नाम रोके गये परिणाम की सूची से हटा कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया का परिणाम कतिपय दस्तावेजो की पुनः जॉच किये जाने के उद्देश्य से रोका गया था। सत्यापन के अध्यधीन परिणाम जारी कर दिया जायेगा।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
259	NEETU KAMAR	HWN127006	अभ्यर्थियां ने स्वयं का नवीनतम ससुराल पक्ष का मूल निवास प्रमाण पत्र एवं विवाह प्रमाण पत्र में विवाह तिथि सही करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के आर.एन..सी. रजिस्ट्रेशन के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। आर. एन.सी. से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
260	RANU VARMA	HWN110235	दस्तावेजों की जांच कर अंतिम वरीयता सूची में नाम शामिल करने बाबत्।	अभ्यर्थिया का परिणाम कतिपय दस्तावेजो की पुनः जॉच किये जाने के उद्देश्य से रोका गया था। सत्यापन के अध्यधीन परिणाम जारी कर दिया जायेगा।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
261	RENU KUMARI	HWN104300	कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	अभ्यर्थिया का परिणाम कतिपय दस्तावेजो की पुनः जॉच किये जाने के उद्देश्य से रोका गया था। सत्यापन के अध्यधीन परिणाम जारी कर दिया जायेगा।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
262	MALLIKA GHASAL	HWN118648	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात भी परिणाम होल्ड करने करने का उल्लेख किया है साथ ही सीनियर व मेट्रिक तथा नर्सिंग में कुल 63.93 प्रतिशत अंक होने के बावजूद भी स्वयं से कम नंबर वाले अभ्यर्थियों का चयन होना बताते हुये स्वयं के कुल 63.93 प्रतिशत अंकों के आधार पर अंतरिम चयन सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के आर.एन..सी. रजिस्ट्रेशन के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। आर. एन.सी. से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
263	MAMTA KUMARI	HWN116195	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि समस्त दस्तावेज सही होने के बाद भी परिणाम रोक लिया गया, का निराकरण	अभ्यर्थिया के आर.एन..सी. रजिस्ट्रेशन के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। आर. एन.सी. से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			कर अंतिम सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
264	MONIKA	HWN121658	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर रोके गये परिणाम सूची से नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के आर.एन..सी. रजिस्ट्रेशन के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। आर. एन.सी. से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
265	PREETI KANWAR	HWN122879	अभ्यर्थियां द्वारा जाति प्रमाण पत्र जो कि शपथ पत्र के साथ एक वर्ष से पुराना लगाया था वह भी अब नवीनतम प्रमाण पत्र संलग्न कर रोके गये परिणाम को जारी करने कर दस्तावेज संबंधी त्रुटि से जल्दी अवगत करवाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के आर.एन..सी. रजिस्ट्रेशन के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। आर. एन.सी. से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
266	SANA SOFI	HWN122987	अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम होल्ड लिस्ट में हाने से अवगत कराया है एवं स्वयं का नाम अंतरिम प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के आर.एन..सी. रजिस्ट्रेशन के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। आर. एन.सी. से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
267	SEEMA KUMARI	HWN119226	अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम होल्ड लिस्ट में हाने से अवगत कराया है एवं स्वयं का नाम अंतरिम प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के आर.एन..सी. रजिस्ट्रेशन के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। आर. एन.सी. से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
268	SUNITA YADAV	HWN115743	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर नवीन मूल निवास प्रमाण पत्र एवं केन्द्र सरकार के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न कर स्वंय का नाम रोके गये परिणाम की सूची से हटकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के आर.एन..सी. रजिस्ट्रेशन के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। आर. एन.सी. से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
269	BHAWANA GAUTAM	HWN114838	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय की औसत प्राप्तांक प्रतिशत 58 होने का उल्लेख करते हुए ईडब्ल्यूएस वर्ग की कटऑफ से अधिक होने के उपरांत भी रोके गये परिणाम की सूची में नाम अंकित किया गया है, का उल्लेख किया गया है। अभ्यर्थिया द्वारा अंतरिम सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थिया के आर.एन..सी. रजिस्ट्रेशन के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। आर. एन.सी. से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
270	HARSHITA CHATURVEDI	HWN102938	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर रोके गये परिणाम को जारी करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया का परिणाम कतिपय दस्तावेजो की पुनः जॉच किये जाने के उद्देश्य से रोका गया था। सत्यापन के अध्यधीन परिणाम जारी कर दिया जायेगा।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
271	KHUSHBU SHARMA	HWN103694	अभ्यर्थिया ने परिवेदना के संलग्न में ईडब्ल्यूएस का नया जारी प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए	अभ्यर्थिया का परिणाम कतिपय दस्तावेजो की पुनः जॉच किये जाने के उद्देश्य से रोका गया था। सत्यापन के अध्यधीन परिणाम जारी कर दिया जायेगा।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			निवेदन किया है कि यदि अभ्यर्थिया का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से परिणाम रोका गया है तो कारण स्पष्ट करते हुए परिणाम जारी करने हेतु निवेदन किया है।		
272	PINKESH GAUTAM	HWN111131	अभ्यर्थिया ने परिवेदना के संलग्नक में ईडब्ल्यूएस का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रोके गये परिणाम को जारी करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के आर.एन..सी. रजिस्ट्रेशन के अग्रिम सत्यापन हेतु परिणाम रोका गया है। आर. एन.सी. से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
273	VISHNU SHARMA	HWN104308	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थिया का परिणाम कतिपय दस्तावेजो की पुनः जॉच किये जाने के उद्देश्य से रोका गया था। सत्यापन के अध्याधीन परिणाम जारी कर दिया जायेगा।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
274	SHWETA RAO	HWN126326	अभ्यर्थियां द्वारा रोके गये परिणाम को जारी करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थी ने दो ऑनलाईन आवेदन किए है जिनकी आई.डी. क्रमांक 126145 एवं 126326 है अभ्यर्थी आई.डी. क्रमांक 126145 पर दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हुई है। जिसका परिणाम राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल से पंजीयन का सत्यापन प्राप्त नहीं होने के कारण रोका गया था। पंजीयन का सत्यापन उपरान्त तदनुसार कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
275	SUSHILA KUMARI	HWN100815	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
276	AMITA PATEL	HWN101103	अर्तरिम वरियता सूची में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
277	ANITA SHARMA	HWN104537	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
278	KAMALA KUMARI	HWN118600	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
279	SULOCHANA	HWN120585	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग में विशेष योग्यजन श्रेणी में स्वयं के कुल 54.360 प्रतिशत होने व स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर मेरिट लिस्ट में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
280	SAMPAT MEENA	HWN123655	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
281	MANJU KUMARI	HWN123908	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 69.970 प्रतिशत बताते हुए ओबीसी–एनसीएल महिला वर्ग से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
282	SEEMA	HWN125309	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अन्य पिछडा वर्ग की मेरिट 63.65 प्रतिशत से ज्यादा 81.570 होने के बाद भी अंतिम वरीयता सूची में नाम शामिल नहीं करने एवं राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट संख्या 14485 का उल्लेख करते हुये अंतिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
283	LALITA BAI KHATEEK	HWN126138	कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

284	RAJBALA KUMARI	HWN127038	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की गई है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
285	premila sompura	HWT101436	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के प्राप्तांक 84.27 प्रतिशत होने के बावजूद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
286	LAXMI DEVI PARMAR	HWT107559	कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
287	HEM LATA PARMAR	HWT116086	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर इसके संलग्न में जामिया उर्दु अलीगढ अदीब की अंकतालिका एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर स्वंय के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 47.48 होने तथा अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम सूची में होने का उल्लेख करते हुए स्वंय का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
288	HANSA KUMARI KOTED	HWT117505	अभ्यार्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
289	durga ninama	HWT127660	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है अपितु सैकेण्डरी जामिया की अंकतालिका, याचिका संख्या 1457/2021 के आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			गये है।	परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
290	GEETA ROAT	HWT128386	अभ्यार्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
291	ANITA POONIA	HWN122573	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के प्राप्तांक प्रतिशत 84.290 ओबीसी–एनसीएल की कट–ऑफ से अधिक होने के कारण वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
292	ASHA KUMARI	HWT110139	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित वर्ग श्रेणी की मेरिट 47.592 प्रतिशत से ज्यादा 48.57 प्रतिशत होने के बाद भी अंतिम वरियता सूची में नाम शामिल नहीं करने का उल्लेख करते हुये अंतिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
293	BABITA KUMARI	HWN124203	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय की औसत प्राप्तांक प्रतिशत 82.17 ओबीसी–एनसीएल की कटऑफ 63.65 से अधिक होने के कारण अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
294	DIMPAL	HWN127261	अभ्यर्थिया ने परिवदना प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
295	FARZANA BANO	HWN111411	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया के ओबीसी जाति वर्ग में विधवा श्रेणी में कुल प्राप्तांक प्रतिशत 66.180 है। अभ्यर्थिया ने जामिया उर्दू अलीगढ की अदीब को	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			सैकेण्डरी के समकक्ष मानकर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का उल्लेख करते हुए ओबीसी विधवा वर्ग में प्राप्तांक प्रतिशत कटऑफ से अधिक होने के कारण अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
296	JADAV KUMARI	HWN104518	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर इसके संलग्न में जामिया उर्दु अलीगढ़ अदीब की अंकतालिका एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर स्वंय के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 77.52 कटऑफ से अधिक होने का उल्लेख करते हुए स्वंय का नाम विशेष योग्यजन सामान्य श्रेणी में अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
297	JAY BALA	HWN127276	अभ्यर्थिया ने जामिया उर्दू अलगढ़ अदीब अंकतालिका एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया द्वारा आवेदन के साथ आरएनसी प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान अन्य दस्तावेजों के साथ आरएनसी प्रोविजनल सर्टिफिकेट एवं आरएनसी मूल प्रमाण पत्र जमा कराने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया। अभ्यर्थिया ने अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
298	JETHI DEVI	HWN125803	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर सैकेण्डरी परीक्षा जामिया उर्दु अलीगढ से उत्तीर्ण होने तथा अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने का उल्लेख करते हुए अनुभव का लाभ दिया जाकर अंकों के आधार पर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
299	KAMLA KUMARI MEENA	HWT120651	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर सैकेण्डरी परीक्षा जामिया उर्दु अलीगढ से उत्तीर्ण अंकतालिका संलग्न कर स्वंय से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख करते हुए अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

300	SEEMA	HWN111893	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 77.460 आबीसी–एनसीएल की कटऑफ प्रतिशत 63.00 से अधिक होने पर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
301	KAMLESH	HWN106550	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 52.10 सामान्य विधवा वर्ग की कटऑफ से अधिक होने के कारण सामान्य विधवा वर्ग की अंतरिम च्यन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
302	KHEMA KUMARI BARJOD	HWT125567	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर इसके संलग्न में जामिया उर्दु अलीगढ अदीब की अंकतालिका एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर अनुसूचित जनजाति वर्ग में स्वंय के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 58.27 होने के उपरांत भी चयन अंतरिम सूची में नहीं होने का उल्लेख करते हुए स्वंय का नाम अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जाने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
303	KIRANDEEP KOUR	HWN124636	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग में स्वयं के कुल 67.840 प्रतिशत अंकों का उल्लेख कर चयन सूची में पुनः जांच कर अंतिम वरीयता सूची में नाम जोडने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
304	KM VIMLA	HWN126613	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक प्रतिशत स्वयं की जाति वर्ग अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग की कटऑफ से ज्यादा होने पर भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम मेरिट सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
305	KRISHNA GURJAR	HWN128036	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर इसके संलग्न में जामिया उर्दु अलीगढ अदीब की अंकतालिका एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया के सीएचए पद के अनुभव के पद	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			का लाभ देकर बोनस अंकों को जोडा जाये जिससे औसत प्राप्तांक प्रतिशत 64.85 है जो एमबीसी जाति वर्ग की कटऑफ प्रतिशत से अधिक होने के कारण एमबीसी जाति वर्ग की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया जावें।	परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
306	KRISHNA KANWAR	HWN131918	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर इसके संलग्न में जामिया उर्दु अलीगढ अदीब की अंकतालिका एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर अभ्यर्थिया के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 55.34 ईडब्ल्यूएस वर्ग की कटऑफ से अधिक होने के कारण अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
307	KUSUM	HWT102641	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर टीएसपी अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल 49.69 प्रतिशत अंक होने के कारण वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
308	LALITA KANWAR	HWN122024	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 55.38 प्रतिशत बताते हुए आर्थिक पिछड़ा महिला वर्ग से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
309	LALITA KUMARI	HWT112462	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 49.69 प्रतिशत बताते हुए टीएसपी–एसटी महिला वर्ग से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
310	LAXMI DEVI	HWN103335	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर

				विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	निस्तारित की जाती है।
311	LICHHAMA DAIDU	HWN129752	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के विशेष योग्यजन श्रेणी में 82.610 प्रतिशत अंक बताकर स्वयं से कम पतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर चयन सुची की पुनः जांच करवाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
312	MADHU KANTA	HWT115656	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 10वीं की मार्कशीट जामिया उर्दू से जिसका रजिस्ट्रेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से करवा रसीद की प्रति संलग्न करने एवं एएनएम की डिग्री मध्यप्रदेश से होने एवं इसका भी रजिस्ट्रेशन जयपुर से करवाने एवं अनुभव सर्टिफिकेट भी लगा होने का उल्लेख कर विभागीय जांच कर सन्तोषप्रद जवाब देते हुये सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
313	MAINA KUMARI	HWN123883	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि एएनएम की मार्क्स गलती से 1500 मे से 832 भरे गये थे जबकि मार्कशीट के अनुसार सही अंक 1000 में से 832 है अतः 1000 में से 832 करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
314	MANBHARI	HWN128288	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर इसके संलग्न में जामिया उर्दु अलीगढ अदीब की अंकतालिका एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर स्वंय के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 49.250 होने तथा अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों यथा माया कुमारी जो कि क्रम संख्या 2283 पर है, का चयन अंतरिम सूची में होने का उल्लेख करते हुए स्वंय का नाम विधवा वर्ग की अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जाने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
315	MANI KUMARI MEENA	HWT117658	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर इसके संलग्न में जामिया उर्दु अलीगढ अदीब की अंकतालिका	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर

			एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर स्वंय के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 52..91 होने का उल्लेख करते हुए स्वंय का नाम अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जाने का निवेदन किया है।	विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	निस्तारित की जाती है।
316	MANJU LATA	HWN125955	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 62.780 प्रतिशत बताते हुए अनुसूचित जाति वर्ग से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविज्नल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
317	MEENA KUMARI	HWT124856	अभ्यार्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर बताया है कि टीएसपी/एसटी में मेरिट 46.36 है एवं अभ्यार्थिया के 46.36 प्रतिशत टीएसपी/एसटी में प्राप्तांक है। अभ्यर्थिया ने जांच कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
318	MUNESH KUMARI	HWN110874	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कल प्राप्तांक 50.44 प्रतिशत होने का उल्लेख कर स्वयं से कम प्रतिशत वालो का चयन होना बताया है जिनकी आईडी क्रमांक निम्नानुसार है:–HWN119625, HWN129186	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं हैं अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
319	MUNNI	HWN113920	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर विडो कैटेगरी में आवेदन एवं 10वीं परीक्षा जामिया उर्दू अलिगढ से 53 प्रतिशत अंकों से उर्त्तीण करने का उल्लेख कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 46 प्रतिशत बताते हुये प्रोविजनल सूची में शामिल करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं हैं अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
320	NEELAM PARVEEN	HWN117713	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के 10वीं, एएनएम एवं पीपीपी मोड पर कार्यअनुभव 1029 दिवस को जोडकर कुल 70.75 प्रतिशत बनने एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी की कट ऑफ 53 प्रतिशत से ज्यादा होने का उल्लेख कर माननीय उच्च	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			न्यायालय जयपुर ने सिविल रिट पिटीशन संख्या 15144 का फैसला दिनांक 10.02.2022 को प्रार्थी के पक्ष में ज्वाईनिंग करने के संबंध में प्रति संलग्न कर अंतरिम सूची में नाम जोड़ने के संबंध में निवेदन किया है।		
321	NISHA	HWN131944	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 56.99 का उल्लेख करते हुए अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
322	PARVESH KUMARI	HWN125824	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि मेरा नाम एएनएम भर्ती 2023 की भर्ती में दस्तावेज सत्यापन लिस्ट में कमांक नं 3393 आवेदन नः भ्च्छ125824 68.88 जनरल व ईडब्ल्यूएस 52.99 प्रतिशत रही है। जिसका सत्यापन दिनांक 14.09.2023 को 2 च्ड से 4 च्ड तक किया गया उक्त पश्चात दिनांक 07.10.2023 को प्रोविजन लिस्ट जारी कि गई जिसमें मेरा नाम आवेदन नम्बर और दुसरी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं पाई गई। जबकी जनरल 68. 88 प्रतिशत गई है। और मेरा प्रतिशत अंक 81. 916 प्रतिशत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरा नाम प्रोविजनल लिस्ट व फाईनल लिस्ट में जोडने की कृपा करें।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
323	POONAM KANWAR	HWN126155	अभ्यर्थियां ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी से आवेदन कर स्वयं के 52.93 प्रतिशत अंक बताये है जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी की कटऑफ से ज्यादा होना बताया है। अभ्यर्थी ने स्वयं को मेरिट सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
324	PRAMILA	HWT104512	कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
325	PRIYANKA SHARMA	HWN107621	अभ्यर्थिया ने परिवेदना के संलग्नक में जामिया उत्तीण अंकतालिका एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर स्वंय का नाम ईडब्ल्यूएस श्रेणी में अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
326	REKHA DAMOR	HWT125005	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति वर्ग का अभ्यर्थी बताकर स्वयं के प्राप्तांक 58.34 प्रतिशत अंक होने एवं पीपीपी मोड पर काम कर बोनस अंक प्रदान कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करवाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
327	SANTOSH KUMARI	HWN125502	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग की 55 प्रतिशत से ज्यादा 62.720 प्रतिशत अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
328	SANTOSH KUMARI	HWN126149	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग की 55 प्रतिशत से ज्यादा 77.130 प्रतिशत अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
329	SHAHNAZ KHAN	HWN126763	अभ्यथियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल Disability Certificate की प्रति भी संलग्न की है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
330	SHEELA JAGGAL	HWN124131	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी–एनसीएल विडो श्रेणी की मेरिट 38.10 प्रतिशत से ज्यादा 81.10 प्रतिशत होने के बाद भी अंतिम वरीयता सूची में नाम शामिल नहीं करने का उल्लेख करते हुये अंतिम वरीयता सूची	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
331	SHEELA KUMARI	HWN122223	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित वर्ग श्रेणी की मेरिट 54.15 प्रतिशत से ज्यादा 65. 61 प्रतिशत होने के बाद भी अंतिम वरीयता सूची में नाम शामिल नहीं करने का उल्लेख करते हुये अंतिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
332	subhita kumari	HWN113118	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर समस्त दस्तावेज संलग्न कर अन्तिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
333	SULOCHANA	HWN127375	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल श्रेणी में स्वयं के कुल अंक 63.95 अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
334	SUNITA KUMARI	HWN125800	अभ्यर्थिया ने ओबीसी–एनसीएल वर्ग में आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के 10वीं प्राप्ताक 70.33 प्रतिशत, एएनएम में 80.90 प्रतिशत एवं 10 बोनस अंक बताते हुए स्वयं को प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
335	SUNITA KUMARI	HWN112186	अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के औसत प्राप्ताक 52.05 प्रतिशत बताते हुए स्वयं के प्राप्तांक कटऑफ प्रतिशत से अधिक होने बावजूद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
336	SUREKHA KUMARI	HWT119040	अभ्यर्थियां ने परिवेदना क साथ जामिया उर्दू अलिगढ अंकतालिका एवं अन्य दस्तावेज संलग्न	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर

	BHANAT		कर दस्तावेजों की जांच होने तक स्वयं का नाम रोके गये परिणाम में सुरक्षित रखे जाने हेतु निवेदन किया है।	विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	निस्तारित की जाती है।
337	VANDNA	HWN103621	अभ्यर्थियां द्वारा अंतरिम वरीयता सूची में स्वयं की श्रेणी/वर्ग में घोषित निर्धारित कट ऑफ से अधिक प्राप्तांक होने पर भी नाम सम्मिलित नहीं करने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
338	VIJAYA PARGI	HWT117944	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति वर्ग की कट ऑफ 47 प्रतिशत से स्वयं के ज्यादा 50.58 प्रतिशत अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
339	VINOD	HWN125628	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 78.700 प्रतिशत बताते हुए ओबीसी–एनसीएल वर्ग से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
340	VINOD	HWN123125	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 54.170 प्रतिशत बताते हुए एमबीसी–एनसीएल वर्ग से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
341	RAJ KUMARI	HWN111133	परिवेदना संलग्न नहीं है। दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थिया द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की परीक्षा उत्तीर्ण की है जबकि नियमानुसार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु अभ्यर्थी को दसवीं पास होना चाहिये। विज्ञप्ति में भी उपरोक्त ही योग्यता उल्लेखित है। बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों में जामिया उर्दू, अलीगढ़ से अदीब की	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				परीक्षा सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त कारण से अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
342	KOMAL BAIRWA	HWN112796	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 20.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता काईफोस्कोलियोसिस (**Kyphoscoliosis**) श्रेणी की हैं जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एल.एच.वी) का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1. LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4. SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5. MD Involving (a) to (d) above माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 12185/2024 नितिन पारीक बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.8.2022 के मध्यनजर भर्ती प्रकिया में सम्मिलित कर मेडिकल बोर्ड से परीक्षण के अध्याधीन परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
343	JHIMAN	HWN106695	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के प्राप्तांक प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम सूची में होने का उल्लेख करते हुए स्वंय का नाम विशेष योग्यजन ओबीसी–एनसीएल जाति वर्ग में अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाने का निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड परीक्षण दिनांक 13.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता काईफोस्कोलियोसिस (Kyphoscoliosis) श्रेणी की हैं जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एल.एच.वी) का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 12185/2024 नितिन पारीक बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.8.2022 के मध्यनजर भर्ती प्रकिया में सम्मिलित कर मेडिकल बोर्ड से परीक्षण के अध्याधीन परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
344	MANJU KUMARI DANGI	HWN125573	अभ्यर्थिया ने स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 56.00 प्रतिशत बताते हुए ओबीसी–एनसीएल महिला वर्ग में पीएच श्रेणी से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 14.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता काईफोस्कोलियोसिस (**Kyphoscoliosis**) श्रेणी की हैं जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एल.एच.वी) का पद केवल निम्नांकित	प्रस्तावानुसार अनुमोदित

			प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1. LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4. SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5. MD Involving (a) to (d) above माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 12185/2024 नितिन पारीक बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.8.2022 के मध्यनजर भर्ती प्रकिया में सम्मिलित कर मेडिकल बोर्ड से परीक्षण के अध्याधीन परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	
345	NIRMALA	HWN100280	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 46.760 प्रतिशत बताते हुए अनारक्षित वर्ग में पीएच श्रेणी से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड परीक्षण दिनांक 14.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता काईफोस्कोलियोसिस (**Kyphoscoliosis**) श्रेणी की हैं जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एल.एच.वी) का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1. LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4. SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5. MD Involving (a) to (d) above माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 12185/2024 नितिन पारीक बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.8.2022 के मध्यनजर भर्ती प्रकिया में सम्मिलित कर मेडिकल बोर्ड से परीक्षण के अध्याधीन परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
346	REENA KUMARI	HWN102674	दिव्यांग कैटगरी में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता काईफोस्कोलियोसिस (Kyphoscoliosis) श्रेणी की हैंमाननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 12185/2024 नितिन पारीक बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.8.2022 के मध्यनजर भर्ती प्रकिया में सम्मिलित कर मेडिकल बोर्ड से परीक्षण के अध्याधीन परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
347	SHARDA NAIN	HWN121232	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर एसएमएस मेडिकल बोर्ड के समक्ष मेडिकल करवाने का उल्लेख कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 59.360 अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने हेतु निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 04.10.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता काईफोस्कोलियोसिस (**Kyphoscoliosis**) श्रेणी की हैं जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एल.एच.वी) का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है–	प्रस्तावानुसार अनुमोदित

				1. LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4. SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5. MD Involving (a) to (d) above माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 12185/2024 नितिन पारीक बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.8.2022 के मध्यनजर भर्ती प्रकिया में सम्मिलित कर मेडिकल बोर्ड से परीक्षण के अध्याधीन परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	
348	Sonia	HWN120122	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर विशेष योग्यजन श्रेणी में स्वयं के कुल 51.999 प्रतिशत होने व स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर मेरिट लिस्ट में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 18.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता काईफोस्कोलियोसिस (**Kyphoscoliosis**) श्रेणी की हैं जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एल.एच.वी) का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1. LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4. SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5. MD Involving (a) to (d) above माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 12185/2024 नितिन पारीक बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.8.2022 के मध्यनजर भर्ती प्रकिया में सम्मिलित कर मेडिकल बोर्ड से परीक्षण के अध्याधीन परिणाम रोका जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
349	RANJANA KUMARI	HWN100081	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्ततु नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 53.050 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 54. 140 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
350	LEELA	HWN101294	परिवेदना संलग्न नहीं है। दस्तावेज संलग्न है। सूची में नाम सम्मिलित करने बाबत्।	अभ्यर्थिया द्वारा एमबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 49.700 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 52.800 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
351	ANKITA SHARMA	HWN101685	कोई परिवेदना संलग्न नहीं है, केवल दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ईडब्ल्यूएस श्रेणी से किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 51.975 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 52.925 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

352	TULSI KUMARI GURJAR	HWN101772	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया द्वारा एमबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 49.275 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 52.800 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
353	SADHNA	HWN102989	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 50.208 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 52.925 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
354	KUSUM KANWAR	HWN104465	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 52.060 का उल्लेख करते हुये कैटेगरी में निम्नलिखित अभ्यार्थियों का चयन हो गया है, जो स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यार्थी हैः— HWN120176, HWN102354, HWN104192, HWN106051, HWN106869, HWN115026, HWN119136, HWN107602 अतः अभ्यार्थिया द्वारा अन्तरिम सूची में सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 52.058 उनके जातिवर्ग (ईडब्ल्यूएस) में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 52.925 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थिया ने जिन आई.डी. का उल्लेख किया है वे अभ्यर्थी दिव्यांग/विधवा/विवाह विच्छिन्न वर्ग में चयनित है। जिनसे अभ्यर्थी के चयन की तुलना नहीं की जा सकती। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
355	KRISHNA MEHAR	HWN104748	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित जाति वर्ग से किया गया। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 53.675 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 54.140 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
356	MONIKA GOSWAMI	HWN104883	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निजी क्षेत्र का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर तलाकशुदा वर्ग की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल विच्छिन्न विवाह वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 40.167 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थी के प्राप्तांक 54.383 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
357	MAMTA	HWN108326	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रोविजनल सूची में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज की पुनः जॉच कर प्रोविजनल सूची जारी करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 60.675 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
358	GARG JAYSHRIBEN KAILASHCHANDRA	HWN108958	अभ्यर्थिया ने आई डी. क्रमांक HWN129993 एवं HWN128940 से अधिक होने के कारण अन्तरिम एवं अन्तिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.525 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया है। दोनों अभ्यर्थी आईडी क्रमांक HWN129993 एवं HWN128940 के प्रतिशत	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

				प्राप्तांक अभ्यर्थिया से अधिक है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
359	POONAM SHARMA	HWN110641	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के प्राप्तांक प्रतिशत 53.710 का उल्लेख करते हुये सामान्य तलाकशुदा श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनारक्षित विछिन्न विवाह वर्ग से किया गया था। अभ्यर्थिया के कुल प्रतिशत प्राप्तांक 53.708 हैं जो कि अनारक्षित वर्ग में विछिन्न विवाह श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 64.050 से कम होने के कारण अभ्यर्थिया का अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
360	AMARJEET KOUR	HWN110675	कोई परिवेदना संलग्न नहीं है, केवल दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल वर्ग से किया गया। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 57.892 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
361	RAMA CHOUDHARY	HWN111721	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्रतिशत 63.18 बताते हुये अन्तिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया हे।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया मया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.175 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
362	CHITRALEKHA BANNOT	HWN112247	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थिया द्वारा केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 52.945 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल विछिन्न विवाह श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 54.383 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
363	LALEETA BHATI	HWN114134	अभ्यार्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित जातिवर्ग से किया गया। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 52.975 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 54.140 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
364	SUDESH KUMARI YADAV	HWN114811	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.450 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
365	SANJU KANWAR	HWN115322	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 50.595 प्रतिशत हैं जो अनारक्षित श्रेणी में चयनित अंतिम विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थी के प्राप्तांक 64.050 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
366	SHALU	HWN115727	अभ्यथियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। जिसमें 818 दिवस का एक अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। जिसके आधार पर 20 बोनस अंक मिलाकर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 62.425 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
367	NISHA KUMARI NATH	HWN117704	अभ्यथियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई केवल डिक्री प्रस्तुत की गई है। अभ्यर्थिया ओबीसी एनसीएल विवाह विछिन्न वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 36.785 प्रतिशत बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल विछिन्न विवाह वर्ग में	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

				चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 54.383 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
368	SHEELU KUMARI SHARMA	HWN118218	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 47.675 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 52.925 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
369	SUMAN	HWN118224	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.400 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
370	MANISHA MEEL	HWN118663	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.090 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
371	VIDHAYA	HWN118802	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 10वीं में 55.33 प्रतिशत एएनएम में 80.160 प्रतिशत एवं कोविड काल में काम करने पर 15 प्रतिशत बोनस मिलाकर 62.43 प्रतिशत बन रहे है का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 62.425 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
372	TEENA MEENA	HWN119128	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 47.408 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 50.075 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
373	SARITA KUMARI	HWN119323	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.475 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
374	KAVITA	HWN119771	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया के एनटीएसपी एमबीसी एनसीएल वर्ग में औसत प्राप्तांक प्रतिशत 48.410 है। अभ्यर्थिया से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी के नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा एमबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 48.408 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 52.800 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना में स्वयं के कम प्रतिशत वाले चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। अतः कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

375	DURGA BHAKAR	HWN119893	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थिया द्वारा केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया केवल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चुरू द्वारा 08 दिवसीय आशा सहायोगिनी के पद का प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को अन्तरिम वरियता सूची में बोनस अंक प्रदान नहीं किये गये है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 45.533 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अन्तिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अन्तरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवयश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
376	SUSHILA KUMARI	HWN119991	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के 10वीं और एएनएम में 71.80 के औसत 70 प्रतिशत निकालने पर 48.58 निकलता है जिसमें कोविड 19 अनुभव के हिसाब से 15 प्रतिशत बोनस जोड़ने पर 63.58 प्रतिशत बनते है का उललेख कर स्वयं के दस्तावेजों की गहनता से जांच करवाकर संशोधित प्राविजनल सूची में नाम सम्मिलित के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.580 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
377	poonam bai	HWN120086	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल आय प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनारक्षित वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 68.435 प्रतिशत बनते है जो कि अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 68.883 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
378	KANIKA SINGH	HWN120607	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन ईडब्ल्यूएस वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 52.517 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 52.925 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
379	DARSHANA	HWN121392	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थिया द्वारा केवल डीक्री संलग्न की है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 45.408 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल विछिन्न विवाह श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 54.383 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
380	ARCHANA KUMARI	HWN121446	कोई परिवेदना संलग्न नहीं है, केवल दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.567 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से 63.625 कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
381	BABITA CHOUDHARY	HWN121553	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थिया द्वारा डिक्री एवं अन्य दस्तावेज सलग्न किये है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 39.842 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग (ओबीसी–एनसीएल विच्छिन्न विवाह वर्ग) में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 54.383 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

382	MOHANI	HWN121627	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 61.242 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
383	NEELAM KUMARI	HWN121797	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर विधवा कोटे का परिलाभ नहीं दिये जाने एवं दस्तावेज सत्यापन के समय मृत्यु प्रमाण पत्र में सहवन से नाम नीलम कुमारी अंकित नहीं होने एवं परिवेदना में संशोधित मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें नाम नीलम कुमारी एवं रजिस्ट्रेशन क्रमांक पूर्व समान होने का उल्लेख कर अंतिम वरीयता सूची में नाम जोड़कर चयन का परिलाभ देने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनारक्षित विधवा वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 44.042 प्रतिशत जो कि अनारक्षिता विधवा वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.540 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
384	KHETU KUMARI	HWN122014	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 63.600 ओबीसी एनसीएल वर्ग की कटऑफ से अधिक होने पर अंतरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.600 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63. 625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ प्रशस्ति पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
385	AARATI BANJARA	HWN127643	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है स्वयं को एमबीसी एनसीएल वर्ग में अन्तरिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एमबीसी एनसीएल वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 48.583 प्रतिशत बनते है जो कि जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 52.800 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
386	AFASANA BANO	HWN127461	अतंरिम वरियता सूची में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल वर्ग से किया गया। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.408 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
387	MEERA	HWN122864	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.292 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
388	RENU	HWN122946	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.450 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
389	AMITA YADAV	HWN123915	अतंरिम वरियता सूची में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल वर्ग में किया गया है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थिया द्वारा उत्तप्रदेश राज्य का ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग का	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।

			सम्मिलित करवाने बाबत।	प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.808 अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 68.883 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
390	ANILA KUMARI	HWN121248	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि सामान्य केटेगरी के तलाकशुदा से आवेदन में कटऑफ से ज्यादा अंक होने एवं पीपीपी मोड पर अनुभव होने पर पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनारक्षित विच्छिन्न विवाह वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 52.058 प्रतिशत बनते हैं जिसमें 10 प्रतिशत बोनस अंक सम्मिलित है। जो कि अनारक्षित वर्ग विच्छिन्न विवाह वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 64.050 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
391	ANITA KUMARI	HWN119061	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के प्राप्तांक 62.24 होने का उल्लेख कर अतंरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.238 उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
392	ANITA KUMARI	HWN111707	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के प्राप्तांक 62.640 होने का उल्लेख कर ओबीसी–एनसीएल जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक होने पर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है जबकि अभ्यर्थिया से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी यथा आई0डी क्रमांक 123102, 120571 के परिणाम होल्ड पर रखे गये है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.642 उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
393	ANITA KUMARI	HWN104489	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर परिणाम रोके गये अभ्यर्थियों के नाम एवं प्राप्तांक सूची जारी करने, रोका गया परिणाम जारी करने तथा स्वंय का नाम अन्तिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.375 उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
394	ANITA KUMARI MAHLA	HWN108250	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के प्राप्तांक प्रतिशत 62.60 का उल्लेख करते हुए रोका गया परिणाम जारी कर चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.600 उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
395	ANJU SAIN	HWN121223	अभ्यर्थियां द्वारा निम्नानुसार परिवेदना प्रस्तुत की है:– 1. अंतरिम चयन सूची में जो बोनस अंक दिये गये है उनमें स्वयं के अंकों का सही रूप से	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.283 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में भी यही	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।

			अंकन नहीं किया गया। 2. आप द्वारा सभी पदो की एक साथ वरिष्ठता निर्धारण नहीं किया गया जिसके कारण फर्जी प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी वरिष्ठता सूची से बाहर नहीं हो सके। 3. काफी अभ्यर्थियों की सूचना हमारे पास उपलब्ध है जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर वरिष्ठता सूची में अपना स्थान बना लिया है। 4. यह कि सभी अभ्यर्थियों की एक साथ दस्तावेजों का सत्यापन करते हुए पुनः वरिष्ठता निर्धारण किया जावे। 5. विभाग द्वारा स्वीकृत 4847 पदो पर दस्तावेजो का एक साथ सत्यापन कर साथ ही गहन जांच के उपरान्त वरिष्ठता निर्धारण किया जावे ताकि सभी योग्य अभ्यर्थियों के साथ–साथ मुझे भी लाभ मिल सके।	अंकित किये गये थे। अभ्यर्थिया ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अंकों की गणना में क्या त्रुटि है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। विभाग द्वारा पूर्व से ही नियमानुसार एवं समुचित कार्यवाही की जा रही है। अतः इस समिति स्तर से कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
396	POOJA KUMARI PURBIYA	HWN123148	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल एक सूची संलग्न करी है जिसमें अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 52.280 अंकित किये गये है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एमबीसी एनसीएल जाति वर्ग से किया गया। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 52.283 उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 52.800 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
397	ANNI SARAN	HWN128249	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल श्रेणी में आवेदर कर स्वयं के कुल प्रतिशत अंक 62.330 होने से अवगत करवाकर स्वयं के कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख किया है जिनकी आईडी निम्नानुसार है hwn120571, hwn121381, hwn122129, hwn122298, hwn122375, hwn122434, hwn122783, hwn124231, hwn124409, hwn129284, hwn129563, hwn129993, hwn131905, hwn113691	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 62.325 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। अभ्यर्थिया द्वारा अंकित विभिन्न आई डी में से आई डी संख्या HWN131905 के प्राप्तांक 42.86 है किन्तु इनका चयन ओबीसी एनसीएल विधवा वर्ग में किया गया है जिसमें अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 36.100 प्रतिशत हैं। शेष सभी आई डी के अभ्यर्थियों के अंतरिम चयन सूची में प्राप्तांक उनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों व प्रार्थिया के प्राप्तांकों से अधिक हैं। अतः कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
398	ANURADHA VISHNOI	HWN122908	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अतंरिम वरियता सूची में प्रार्थीया का	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.525 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।

			आवेदन नम्बर और किसी दूसरी प्रकार की जानकारी नहीं पाई गई है। प्रार्थीया के प्राप्तांक प्रतिशत 63.530 है एवं ओबीसी की कटऑफ प्रतिशत 62.05 से अधिक होने के कारण वरियता सूची में अभ्यर्थिया का नाम सम्मिलित किया जावें।	के प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
399	ANUSUEYA MANDORIYA	HWN126808	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर पीपीपी मोड पर 01 वर्ष का अनुबंध जोडने हेतु निवेदन किया गया है।	अभ्यर्थिया का कोविड कार्यकाल का 02 साल से कम का अनुभव होने के कारण 15 ही बोनस देय है जो अभ्यर्थिया को दिया जा चुका है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.350 प्रतिशत बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थियों के प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
400	KIRAN SEN	HWN123261	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 59.935 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
401	ARTI KUMARI	HWN112421	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति श्रेणी में अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 51.200 उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थियों के प्राप्तांक 54.140 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थिया को अनुभव नहीं होने से बोनस देय नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
402	ASHA GURJAR	HWN106538	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदन करते समय विवाह प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड में पति का नाम उपलब्ध नहीं होने के कारण अविवाहित श्रेणी में आवेदन किया गया था लेकिन कार्मिका का नाम अंतरिम चयन सूची में शामिल नहीं किया गया। अभ्यर्थिया द्वारा विवाह प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एमबीसी एनसीएल वर्ग में किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 52.783 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 52.800 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
403	SANTOSH KUMARI LODHA	HWN124450	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 58.225 प्रतिशत बनते है जिसमें 15 प्रतिशत बोनस अंक सम्मिलित है। जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
404	BASU KANWAR	HWN116790	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 50.060 प्रतिशत बताते हुए ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां 2200 अभ्यर्थियों का परिणाम रोके जाने के कारण स्पष्ट कटऑफ जारी नहीं	अभ्यर्थिया द्वारा ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 50.058 उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत 52.925 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता था। वर्गवार कटऑफ प्रतिशत अंतिम चयन सूची के साथ जारी कर दी जावेगी। परिवेदना स्वीकार योग्य	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।

			करना बताया है। कटऑफ जारी करने एवं प्रोविजनल चयन सूची में शामिल नहीं किये जाने का कारण स्पष्ट करने बाबत् निवेदन किया है।	नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
405	BHAGMATI	HWN116530	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर परित्यक्ता श्रेणी में अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 39.800 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग (ओबीसी एनसीएल–विछिन्न विवाह) में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 54.383 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
406	CHANDRAKALA UPADHYAY	HWN121212	कोई परिवेदना संलग्न नहीं है। निजी अस्पताल का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ईडब्ल्यूएस वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 49.358 उनके जातिवर्ग ईडब्ल्यूएस में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 52.925 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ निजी अस्पताल के द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर बोनस अंकों का लाभ दये नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
407	REENA GADARI	HWN124727	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा एमबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 52.590 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 52.800 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
408	VIMLA KUMARI	HWN125586	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के औसत प्राप्तांक 62.080 प्रतिशत का उल्लेख करते हुए गैर अनुसूचित क्षेत्र की आंबीसी एनसीएल जाति वर्ग की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 62.075 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
409	MAMTA	HWN126275	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना संलग्न नहीं की गई। केवल दस्तावेत संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित जातिवर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 53.592 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 54. 140 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
410	DEEKSHA RATHOR	HWN127237	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर सीएचए अनुभव के आधार पर प्राप्तांक अनुसार अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया को ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण के आधार पर 15 बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है। बोनस अंक मिलाकर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 60.283 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रही है।। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
411	DEEPIKA MEENA	HWN100291	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया के अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुल प्राप्तांक प्रतिशत 49.59 होने के उपरांत भी अतंरित चयन सूची में किसी प्रकार की जानकारी नहीं पाई गई है। अतः अभ्यर्थिया ने स्वंय का	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 49.592 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 50.075 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।

			नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।		
412	DEVKA MUHAL	HWN111274	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल वर्ग से किया गया। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.150 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
413	DEVSENA	HWN104384	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 53.011 ईडब्ल्यूएस वर्ग की कट–ऑफ से अधिक होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार अभ्यर्थी की 10वी बोर्ड परीक्षा में 600 में से 424 अंक अर्थात् 70.67 प्रतिशत प्राप्त किये तथा व्यावसायिक योग्यता में 1400 में से 1120 अंक अर्थात् 80.00 प्रतिशत अंक प्राप्त किये। इस प्रकार दोनो के औसत प्राप्तांको का 70 प्रतिशत 52.733 बनता है जो कि इनके जातिवर्ग ईडब्ल्यूएस वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 52.925 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
414	Diksha Sharma	HWN104071	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ईडब्ल्यूएस श्रेणी से किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 49.967 बनती है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 52.925 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
415	AMITA MIRDHA	HWN126517	कोई परिवेदना संलग्न नहीं है, केवल दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 59.008 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
416	DURGA KANWAR	HWN120466	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय की औसत प्राप्तांक प्रतिशत 52.44 होने का उल्लेख करते हुए ईडब्ल्यूएस वर्ग की कटऑफ से अधिक होने के कारण अंतरिम सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ईडब्ल्यूएस वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 52.442 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 52.925 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
417	GANGA	HWN125418	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय का औसत प्राप्तांक प्रतिशत 63.260 ओबीसी–एनसीएल की कटऑफ से अधिक होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलि किये जाने हेतु निवेदन किया है। साथ ही आई0डी0 संख्या 127317 द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र को फर्जी होना बताया गया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.258 हैं जो उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना में उल्लेखित आईडी संख्या HWN127317 के अनुभव प्रमाण पत्र का जारीकर्ता अधिकारी से पुर्नसत्यापन के आधार पर ही कार्यवाही संपादित की जावेगी।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
418	SONAM DAGUR	HWN128210	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड अवधि में कार्य करने के कारण 15 बोनस अंकों को जोड़कर कुल 62.62 प्रतिशत अंक बताते हुये अनुभव के आधार पर 15 बोनस अंक देने का	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.617 प्रतिशत बनते है जिसमें 15 प्रतिशत बोनस अंक सम्मिलित है। जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			उल्लेख कर अंतिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
419	GEETA SONI	HWN120407	अभ्यर्थियां ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को बोनस अंकों का लाभ नहीं देकर प्रोविजनल चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने 426 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न कर बोनस अंकों का लाभ देते हुए चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में किया गया है। अभ्यर्थिया को 15 बोनस अंक दिये गये है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 55.945 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63. 625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
420	GUDDI JAT	HWN131136	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी–एनसीएल का जारी जाति प्रमाण पत्र दिनांक 15.09.2023 प्रस्तुत कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी को पूर्व से ही ओबीसी एनसीएल वर्ग में माना जा चुका है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.533 बनते है जो कि ओबीसी–एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में शामिल नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
421	HEMLATA	HWN117530	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थिया द्वारा केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 52.367 उनके जातिवर्ग ईडब्ल्यूएस में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत 52.925 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
422	JAHIRA BANU	HWN128572	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 61.48 होने के बावजूद अंतरिम चयन सूची में नाम नहीं होने तथा व्यावसायिक डिग्री अन्य राज्य की होने का उल्लेख करते हुए स्वंय का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार पूर्व से ही 20 बोनस अंकों को लाभ प्रदान किया जा चुका है। किन्तु अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 61.475 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63. 625 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
423	KAJAL	HWN112784	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 55.40 प्रतिशत बताते हुए अनुसूचित जाति महिला वर्ग से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थियां ने आईडी संख्या 117459 एवं 103378 के प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित होना बताया है जबकि उनके प्राप्तांक प्रतिशत अभ्यर्थियां से कम है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थियों को उनके द्वारा भरे गये अंकों के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। तदोपरांत अंकों की वास्तविक गणना करने पर अभ्यर्थिया के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 50.617 बनते है जो अअनुसूचित जाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 54.140 से कम होने के कारण अंतरिम चयन सूची में चयन नहीं किया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना में जिन दो अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशत स्वयं से कम होने के संबंध में उल्लेख किया है वह तथ्यहीन है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
424	KALPANA	HWN129093	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय का नाम	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान कोई अनुभव प्रमाण पत्र	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं

			अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	प्रस्तुत नहीं किया गया केवल प्रशस्ति पत्र संलग्न किया गया है जिसके आधार पर बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 57.617 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है।	है।
425	KAMALA	HWN120382	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया के एनटीएसपी ओबीसी एनसीएल वर्ग में औसत प्राप्तांक प्रतिशत 63.330 है। अंतरिम चयन सूची में अभ्यर्थिया की किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है जबकि कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी यथा आई0डी 123102 एवं 120571 वाले अभ्यर्थियों के नाम होल्ड रखे गये है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना पर सहानुभूतिपूर्वक निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.333 उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना में उल्लेखित अभ्यर्थी HWN123102 एवं HWN120571 के वास्तविक प्राप्तांक क्रमशः 72.017 एवं 75.858 प्रतिशत है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
426	KAMLESH	HWN115974	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर विधवा श्रेणी में अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 में अनारक्षित विधवा वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 41.942 प्रतिशत बनते है जो अनारक्षित विधवा महिला वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.925 से कम होने के कारण अंतरिम चयन सूची में स्थान बनानो में असफल रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
427	NIKITA SHARMA	HWT108429	अभ्यार्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित क्षेत्र में अनारक्षित वर्ग से किया गया। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 55.092 उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 55.217 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
428	KARISHMA TANWANI	HWT118070	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के औसत प्राप्तांक प्रतिशत कटऑफ से अधिक होने के कारण अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में अनारक्षित वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 54.717 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 55.217 प्रतिशत कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
429	KAUSHLYA	HWN123514	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया के एनटीएसपी ओबीसी एनसीएल वर्ग में औसत प्राप्तांक प्रतिशत 62.640 है। अभ्यर्थिया से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी के नाम होल्ड रखे गये है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 62.642 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63. 625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
430	KAVITA	HWN107538	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं

			ओबीसी–एनसीएल की अंतरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	प्राप्तांक 60.792 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	है।
431	KAVITA	HWN114861	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 63.150 का उल्लेख कर ओबीसी–एनसीएल की अंतरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.150 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
432	CHANDRIKA KUMARI DINDOR	HWT120640	परिवेदना संलग्न नहीं है। दस्तावेज संलग्न है। सूची में नाम सम्मिलित करने बाबत्।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 30.05.2022 से 18.05.2023 तक कुल 354 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जो कि कोविड अवधि का नहीं होने एवं 01 वर्ष से कम का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 42.633 प्रतिशत बनते है जो कि अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 47.592 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
433	KAVITA DEVI	HWN104945	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर विधवा श्रेणी की अंतरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 में अनारक्षित विधवा वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 37.508 प्रतिशत बनते हैं जो कि अनारक्षित विधवा महिला वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.925 से कम होने के कारण अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
434	KESHU KUMARI CHARPOTA	HWT111174	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूचना अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक प्रतिशत की गणना उनके द्वारा भरे गये डाटा के आधार की गई थी जिसके उपरान्त दस्तावेज सत्यापन के दौरान वास्तविक अंकों के आधार पर अंतरिम वरीयता सूची में कुल प्राप्तांक प्रतिशतों की गणना की गई है। अभ्यर्थिया द्वारा टीएसपी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग से आवेदन किय गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.967 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 47.592 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में शामिल नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
435	Khemi	HWN123906	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.480 कटऑफ से अधिक होने के बावजूद अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। अतः सम्मलित किये जाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.483 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63. 625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
436	KIRAN KUMARI	HWN117355	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 58.730 से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी के नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में नाम	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल वर्ग से किया गया। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 58.725 उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत परिवेदना में उल्लेख किया गया है कि उनसे कम प्रतिशत प्राप्त अभ्यर्थिया का अंतरिम चयन किया गया है जबकि ओबीसी एनसीएल वर्ग में अन्तिम चयनित	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थी 63.625 प्रतिशत प्राप्तांक से कम अंक वाले किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
437	KM RAVEENA SHARMA	HWN123295	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी के नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित है। अतः अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ईडब्ल्यूएस वर्ग से किया गया। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 47.333 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 52.950 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत परिवेदना में उल्लेख किया गया है कि उनसे कम प्रतिशत प्राप्त अभ्यर्थिया का अंतरिम चयन किया गया है ईडब्ल्यूएस वर्ग में अन्तिम चयनित अभ्यर्थी से कम अंक वाले किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
438	LALITA DODIYAR	HWT126966	अभ्यार्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग से किया गया। अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र 353 दिवस का जारी किया गया है जो कि कोविड अवधि का नहीं है। अतः अभ्यर्थिया को बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 42.1333 उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 47.592 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
439	LAXITA KUMARI PATIDAR	HWT127764	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय का नाम टीएसपी जनरल की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दस्तावेज सत्यापन के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा दिनांक 01.05.2018 से 21.02.2019 तक कुल 386 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। जिसमें अनुभव अवधि की गणना गलत है। अभ्यर्थिया को जिस अवधि हेतु अनुभव जारी किया गया है उसकी गणना करने उपरान्त कुल अवधि 01 वर्ष से कम बनती है। अतः अभ्यर्थिया की अनुभव अवधि कोविड अवधि की नहीं होने एवं 01 वर्ष से कम होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 46.042 प्रतिशत बनते है जो कि अनुसूचित क्षेत्र में अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 55.217 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
440	LAXMI	HWN117265	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 52. 640 का उल्लेख करते हुए एमबीसी एनसीएल की कटऑफ 52.00 प्रतिशत से अधिक होते हुए स्वंय का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा एमबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 52.642 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 52.800 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
441	MAINA KUMARI YOGI	HWN130279	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर फर्जी अनुभव और बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का गहनता से जांच करने एवं प्राथमिकता राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को देने साथ ही ओबीसी एनसीएल केटेगरी में स्वयं के	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.342 प्रतिशत बनते है जिसमें 15 प्रतिशत बोनस अंक सम्मिलित है। जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			63.340 प्रतिशत होने का उल्लेख करते हुये चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
442	MANISHA	HWN117589	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थियों ने ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल वर्ग से किया गया है अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक 63.617 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
443	MANISHA KHICHI	HWN102904	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित जाति वर्ग से किया है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 49.650 बनते है जो उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 54.150 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
444	MANISHA KUMARI MEENA	HWN107827	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर दस्तावेज के आधार पर अंकों की सही गणना कर जो कि 50. 00 प्रतिशत बनते है, के आधार पर स्वंय का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित जनजाति वर्ग से किया है। अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 48.858 बनते है जो उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 50.075 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
445	MANISHA PURBIA	HWN118661	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया के ओबीसी परित्यक्ता वर्ग में सीएचए पद का अनुभव का लाभ दिये जाने के उपरांत कुल प्राप्तांक प्रतिशत 52.88 है जबकि अभ्यर्थिया से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित है। अतः अभ्यर्थिया ने अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल विच्छिन्न विवाह वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 52.883 बनते है जिसमें 15 प्रतिशत बोनस अंक सम्मिलित है। जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 54. 383 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
446	MANJU	HWN129719	अभ्यर्थिय द्वारा स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62. 640 प्रतिशत बताते हुये अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.458 उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
447	MANJU BALA	HWN121624	कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनारक्षित विच्छिन्न विवाह वर्ग में किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 62.275 बनते है जो कि अनारक्षित (विच्छिन विवाह) में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 64.050 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
448	MANJU KANWAR	HWN126173	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 52.050 प्रतिशत बताते हुए ईडब्ल्यूएस महिला वर्ग से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के जाति वर्ग की	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ईडब्ल्यूएस श्रेणी से किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 52.053 प्रतिशत बनते है जो उनके जातिवर्ग ईडब्ल्यूएस में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 52.925 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			कटऑफ से कम प्राप्तांक प्रतिशत होना बताया है तत्पश्चात् भी अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
449	MANJU KUMARI	HWN125112	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर बीकानेर में कार्यरत है। अभ्यर्थिया की नियुक्ति माननीय न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 06.02.2018 की अनुपालना में दिनांक 14.02.2023 को 05 वर्ष की देरी से की गई है जबकि समकालीन भर्ती में अन्य अभ्यर्थियों ने भी 2017 में रिट लगाई थी जिनके नियुक्ति के आदेश माननीय न्यायालय ने 2018 में दिये थे, जिनकी नियुक्ति विभाग द्वारा 2019 में दे दी गइ। इस प्रकार अभ्यर्थी को 05 वर्ष की देरी से नियुक्ति दी गई अन्यथा अभ्यर्थी को 05 वर्ष के अनुभव के आधार पर 30 बोनस अंक प्राप्त हो जाते। अभ्यर्भिया द्वारा इस संबंध में माननीय न्यायालय में रिट 13890/2023 दायर की है। अतः अभ्यर्थिया ने सहानुभूति विचार करते हुए 30 बोनस अंकों का लाभ देकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
450	MANOJ YADAV	HWN114065	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया कं 63.460 पतिशत होने के पश्चात् भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थिया से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थिया द्वारा अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल वर्ग से किया गया। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.458 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी–एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। ओबीसी एनसीएल वर्ग में अन्तिम चयनित अभ्यर्थिया से कम प्रतिशत अंक वाली किसी अभ्यर्थिया का चयन नहीं किया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
451	MS. KAMLA SARAN	HWN126386	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 10वीं, डिप्लोमा एवं 15 प्रतिशत बोनस अंक जोडकर स्वयं के कुल 67.44 प्रतिशत होने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर संशोधित कट ऑफ लिस्ट में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 62.208 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

452	NARESH KANWAR	HWN123312	अभ्यर्थियां ने अवगत कराया है कि अन्तिम वरीयता सूची में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के प्रार्थियों में 52.925 तक के प्रार्थी शामिल किए गए है। 2200 प्रार्थियों का परिणाम अभी रोका गया है अभी तक निश्चित नहीं हुआ है कि कट ऑफ मेरिट कितनी है प्रार्थी के ईडब्ल्यूएस केटेगरी से 52.260 बन रहे है का उल्लेख कर परिवेदना प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थिया द्वारा ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 52.258 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 52.925 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। अन्तरिम चयन सूची में वर्गवार अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों का अंकन किया गया है एवं अन्तिम चयन सूची के साथ वर्गवार कटआफ जारी कर दी जायेगी। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
453	NEERU SONI	HWN101048	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल परित्यक्ता श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के 10वीं में 49.17 प्रतिशत तथा एएनएम में कुल प्रतिशत 78.64 प्रतिशत होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल विछिन्न विवाह वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 44.733 प्रतिशत बनते हैं जो कि उनके ओबीसी एनसीएल विछिन्न विवाह वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 54.383 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
454	NEHA JANGIR	HWN119579	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 58.892 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
455	NURIBANO	HWN104409	अभ्यर्थिया ने ओबीसी–एनसीएल महिला वर्ग में विधवा श्रेणी से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल विधवा वर्ग में किया गया था जबकि अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अन्य राज्य का जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को जातिगत आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 36.760 प्रतिशत बनते है जो कि अनारक्षित विधवा वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 44.925 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
456	parveena meena	HWN104935	अभ्यर्थियां ने स्वयं के 48.110 प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित जनजाति वर्ग से किया गया। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 48.108 उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 54.140 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
457	PARVINDER KOUR	HWN102507	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 53.95 प्रतिशत बताते हुए आवेदन किया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित जाति वर्ग से किया गया। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 53.950 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 54.140 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
458	PAVAN KUMARI	HWN121632	प्रार्थी ने दिनांक 14.09.2023 को आपके संस्थान में दस्तावेज सत्यापन करवाया था। प्रार्थी की व्ठ	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग से किया गया। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 62.325 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			छठ्ठ ब्म्।डल स्।ल्स्ट में 62.33 प्रतिशत अंक अनुभव सहित है अतः मेरा वरीयता सूची में नाम जुडवाकर अनुग्रहित करें।	के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
459	PINKI	HWN113514	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.14 का उल्लेख करते हुये अंतरिम चयन सूची में चयनित अयोग्य अभ्यर्थियों को बाहर कर स्वयं को सम्मिलित किय जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत विभाग द्वारा जारी अंतरिम सूची में चयनित अयोग्य अभ्यर्थियों को बाहर स्वयं को सम्मिलित करने बाबत् निवेदन किया है किन्तु अभ्यर्थिया द्वारा किसी भी चयनित अयोग्य अभ्यर्थी के संबंध में अवगत नहीं कराया गया है। विभाग द्वारा भर्ती प्रकिया के दौरान अयोग्य पाये गये अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निरस्त किए गए है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 67.140 बनते है जो कि अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 68.883 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
460	PINKY	HWN127288	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि मेरा दस्तावेज सत्यापन दिनांक 16.09. 2023 को हो चुका है। दस्तावेज सत्यापन सूची में नॉन टीएसपी विडो कैटेगरी में कुल 260 कैंडिडेट का दस्तावेज सत्यापन हुआ है। जिसमें जनरल विडो कैटेगरी के कुल कैडिडेट 70 है जिनका दस्तावेज सत्यापन हुआ है। प्रोविजनल सूची में जनरल विडो कैटेगरी के 13 उम्मीदवारो के नाम है जो की जनरल विडो कैटेगरी की मेरिट 64.564 परसेंट मार्क्स से शुरू होकर. 44. 950 पर रूकी है जो कि 13 ही कैडिडेट है दस्तावेज सत्यापन सूची में 64.540 परसेंट से उपर के कुल उम्मीदवार सभी कैटेगरी 30 ही है। यदि 30 कैडिडेट के ज्यादा परसेंट होने के कारण जनरल कैटेगरी में शामिल हुए तो बाकी खाली सीट पर 44.540 मार्क से नीचे के उम्मीदवारों प्रोविजनल सूची में नाम देकर प्रार्थी के 43.330 का नाम सम्मिलित करें।	अभ्यर्थिया द्वारा अनारक्षित विधवा वर्ग में आवेदन किया गया है। आरक्षण नियम के अनुसार आरक्षित श्रेणी के पदों पर संबंधित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी का ही चयन किया जा सकता है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 43.333 उनके वर्ग विधवा सामान्य श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.540 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
461	PINTU KUMARI GARASIYA	HWT114577	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि विभाग के द्वारा वरीयता सूची 1.5 गुणा तैयार की गई थी जिसमें मेरा चयन हुआ था लेकिन फाईनल सूची में मेरा नाम नहीं आया है जबकि सूची में मेरे द्वारा 46.78 प्रतिशत अंक अर्जित किये गये है इसलिय मुझे फाईनल सूची में सम्मिलित किया जाकर अनुग्रहित करें।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग से किया गया। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 46.775 उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 47.592 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
462	POOJA	HWN112261	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग विवाह विछिन्न उपवर्ग से	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं

	PRAJAPAT		करवाया है कि ओबीसी वर्ग में तलाकशुदा वर्ग की अन्तिम प्रतिशत से अवगत करवाने हेतु निवेदन किया है।	किया गया। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 43.123 ओबीसी एनसीएल विवाह विछिन्न वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 54.383 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	है।
463	POOJA SHARMA	HWN121778	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस वर्ग श्रेणी की कटऑफ से ज्यादा 52.65 प्रतिशत अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ईडब्ल्यूएस वर्ग से किया गया था। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 52.650 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थियों के प्राप्तांक 52.925 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
464	poonam	HWN119478	अभ्यर्थियां ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरीयता सूची में बाहरी राज्यों से व फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लाये गये छात्राओं को बाहर कर योग्य छात्राओं को प्राथमिकता देने एवं कट–ऑफ में सुधार कर सूची में स्वयं को सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर जारी अंतरिम वरीयता सूची में कूटरचित दस्तावेजो एवं राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को कोर्ट केस की मान्यतानुसार शामिल करने का उल्लेख करते हुये उन्हे बाहर करते हुये स्वयं को वरीयता सूची में सम्मिलित करने बाबत् निवेदन किया है किन्तु किसी भी अभ्यर्थिया के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत अनुभव प्रमाण पत्रों का पुर्नसत्यापन करवाया जा रहा है। जिसका समावेश अन्तिम चयन सूची में किया जायेगा। अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित जातिवर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 52.325 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 54.140 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
465	POONAM	HWN122963	अभ्यर्थियां ने परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में स्वयं के कुल प्राप्तांक 63.180 प्रतिशत कटऑफ से अधिक होने के बावजूद अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं करने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाली अभ्यर्थियां का नाम जिनका विवरण आईडी क्रमांक HWN129284 जिसकी कुल प्रतिशत अंक 61.480 का सलेक्शन में है एवं एक ही अभ्यर्थी का नाम दो बार है जिसका विवरण है HWN112302 /HWN114155 जो सरासर गलत है अतः प्रोविजनल सूची को दोबारा सही कर मेरा नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.175 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना में उल्लेखित शिकायत के संबंध में किसी एक अभ्यर्थी के एक से अधिक आईडी होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी का चयन एक ही बार किया जायेगा। आईडी क्रमांक HWN129284 के संबंध में प्रस्तुत शिकायत तथ्यहीन है। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
466	POONAM	HWN121185	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक प्रतिशत कटऑफ से अधिक होने के बावजूद अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया तथा एक अभ्यर्थिया भगवती के कुल प्राप्तांक प्रतिशत कम होने के बाद भी सम्मिलित करने एवं एक ही अभ्यर्थी का चयन एक से अधिक बार हाने के संबंध में अवगत कराते हुये	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान कोई अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया केवल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति संलग्न किया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 39.0833 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना में उल्लेखित शिकायत के संबंध में किसी एक	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			स्वयं को सम्मिलित किये जाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थी के एक से अधिक आईडी होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी का चयन एक ही बार किया जायेगा। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
467	POONAM BAI YADAV	HWN116546	अभ्यर्थियां ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं की अनुभव अवधि 632 दिवस बताते हुये 10 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का उल्लेख किया है जबकि उनसे कम अनुभव अवधि वाले अभ्यर्थियो को 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान किये है। अतः स्वयं को 15 प्रतिशत बोनस अंक देने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर द्वारा जारी 632 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो कोविड अवधि से पूर्व का है। नियमानुसार यदि अभ्यर्थी ने कोविड अवधि के दौरान कार्य नहीं किया है तो दिनांक 25.4.2023 के राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार इन्हे पूर्व की भांति 10,20 या 30 बोनस अंक प्रत्येक एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्राप्त होंगे। अभ्यर्थी का अनुभव एक वर्ष से अधिक व 2 वर्ष से कम है अतः इन्हे 10 बोनस अंक ही देय हैं। 15 बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान केवल कोविड अवधि में कार्यरत कार्मिकों हेतु किया गया है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
468	POONAM KUMARI	HWN116052	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि प्रार्थी ने ओबीसी एनसीएल तलाकशुदा केटेगरी में आवेदन किया है तथा मेरे प्रतिशत अंक ज्यादा होने के बाद भी नाम नहीं जोडा गया जबकि मेरे से कम प्रतिशत अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। अतः नाम वरीयता सूची में सम्मिलित करने की कृपा करें।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल विछिन्न विवाह वर्ग से किया गया था। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 45.136 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में विछिन्न विवाह श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 54.383 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। प्रार्थिया के वर्ग में अन्तिम चयनित अभ्यर्थिया से कम प्रतिशत अंक वाली किसी अभ्यर्थिया का चयन नहीं किया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
469	poonam soni	HWN109719	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को ओबीसी एनसीएल तलाकशुदा वर्ग में बताते हुये अन्तरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जाने के संबंध में अवगत कराने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल विछिन्न विवाह वर्ग से किया गया था। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 50.867 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में विछिन्न विवाह श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 54.383 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
470	PRABJOT KAUR	HWN102312	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के दस्तावेजों की जॉच कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल विच्छिन्न विवाह वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 38.408 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 54.383 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
471	PRAMILA	HWN115051	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित जातिवर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 52.217 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 54. 140 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
472	PREETI	HWN128387	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना स्वयं के दस्तावेजो की पुनः जॉच कर अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल 15 प्रतिशत बोनस को सहित प्राप्तांक 60.650 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
473	PREETI SHARMA	HWN118015	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम चयन सूची में नाम नहीं आने के कारण से	अभ्यर्थिया ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन किया है। इनके कुल प्राप्तांक 50.500 प्रतिशत बनते हैं जो कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यथिया के प्राप्तांक 52.925 से कम	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			अवगत करवाने बाबत निवेदन किया है।	होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
474	PREETY SAIN	HWN101912	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के प्राप्तांक ओबीसी वर्ग श्रेणी की कटऑफ 63.00 प्रतिशत से ज्यादा 66.69 प्रतिशत अंक होने पर भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रशस्ती पत्र संलग्न किये हैं जो उन्हे उनके विद्यार्थी के रूप में किये गये कार्य के बदले में प्राप्त हुआ है जिसके बोनस अंक नहीं दिये जा सकते। बोनस अंक केवल नियमानुसार राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा संस्थानों व कार्यक्रमों मे कार्यरत संविदा कार्मिकों को ही देय है। अतः बोनस के अभाव अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 51.692 प्रतिशत बनते हैं जो ओबीसी एनसीएल श्रेणी मे चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
475	PRIYA KUSHWAHA	HWN120106	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के 10वीं, व्यवसाय योग्यता एवं कोविड हेल्थ असिस्टेंट अनुभव का उल्लेख करते हुये लिस्ट में संशोधित कर सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया को कोविड अवधि के अनुभव का लाभ प्रदान करते हुए 15 बोनस अंक दिये जा चुके हैं जिसे मिलाकर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 60.350 प्रतिशत बनते हैं जो इनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
476	PRIYA VERMA	HWN104029	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में स्वयं के अनुसूचित जाति वर्ग में 53.300 प्रतिशत बताते हुये स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन हो जाने पर अन्तरिम चयन सूची में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 53.300 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 54. 140 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। प्रार्थिया के वर्ग में अन्तिम चयनित अभ्यर्थिया से कम प्रतिशत अंक वाली किसी अभ्यर्थिया का चयन नहीं किया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
477	PRIYANKA	HWN126796	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 63.27 प्रतिशत होने के बावजूद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.367 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
478	PRIYANKA GIRI	HWN113809	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में 63.450 प्रतिशत का उल्लेख करते हुए अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.450 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
479	PUNAM KUMARI	HWN118725	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया के औसत प्राप्तांक प्रतिशत ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थिया ने स्वंय का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया को कोविड अवधि में कार्य का 201 दिवस का अनुभव प्राप्त है जिसके आधार 15 बोनस अंक मिलाकर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 58.583 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। अभ्यर्थियां के प्राप्तांकों की गणना पुनः कर ली गई है जो पूर्णतः सही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
480	PURAN KANWAR	HWN112004	कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	अभ्यर्थिया द्वारा ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 51.967 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 52.925 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। अभ्यर्थियां	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

				के प्राप्तांकों की गणना पुनः कर ली गई है जो पूर्णतः सही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
481	PUSHPA	HWN117074	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर परिणाम रोके जाने एवं कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 62.967 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। अभ्यर्थियां के प्राप्तांकों की गणना पुनः कर ली गई है जो पूर्णतः सही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
482	PUSHPA UPADHYAY	HWN107448	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के प्राप्तांक ईडब्ल्यूएस वर्ग श्रेणी की कटऑफ 52. 925 प्रतिशत से ज्यादा 53.200 प्रतिशत अंक होने पर भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के 10वी परीक्षा में कुल प्राप्तांक 600 में से 465 हैं। प्राप्तांक संशोधन उपरान्त मेरिट में यथा स्थान रखा जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
483	RAJ RANI KUSHWAHA	HWN122764	अभ्यर्थियां द्वारा 10वीं में प्राप्तांक 49.83 प्रतिशत एवं एएनएम में प्राप्तांक 81.00 प्रतिशत बताते हुये कोविड हेल्थ असिस्टेन्ट के पद का अनुभव प्रमाण पत्र होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 60.792 प्रतिशत बनते है जिसमें 15 प्रतिशत बोनस अंक सम्मिलित है। जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। अभ्यर्थियां के प्राप्तांकों की गणना पुनः कर ली गई है जो पूर्णतः सही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
484	RAMILA KUMARI	HWN101044	परिवेदना संलग्न नहीं है। दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 51.825 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 54. 140 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। अभ्यर्थियां के प्राप्तांकों की गणना पुनः कर ली गई है जो पूर्णतः सही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
485	REENA SUMAN	HWN114950	अभ्यर्थियां द्वारा 10वीं में प्राप्तांक 46.33 प्रतिशत एवं एएनएम में प्राप्तांक 81.92 प्रतिशत बताते हुये कोविड हेल्थ असिस्टेन्टके रूप में व पीपीपी मोड पर एएनएम के पद का अनुभव प्रमाण पत्र होने का उल्लेख कर स्वयं का नाम अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 59.892 प्रतिशत बनते है जिसमें 15 प्रतिशत बोनस अंक सम्मिलित है। जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
486	REKHA	HWN118196	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित वर्ग में आवेदन कर स्वयं के प्राप्तांक 51.700 प्रतिशत अंक होने पर भी अनुसूचित जाति वर्ग श्रेणी की प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 51.700 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 54. 140 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
487	RIYA BHATT	HWT125686	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव प्रमाण पत्र व व्यवसायिक योग्यता व 10वी , 12वीं	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित क्षेत्र में अनारक्षित वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 54.850 प्रतिशत बनते है जो कि टीएसपी अनारिक्षत श्रेणी में	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			के पुर्णाकों के आधार पर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 55.217 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
488	RUKAMANI SIHAG	HWN118197	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अनुभव के आधार पर होने के बावजूद भी प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित नहीं करने के संबंध में अवगत करवाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 61.058 प्रतिशत बनते है जिसमें 15 प्रतिशत बोनस अंक सम्मिलित है। जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
489	SAFINA JOIYA	HWN131866	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर आरएनसी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं 02 वर्ष 14 दिन का अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में संबंधित दस्तावेजों की जांच करने एवं प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	20 बोनस अंक प्रदान करने के उपरान्त अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 58.208 प्रतिशत हैं जो ओबीसी एनसीएल श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
490	SAMIM BANO	HWN111123	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर तलाकशुदा श्रेणी से आवेदन करना होने का उल्लेख कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल विछिन्न विवाह वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 48.400 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 54.383 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
491	SANGEETA YADAV	HWN101793	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के एएनएम प्रथम वर्ष अंकतालिका के अंक 226 के स्थान पर 216 कर दिये गये है, की त्रुटी को सुधार कर त्रुटी का निस्तारण कर योग्यता एवं मापदण्ड अनुसार अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनारक्षित विधवा वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 39.842 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम विधवा अभ्यर्थी के प्राप्तांक 44.925 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। अभ्यर्थिया के दस्तावेजो के अनुसार वास्तविक प्राप्तांको के अनुसार ही गणना की गई है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
492	SANTARA	HWN123744	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 63.510 प्रतिशत बताते हुये वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.505 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
493	SAPNA DEEPIKA	HWN125838	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 68.020 प्रतिशत बताते हुये वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 68.015 प्रतिशत हैं जो अनारक्षित श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 68.883 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
494	SARITA DARJEE	HWN103323	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी–सीएल के स्थान पर ओबीसी–एनसीएल का प्रमाण पत्र सम्मिलित कर केटेगिरी परिवर्तन करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की श्रेणी ओबीसी एनसीएल ही मानी गई है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.275 प्रतिशत हैं जो ओबीसी–एनसीएल श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। अतः कोई कार्यवाही आवश्यंक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
495	SAROJ	HWN124989	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन करने का उल्लेख कर अन्तरिम चयन सूची	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 62.630 प्रतिशत हैं जो ओबीसी–एनसीएल श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। परिवेदना में अंकित आई क्रमांक HWN124409 व आई क्रमांक HWN122783 के प्रतिशत	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			में सम्मिलित करने का निवेदन किया है। अभ्यर्थी से कम प्रतिशत वाले चयनित अभ्यर्थियो का विवरण निम्नानुसार हैः–HWN124409, HWN122783	प्राप्तांक अभ्यर्थिया से अधिक है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
496	SAROJ KUMARI	HWN100703	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को तलाकशुदा श्रेणी में आवेदित किया होना बताते हुये एवं डिक्री की प्रति संलग्न कर अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीएल विच्छिन्न विवाह वर्ग से आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 45.650 प्रतिशत हैं जो ओबीसी एनसीएल श्रेणी में चयनित अंतिम विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थी के प्राप्तांक 54.383 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
497	SAROJ KUMARI	HWN119541	अभ्यर्थियां द्वारा परिवंदना प्रस्तुत कर प्रोविजनल सूची में अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन करने का उल्लेख करते हुये स्वयं के कुल अंक ओबीसी एनसीएल श्रेणी में 61.78 प्रति बताते हुये प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 61.775 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। विभाग द्वारा भर्ती प्रकिया के दौरान अयोग्य अभ्यर्थियों के आवेदनं निरस्त किए गए है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
498	Sawiti	HWN121507	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी कैटेगरी में स्वयं के कुल प्राप्तांक 61.310 का उल्लेख करते हुये अंतिम सूची में शामिल करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 61.310 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
499	SHASHI	HWN113770	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया ने तलाकशुदा श्रेणी की सामान्य श्रेणी की 24 पदों पर आवेदन किया था। आदेशानुसार सामान्य श्रेणी के 24 पदों पर 1.5 गुणा अभ्यर्थी के हिसाब से 26 अभ्यर्थिया को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था जबकि अंतरिम चयन सूची में सामान्य श्रेणी के 24 में से 12 अभ्यर्थियो की ही लिस्ट दी गई है एवं ओबीसी श्रेणी में 14 पदों पर 21 को लिया गया है। अभ्यर्थिया ने निवेदन किया है कि भर्ती की पारदर्शिता को स्पष्ट करं कि सामान्य की शेष 12 पदों पर क्या होगा एवं सरकार के निर्देशानुसार जो अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आवेदन किया है मेरीट भी उसी श्रेणी की बनेगी जबकि आपके द्वारा ओबीसी/एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस सभी को सामान्य श्रेणी में डाला गया है। स्पष्ट करें।	अभ्यर्थिया ने रोस्टर के सम्बन्ध में प्रश्न किया है कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनारक्षित विच्छिन्न विवाह वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 46.947 बनते है जो कि सामान्य विच्छिन्न विवाह श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 64.050 है। अतः अभ्यर्थिया चयन से वंचित रही है। रोस्टर नियमानुसार ही अपनाया गया है। अतः कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

500	SHIVANI CHARPOTA	HWT105941	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया ने दस्तावेज सत्यापन के समय दस्तावेज गुम हो जाने के कारण एफआईआर करवाई थी। अभ्यर्थिया का पुनः दिनांक 27.09.2023 को दस्तावेज सत्यापन हो गया था, जिसमें अभ्यर्थिया द्वारा मूल दस्तावेजों से सत्यापन करवाया गया था। अतः अभ्यर्थिया ने 1.5 गुणा मेरिट लिस्ट में टीएसपी आई0डी0 संख्या 105941 के कॉलम में से एफआईआर क्लोज हटवाने हेतु निवेदन किया है जिससे अभ्यर्थिया का नाम अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किया जा सके।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 47.450 प्रतिशत हैं जो टीएसपी एसटी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 47.592 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
501	SHIVANI GARG	HWN107818	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर सामान्य वर्ग में तलाकशुदा वर्ग में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनारक्षित विछिन्न विवाह वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 40.175 प्रतिशत हैं जो अनारक्षित श्रेणी में चयनित अंतिम विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थी के प्राप्तांक 64.050 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
502	SHIVANI KUMAWAT	HWT117570	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल 55.17 प्रतिशत कुल अंक होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित क्षेत्र में अनारक्षित वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 55.167 प्रतिशत हैं जो टीएसपी अनारक्षित श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 55.217 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
503	SIMRAN SHARMA	HWN110609	अभ्यर्थियां द्वारा अवगत कराया है कि अंतिम वरीयता सूची में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के प्रार्थियों में 52.925 प्रतिशत तक के प्रार्थी शामिल किए गए है। 2200 प्रार्थियों का परिणाम अभी रोका गया है। अभी तक निश्चित नहीं हुआ है कि कट ऑफ मेरिट कितनी है। प्रार्थी के ईड़ब्ल्यूएस कैटेगरी में 52.460 प्रतिशत बन रहे हैं। अतः प्रार्थी को अंतिम सूची में शामिल नहीं करने का औचित्य कारण नहीं मिलने के कारण परिवेदना प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थिया द्वारा ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 52.458 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 52.925 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक ही कटऑफ मार्क्स कहलाते हैं। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
504	SNEHLATA	HWN119484	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कट ऑफ में सुधार कर फर्जीवाडे की वजह से वंचित रहे अभ्यर्थियों के संबंध में उल्लेख कर निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देकर समस्या का समाधान करने के संबंध में निम्नानुसार निवेदन किया है:– 1. बाहरी छात्र को कोर्ट की मान्यतानुसार शामिल	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 62.217 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। शेष के संबंध में विभाग द्वारा भर्ती प्रकिया के दौरान नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जा रही है। जिसपर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			या बाहर करना। 2. फर्जी दस्तावेज व अनुभव वालों को बाहर करना 3. व्यक्तिगत जानकारी छात्राओं को ना दी जाए जिनकों देनी है उनका लिस्ट में नाम दें व भ्रष्टाचार को नष्ट कर योग्य छात्राओं को शामिल करें। साथ ही अभ्यर्थियां द्वारा स्वयं के ओबीसी एनसीएल श्रेणी में आवेदन कर कुल अंक 62.22 प्रतिशत कुल अंक बताकर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।		
505	SONU KUMARI	HWN111438	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल 52.58 प्रतिशत होना के बावजूद गैर अनुसूचित क्षेत्र की कटऑफ से अधिक मार्क्स (श्रेणी तलाकशुदा) होने पर भी सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है अतः नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 52.450 प्रतिशत हैं जो ओबीसी एनसीएल विच्छिन्न विवाह श्रेणी में चयनित अंतिम विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थी के प्राप्तांक 54.383 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
506	SUDHA BALA	HWN124708	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनारक्षित वर्ग में स्वयं के कुल प्रतिशत 67.460 प्रतिशत अंक बताने का उल्लेख कर एवं यूटीबी का अनुभव प्रमाण पत्र होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं आने पर अन्तिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनारक्षित वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 67.458 प्रतिशत बनते है जिसमें 15 प्रतिशत बोनस अंक सम्मिलित है। जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 68.883 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
507	SUGANA DEVI	HWN126414	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल अंक 64.082 प्रतिशत कटऑफ से ज्यादा होना बताते हुये प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित नहीं करने के कारण व सम्पुर्ण जानकारी अभ्यर्थियां की मेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर 8740911191 पर अवगत करवाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दस्तावेज सत्यापन के दौरान निजी संस्थान द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 44.075 प्रतिशत हैं जो ओबीसी एनसीएल श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। भर्ती संबंधी समस्त सूचनाएं विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशित की जाती है। आवेदकों को व्यक्तिगत सूचना भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
508	SULOCHANA KULAHARIA	HWN119846	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल वर्ग में स्वयं के कुल 62.330 प्रतिशत होने व स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर मेरिट लिस्ट में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 62.325 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
509	SUMAN	HWN114119	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 10वीं,	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं

			एएनएम डिप्लोमा एवं अनुभव प्रमाण पत्र के 15 बोनस अंक जोडकर कुल 63.410 प्रतिशत अंक होने के कारण स्वयं को मेरिट सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	प्राप्तांक 63.408 प्रतिशत बनते है जिसमें 15 बोनस अंक सम्मिलित है। जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	है।
510	SUMAN KUMARI	HWN117986	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के ओबीसी एनसीएल वर्ग में कुल 57.430 प्रतिशत अंक एवं कोविड अवधी में कार्य करने के कारण 15 प्रतिशत बोनस अंक देने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के बोनस सहित कुल प्राप्तांक 62.425 प्रतिशत हैं जो ओबीसी एनसीएल श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। अभ्यर्थिया को 15 बोनस अंक दिये जा चुके हैं। अभ्यर्थिया ने सम्भवतया अकादमिक व व्यावसायिक योग्यता के औसत प्रतिशत प्राप्तांकों का 70 प्रतिशत लेकर गणना नहीं की है जिससे वह अपने अंक 57.430 होना बता रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
511	SUMAN KUMARI	HWN112717	अभ्यर्थिया ने ओबीसी–एनसीएल वर्ग में आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के औसत प्राप्ताक 63.51 प्रतिशत बताते हुए स्वयं का नाम किसी भी सूची में नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.510 प्रतिशत हैं जो ओबीसी एनसीएल श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
512	SUMITRA	HWN126282	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया ने ओबीसी–एनसीएल वर्ग में आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के औसत प्राप्ताक 75.35 प्रतिशत बताते हुए स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में नहीं होने से अवगत कराया है तथा विभाग द्वारा जिन–जिन आवेदनकर्ताओं का परिणाम रोका गया है उनके नाम एवं उनके प्रतिशत प्राप्तांक की सूची जारी करने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। नियमानुसार गणना करने पर अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 61.208 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में भी अभ्यर्थिया के यही प्रतिशत अंकित किये गये थे। अन्तरिम चयन सूची में परिणाम रोके गये आवेदनकर्ताओं के कारणों विभाग के स्तर पर सत्यापन करवाया जा रहा हे। जिसके पश्चात अन्तिम चयन सूची तदनुसार जारी की जायेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
513	SUNITA KUMARI	HWN115842	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 62.355 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
514	SUNITA KUMARI	HWN106436	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया राजस्थान की मूल निवासी है जिसकी शादी हरियाणा में हुई है। अभ्यर्थिया एक विधवा महिला है जो पिता के साथ रह रही है। अभ्यर्थिया को सामान्य श्रेणी में माना गया है। अतः अभ्यर्थिया ने विधवा श्रेणी में सम्मिलित कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने	अभ्यर्थिया ने अनारक्षित श्रेणी में आवेदन किया है। परिवेदना के साथ भी अभ्यर्थिया ने आरक्षित श्रेणी के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 40.950 प्रतिशत हैं जो अनारक्षित विधवा श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 44.925 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।

			हेतु निवेदन किया है।		
515	SUNITA NEHRA	HWN125646	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के 62.93 प्रतिशत प्राप्तांक होना बताया है एवं अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 62.924 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
516	SUSHILA KUMARI	HWN116858	अभ्यार्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर बताया है कि स्वयं का नाम न होकर उसके कम प्राप्तांक वाले का नाम प्रोविजनल सूची में है। अभ्यर्थिया ने जांच कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 50. 808 प्रतिशत बनते है अभ्यर्थिया की श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम अंक वाले किसी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया है। उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 52.925 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
517	SUSHILA KUMARI	HWN120724	अभ्यर्थियां ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के औसत प्राप्तांक 54.060 का उल्लेख करते हुये अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 54.058 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 54. 140 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
518	TAMU KUMARI JAT	HWN114927	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल 63.62 प्रतिशत प्राप्तांक प्रतिशत होने के कारण मेरिट सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.620 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
519	TARA KUMARI	HWN113409	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन कर स्वयं के कुल 53.440 प्रतिशत प्राप्तांक बताते हुये अन्तिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 53.442 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 54. 140 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
520	TWINKLE SHESHMAL	HWN114654	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर जिला स्तरीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का प्रमाण पत्र संलग्न कर अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित जातिवर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 49.200 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 54. 140 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ जिला अथवा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण हेतु मान्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
521	USHA GODARA	HWN111795	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के ओसत प्राप्तांक 63.46 प्रतिशत का उल्लेख करते हुये अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.458 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
522	VEENA DEVI	HWN115595	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनारक्षित विच्छिन्न विवाह वर्ग में ऑनलाईन आवेदन किया गया हैं। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.195 प्रतिशत हैं जो अनारक्षित विच्छिन्न विवाह श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 64.050 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।

				सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
523	VEER VATI	HWN101015	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर एमबीसी एनसीएल श्रेणी में स्वयं के कुल प्रतिशत 52.64 प्रतिशत होने के बावजूद प्रोविजनल सूची में नाम नहीं करने के कारण नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 52.642 प्रतिशत हैं जो एमबीसी श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 52.800 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
524	VIDHYA YADAV	HWT106444	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर टीएसपी अनुसूचित जाति वर्ग में स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं के प्रकरण की जांच कर नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग में किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 49.520 प्रतिशत हैं जो टीएसपी अनुसूचित जाति श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 50.542 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। अभ्यर्थिया की श्रेणी में अन्तिम चयनित अभ्यर्थी से कम अंक वाले किसी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
525	VIJAYLAKSHMI	HWN106631	अभ्यार्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के 50.770 प्रतिशत प्राप्तांक होना बताया है एवं अभ्यर्थिया ने जांच कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ईडब्ल्यूएस श्रेणी में किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 50.767 प्रतिशत बनते हैं जो कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 52.925 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
526	VIMLESH SAHU	HWN116249	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.335 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
527	VINEETA	HWN118001	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थी के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 66.08 से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों के नाम अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित है जबकि अभ्यर्थिया का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है। अतः अभ्यर्थिया ने अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनारक्षित वर्ग में ऑनलाईन आवेदन किया गया हैं। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 66.075 प्रतिशत बनते है जो अनारक्षित श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 68.883 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। अभ्यर्थिया की श्रेणी में अन्तिम चयनित अभ्यर्थी से कम अंक वाले किसी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
528	VINITA SARASWAT	HWN119786	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर कोरोना काल में कार्यरत होने के अनुभव का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया है। परिवेदना में भी नियमानुसार अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ईडब्लूएस वर्ग से किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 51.750 प्रतिशत बनते है जो कि जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 52.925 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
529	JASHODA NANOMA	HWN119181	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 37.88 होने के बावजूद अंतरिम चयन सूची में नाम नहीं होने तथा अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत से कम प्रतिशत	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित जनजाति वर्ग से किया गया है। अभ्यथिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर गणना करने पर कुल प्राप्तांक 35.910 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तंक 46.510 प्रतिशत से	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।

			वाले अभ्यर्थियों (क्रमांक 2306, 2307 पर अंकित) का चयन अंतरिम सूची में होने का उल्लेख करते हुए स्वंय का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाने का निवेदन किया है।	कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया।कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। क्रमांक 2306 एवं 2307 पर अभ्यर्थिया का चयन विशेष योग्यजन श्रेणी में किया गया है।	
530	NATHI DEVI NAYAK	HWN122384	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 20.06.2001 में उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार वर्ष 2002 के पश्चात् जन्मे व जीवित बच्चो की संख्या 2 से अधिक होने के कारण अभ्यर्थी को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थी नहीं माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
531	BABITA	HWN111912	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय की औसत प्राप्तांक प्रतिशत 74.890 सामान्य वर्ग की कटऑफ 68.88 से अधिक होने के कारण अतंरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 20.06.2001 में उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार वर्ष 2002 के पश्चात् जन्मे व जीवित बच्चो की संख्या 2 से अधिक होने के कारण अभ्यर्थी को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थी नहीं माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
532	HEMLATA CHOUHAN	HWN129529	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 55.250 होने तथा अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम सूची में होने का उल्लेख करते हुए स्वंय का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाने का निवेदन किया है।	कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 20.06.2001 में उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार वर्ष 2002 के पश्चात् बच्चो की गणना 2 से अधिक होने के कारण अभ्यर्थी को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थी नहीं माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
533	LEELA DEVI GARG	HWN121523	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 69.89 का उल्लेख करते हुए अनुसूचित जाति की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 20.6.2001 में उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार वर्ष 2002 के पश्चात् जन्मे व जीवित बच्चो की संख्या 2 से अधिक होने के कारण अभ्यर्थी को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थी नहीं माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
534	MEERAN SUTHAR	HWN130502	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 71.160 का उल्लेख करते हुए अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 20.06.2001 में उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार वर्ष 2002 के पश्चात् जन्मे व जीवित बच्चो की संख्या 2 से अधिक होने के कारण अभ्यर्थी को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थी नहीं माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
535	PREM LATA	HWN110032	अभ्यर्थियां ने अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन कर स्वयं के प्राप्तांक 63.42 प्रतिशत होना बताते हुये प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 20.6.2001 में उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार वर्ष 2002 के पश्चात् जन्मे व जीवित बच्चो की संख्या 2 से अधिक होने के कारण अभ्यर्थी को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थी नहीं माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
536	RAJANI DEVI	HWN124187	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल जाति श्रेणी में स्वयं के कुल प्राप्तांक 71.280 प्रतिशत होने के कारण मेरिट सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है साथ	कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 20.06.2001 में उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार वर्ष 2002 के पश्चात् जन्मे व जीवित बच्चो की संख्या 2 से अधिक होने के कारण अभ्यर्थी को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थी नहीं माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			ही अभ्यर्थियां के कुल बच्चों की संख्या 03 में से एक बच्चे को गौद देने के संबंध में गोदनामा की प्रति संलग्न की है।		
537	RUPI MEENA	HWT113520	अभ्यर्थियां द्वारा स्वयं के कुल प्राप्तांक 71.59 प्रतिशत दर्शाते हुये बोनस अंक अधिक होने पर भी चयन नहीं होने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत कर उचित कार्यवाही करन हेतु निवेदन किया है।	कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 20.06.2001 में उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार वर्ष 2002 के पश्चात् जन्मे व जीवित बच्चो की संख्या 2 से अधिक होने के कारण अभ्यर्थी को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थी नहीं माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
538	SIMA KUMARI	HWN114231	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर विभिन्न कारणों से परिणाम रोके जाने वाले अभ्यर्थियों में कम प्रतिशत वाले कितने है, की सूची जारी करने हेतु निवेदन किया है। अभ्यथिया का नाम .24 प्रतिशत अंक कम होने के कारण अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है।	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है, विभिन्न कारणों से परिणाम रोके जाने वाले अभ्यर्थियों में कम प्रतिशत वाले कितने है, की सूची जारी करने हेतु निवेदन किया है जो इस समिति की कार्यवाही में अपेक्षित नहीं है। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
539	GAYATREE BARUPAL	HWN124950	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत योग्यता सूची में अंकों की कमी आने पर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर जारी अंतरिम वरियता सूची की कटऑफ नीचे जाने की स्थिति में चयन किये जाने बाबत् निवेदन किया है। इस प्रकार प्रस्तुत परिवेदना पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। कटऑफ नीचे जाने की स्थिति में नियमानुसार चयन किया जावेगा।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
540	RADHA SAINI	HWN127639	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर दस्तावेज सत्यापन के समय तबियत खराब होने के कारण समय पर उपस्थित नहीं हो पाने का उल्लेख कर पुनः दस्तावेज सत्यापन करवाने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थी ओबीसी–दिव्यांग श्रेणी में चयनित है। सवाई मानसिंह चिकित्सालय से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण अभ्यर्थिया का परिणाम रोका गया था । संभवतया इसलिए अभ्यर्थिया ने पुनः दस्तावेज सत्यापन हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थी की दिव्यांगता परीक्षण रिपोर्ट सवाई मानसिंह चिकित्सालय से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
541	SUNITA	HWN128211	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्ततु कर निम्नानुसार निवेदन किया है:– 1. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती की सभी वर्ग की कट ऑफ जारी करवायें। 2. पद वृद्वि के बाद सभी वर्गो की सीट आंवटित उपलब्ध करवायें। 3. फर्जी अभ्यर्थियों की गहनता से जांच कर भर्ती से बाहर कर वेटिंग लिस्ट निकलवाये/जिससे प्रार्थी का सलेक्शन भी हो सके।	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल मांग पत्र दिया है जिसपर विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान समिति द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
542	KAREENA KHARADI	HWT115852	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया को पूर्व से ही जारी अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
543	ANITA GURJAR	HWN109549	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत करया है कि अति पिछड़ा वर्ग के 221 पद होने के बावजुद कुछ पद रिक्त छोड दिये गये है तथा	कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एमबीसी वर्ग हेतु आवंटित 5 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार सभी पद भरे जा चुके है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			आप से अनुरोध है कि श्रेणी वार मेरिट के आधार पर एमबीसी श्रेणी को न्यू अंतिम सुची में अति पिछड़ा वर्ग के पद कम्प्लीट करने का उल्लेख किया है।		
544	GOMTI	HWN109872	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अयोग्य अभ्यर्थियों को बाहर कर स्वंय का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अयोग्य अभ्यर्थियों को बाहर कर चयन करने बाबत् निवेदन किया है किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अयोग्य अभ्यर्थियों के विवरण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है। विभाग द्वारा दस्तावेजो की पुर्नजॉच का कार्य प्रगति पर है। जिसके आधार पर यदि कोई चयनित अभ्यर्थी अयोग्य पाया जाता है तो उसका चयन निरस्त कर रिक्तियों को भरे जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
545	MAHIDA RAMILABEN	HWT107791	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर जन्म प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना में जन्मप्रमाण की प्रति संलग्न कर उसे स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है अतः उसके आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया जावेगा। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
546	PADMA SHARMA	HWN128816	अभ्यर्थियां ने स्वयं के कुल औसत प्राप्तांक 52.15 प्रतिशत एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी से आवेदन किया है। प्रार्थिया ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी की कटऑफ 52. 68 प्रतिशत होना बताया है। परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का चयन आगामी प्रतीक्षा सूची में आने के संबंध में अवगत कराने बाबत् निवेदन किया है।	विभाग द्वारा पदस्थापन सूची जारी किये जाने के पश्चात् कार्यग्रहण नहीं करने से रिक्त रहे पदों पर जातिवर्गवार वरीयतानुसार चयन किया जाता है। जिसके संबंध में वर्तमान में अवगत कराया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
547	SAROJ KUMARI MEENA	HWN123640	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्न बिन्दुओं का प्रतिउत्तर देने हेतु निवेदन किया है:– 1. एएनएम भर्ती 2023 की गैर अनुसूचित क्षेत्र की अंतिम वरीयता अनुसूचित जन–जाति का अंतिम कट–ऑफ कितना रहा। 2.एएनएम के 4847 पदों में अनुसूचित जन–जाति के कुल कितने पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के है।	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना नहीं दी है सूचना प्राप्त करना चाही है जो विज्ञप्ति व जारी अंतरिम चयन सूची से सम्बन्धित है और वैबसाइट पर उपलब्ध है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
548	SHABIYAN BANO	HWN125359	अभ्यर्थियां द्वारा निम्नानुसार परिवेदना प्रस्तुत की है:– 1. संवेधानिक रूप से प्राप्त ओबीसी कैटेगरी का पूरा लाभ नहीं दिया गया । 2. दस्तावेज सत्यापन के समय दस्तावेजों में कमी वाले अभ्यर्थियों के अयोग्य माना जाए। 3. बाहर के राज्यों से एएनएम उर्त्तीण अभ्यर्थियों को वरीयता नहीं देकर राज. राज्य के अभ्यर्थियों को वरीयता दि जाए।	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल मांग पत्र दिया है जिसपर विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान समिति द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			4. अयोग्य अभ्यर्थियों को बाहर करते हुए पुनः वरीयता सुची कट ऑफ सहित जारी की जावें।		
549	SHANTI BAWAL	HWN126037	अभ्यर्थियां द्वारा स्वयं का नाम चयन सूची में नहीं होने के कारण निम्नानुसार परिवेदना प्रस्तुत की है:– 1. संवैधानिक रूप से प्रदत्त आरक्षण का अनुसूचित क्षेत्र को पूरा लाभ नहीं दिया गया। 2. दस्तावेज सत्यापन के समय दस्तावेजो में कमी वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य माना जाए 3. बाहर के राज्यों से एएनएम उर्त्तीण अभ्यर्थियों को वरीयता नहीं देकर राज. राज्य के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाए। 4. आंगनवाडी कार्यकर्ता से एएनएम उर्त्तीण अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाए। 5. अयोग्य अभ्यर्थियों को बाहर करते हुए पुनः वरीयता सूची कट ऑफ सहीत जारी की जावें।	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल मांग पत्र दिया है जिसपर विभाग द्वारा भर्ती प्रकिया के दौरान नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान समिति द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
550	SHIWANI	HWN107701	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर प्रोविजनल सची में स्पोर्टस श्रेणी में शामिल नहीं करने का उल्लेख कर भविष्य में द्वितीय सूची जारी होती है तो अभ्यर्थिया को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के प्रतिशत के आधार पर भर्ती में शामिल करने का निवेदन किया है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान निजी संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर बानेस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 50.308 प्रतिशत बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 52.925 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अभ्यर्थिया ने द्वितीय सूची में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के प्रतिशत के आधार पर भर्ती में शामिल करने का निवेदन किया है। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
551	SUMAN	HWN127805	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया है:– 1. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती की सभी वर्ग की कट ऑफ जारी करवायें। 2. पद वृद्वि के बाद सभी वर्गो की सीट आवंटित उपलब्ध करवाये। 3. फर्जी अभ्यर्थियों की गहनता से जांच कर भर्ती से बाहर कर वेटिंग लिस्ट निकलवाये जिससे हमारा भी सलेक्शन हो सके।	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल मांग पत्र दिया है जिसपर विभाग द्वारा भर्ती प्रकिया के दौरान नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान समिति द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
552	URMILA DEVI	HWN125788	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया ने सामान्य श्रेणी में आवेदन	अभ्यर्थिया ने कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है, 44.540 प्रतिशत से निचे के अभ्यर्थियों का अन्तरिम चयन सूची में नाम देने हेतु निवेदन किया है आरक्षण नियम के अनुसार आरक्षित	वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			किया था दस्तावेज सत्यापन सूची में गैर अनुसूचित विधवा श्रेणी में कुल 260 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन हुआ है जिसमें जनरल विधवा श्रेणी के कुल 70 अभ्यर्थी है। अन्तरिम चयन सूची में सामान्य विधवा श्रेणी के 13 अभ्यर्थी का नाम है जिनके प्राप्तांक प्रतिशत 64.564 से शुरू होकर 44.950 तक है। दस्तावेज सत्यापन सूची में (HWN129793) 64.540 प्रतिशत से उपर के कुल अभ्यर्थी सभी कैटेगरी के 30 ही है यदि 30 अभ्यर्थियो के ज्यादा प्रतिशत होने के कारण सामान्य श्रेणी में शामिल हुये तो बाकि खाली सीट पर (HWN104207) 44.540 प्रतिशत से निचे के अभ्यर्थियों का अन्तरिम चयन सूची में नाम देने की कृपा करें जिससे की प्रार्थीया जिसका प्रतिशत 43.560 है का चयन अन्तरिम चयन सूची में हो सके।	श्रेणी के पदों पर संबंधित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी का ही चयन किया जा सकता है। वर्तमान में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं	
553	SUMAN SAINI	HWN114331	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 18.9.2023 के अनुसार अभ्यर्थिया की दिव्यांगता पद हेतु उपयुक्त श्रेणी में 40 प्रतिशत से कम होने के कारण विशेष योग्यजन श्रेणी में आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 44.642 प्रतिशत हैं जो ओबीसी एनसीएल श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
554	SIMRAN	HWN114964	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	मेडिकेल बोर्ड की रिपोर्ट दिनोंक 18.9.2023 के अनुसार अभ्यर्थिया के कोई दिव्यांगता नहीं पायी गई। रिपोर्ट के अनुसार इनकी आवाज़ में परिवर्तन हुआ है जो दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 49.183 प्रतिशत हैं जो ओबीसी एनसीएल श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
555	RAINA BAIRWA	HWN103317	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने के संबंध में उल्लेख करते हुये अनुसूचित जाति विशेष योग्यजन श्रेणी में स्वयं के कुल प्राप्तांक 50.500 प्रतिशत बताते हुये अन्तिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया हे।	अभ्यर्थिया की दिव्यांगता मेंडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 20.9.2023 के अनुसार दिव्यांगता अस्थाई प्रकृति की व उपचार योग्य होने के कारण, क्योंकि इनकी दिव्यांगता का ईलाज संभव है, विशेष योग्यजन श्रेणी में आरक्षण का लाभ देय नहीं है। दिव्यांग श्रेणी आरक्षण का लाभ देय नहीं होने से स्वंय की श्रेणी में सामान्य अभ्यर्थी की तरह माना जायेगा। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 50.400 बनते है जो कि उनके अनुसूचित जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 54.140 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
556	RAJESHWARI BAI	HWN123026	दिव्यांग कैटगरी में ओएल की सूची उपलब्ध करवाने बाबत।	अभ्यर्थिया की दिव्यांगता मेंडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 20.9.2023 के अनुसार दिव्यांगता अस्थाई प्रकृति की व उपचार योग्य होने के कारण, क्योंकि इनकी दिव्यांगता का ईलाज संभव है, विशेष योग्यजन श्रेणी में आरक्षण का लाभ देय नहीं है। दिव्यांग श्रेणी आरक्षण का	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

				लाभ देय नहीं होने से स्वंय की श्रेणी में सामान्य अभ्यर्थी की तरह माना जायेगा। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 40.266 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी–एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	
557	SIMRAN BANO	HWN119962	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल पीएच श्रेणी की मेरिट 37.108 प्रतिशत से ज्यादा 45.400 प्रतिशत होने के बाद भी अंतिम वरीयता सूची में नाम शामिल नहीं करने का उल्लेख करते हुये अंतिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 18.9.2023 के अनुसार अभ्यर्थिया की दिव्यांगता पद हेतु उपयुक्त श्रेणी में 40 प्रतिशत से कम होने के कारण विशेष योग्यजन श्रेणी में आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 45.400 प्रतिशत बनते हैं जो ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
558	SITA	HWN126565	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया के अनुसूचित जाति वर्ग में विकलांगता श्रेणी में कुल प्राप्तांक प्रतिशत 52.36 होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थिया से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी यथा सुनिता ढोली के प्राप्तांक 38.150 होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित है। अतः अभ्यर्थिया ने अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 18.9.2023 के अनुसार अभ्यर्थिया की दिव्यांगता पद हेतु उपयुक्त श्रेणी में 40 प्रतिशत से कम होने के कारण विशेष योग्यजन श्रेणी में आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 52.358 प्रतिशत बनते है जो कि अनुसूचित जाति श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 54.140 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है जो कटऑफ ही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
559	SONU KUMARI	HWN124891	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 18.9.2023 के अनुसार अभ्यर्थिया की दिव्यांगता पद हेतु उपयुक्त श्रेणी में 40 प्रतिशत से कम होने के कारण विशेष योग्यजन श्रेणी में आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 40.583 प्रतिशत हैं जो अनुसूचित जाति श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 54.140 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
560	SUNITA PARASIRYA	HWN103126	अभ्यर्थियां ने परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल जाती वर्ग की विकलांगता श्रेणी में स्वयं के ओसत प्राप्तांक प्रतिशत 43.720 दर्शाते हुये अन्य अभ्यर्थी यथा क्रम संख्या 2304 पर अंकित आईडी 107488, 2206 पर अंकित आईडी HWN114758 तथा 2308 पर अंकित आईडी HWN116229 से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के उपरान्त अंतरिम चयन सूची में शामिल नहीं किया गया है। अतः प्रार्थियां को ओबीसी एनसीएल की विकलांगता श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में शामिल किया जाये।	मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार अभ्यर्थिया की दिव्यांगता पद हेतु उपयुक्त श्रेणी में 40 प्रतिशत से कम होने के कारण विशेष योग्यजन श्रेणी में आरक्षण का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 43.717 उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

561	SUSMITA	HWN120107	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 16.9.2023 के अनुसार अभ्यर्थिया की दिव्यांगता पद हेतु उपयुक्त श्रेणी में 40 प्रतिशत से कम होने के कारण विशेष योग्यजन श्रेणी में आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 44.233 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
562	URMILA	HWN115811	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग की विकलांगता श्रेणी में स्वयं के ओसत प्राप्तांक 48.090 का उल्लेख करते हुये स्वयं के ओसत प्राप्तांक से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी यथा चिरिया देवी HWN105484 अनिता सेनी HWN111137 एवं अनिता यादव का चयन अन्तरिम चयन सूची में होने के उपरान्त भी प्रार्थीया का चयन अन्तरिम चयन सूची में नहीं किया गया है अतः प्रार्थीया को भी अन्तरिम चयन सूची में सम्मिलित किया जावें।	मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार अभ्यर्थिया की दिव्यांगता पद हेतु उपयुक्त श्रेणी में 40 प्रतिशत से कम होने के कारण विशेष योग्यजन श्रेणी में आरक्षण का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 48.092 उनके ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वसीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
563	CHENEE	HWN103474	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 49.740 प्रतिशत बताते हुए ओबीसी–एनसीएल वर्ग में पीएच श्रेणी से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने पीएच श्रेणी की कटऑफ 38 प्रतिशत बताते हुए स्वयं के अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	सवाई मानसिंह अस्पताल में गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 13.9.2023 के अनुसार अभ्यर्थिया की दिव्यांगता पद हेतु उपयुक्त श्रेणी में 40 प्रतिशत से कम होने के कारण विशेष योग्यजन श्रेणी में आरक्षण का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 49.742 उनके जातिवर्ग ओबीसी–एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
564	MAMTA	HWN125953	अभ्यर्थिया ने स्वयं के कुल प्राप्तांक 62.430 प्रतिशत बताते हुए महिला पीएच श्रेणी से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 20.9.2023 के अनुसार अभ्यर्थिया की दिव्यांगता पद हेतु उपयुक्त श्रेणी में 40 प्रतिशत से कम होने के कारण विशेष योग्यजन श्रेणी में आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 62.425 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
565	ALKA KUMARI GARG	HWN108132	प्रार्थीया का विशेष योग्यजन श्रेणी में अतंरिम वरियता सूची में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत जबकि प्रार्थीया से कम प्रतिशत	अभ्यर्थिया द्वारा अनारक्षित वर्ग से आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया की दिव्यांगता मेंडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 20.9.2023 के अनुसार पद हेतु उपयुक्त श्रेणी में 40 प्रतिशत से कम होने के कारण विशेष योग्यजन श्रेणी में आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 47.798 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

			यथा आई0डी0 113631, 112272, 110027, 116229 वाले अभ्यर्थियों का अंतरिम वरियता सूची में नाम अंकित है। अतः अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	प्राप्तांक प्रतिशत 68.883 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना में उल्लेखित आईडी क्रमांको का मेडिकल बौर्ड की रिपोर्ट के अनुसार विशेष योग्यजन श्रेणी में पात्र माने जाने के फलस्वरूप चयन विशेष योग्यजन श्रेणी में किया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
566	AMIYA DEVI	HWN126957	दिव्यांग श्रेणी में अतंरिम वरियता सूची में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	अभ्यर्थिया की दिव्यांगता मेंडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 20.9.2023 के अनुसार दिव्यांगता अस्थाई प्रकृति की व उपचार योग्य होने के कारण, क्योंकि इनकी दिव्यांगता का ईलाज संभव है, विशेष योग्यजन श्रेणी में आरक्षण का लाभ देय नहीं है। दिव्यांग श्रेणी आरक्षण का लाभ देय नहीं होने से स्वयं की श्रेणी में सामान्य अभ्यर्थी की तरह माना जायेगा। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 54.415 बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी–एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
567	ARTI	HWN122070	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 56.340 है जो विशेष योग्यजन श्रेणी की कटऑफ से अधिक है परन्तु अभ्यर्थिया का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं है। अतः अभ्यर्थिया ने वरियता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 20.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थिया को स्थाई दिव्यांगता नहीं होने के कारण, क्योंकि इनकी दिव्यांगता का ईलाज संभव है, दिव्यांग श्रेणी का लाभ देय नहीं है। दिव्यांग श्रेणी आरक्षण का लाभ देय नहीं होने से स्वंय की श्रेणी में सामान्य अभ्यर्थी की तरह माना जायेगा। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 56.433 उनके अनारक्षित में चयनित अंतिम अभ्यर्थियों के प्राप्तांक प्रतिशत 68.883 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
568	ARTI SHARMA	HWN107718	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की अंतरिम चयन सूची में विशेष योग्यजन सामान्य श्रेणी प्रतिशत 43.00 का नाम अंकित है परन्तु अभ्यर्थिया के विशेष यौग्यजन ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 45 प्रतिशत अंक होने के बावजूद भी नाम अंतरिम चयन सूची में अंकित नहीं है। अतः अभ्यर्थया द्वारा अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 20.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थिया को स्थाई दिव्यांगता नहीं होने के कारण, क्योंकि इनकी दिव्यांगता का ईलाज संभव है, दिव्यांग श्रेणी का लाभ देय नहीं है। दिव्यांग श्रेणी आरक्षण का लाभ देय नहीं होने से स्वंय की श्रेणी में सामान्य अभ्यर्थी की तरह माना जायेगा। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 45.008 उनके जातिवर्ग ईडब्ल्यूएस में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 52.925 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
569	KARISHMA	HWN115976	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 50.190 विशेष योग्यजन ओबीसी–एनसीएल श्रेणी की कटऑफ से अधिक होने के कारण विशेष योग्यजन ओबीसी–एनसीएल श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया की दिव्यांगता पद हेतु उपयुक्त श्रेणी में 40 प्रतिशत से कम होने के कारण विशेष योग्यजन श्रेणी में आरक्षण का लाभ देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 50.192 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
570	INDRA JAT	HWN112588	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थिया द्वारा केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया का पंजीकरण राजस्थान नर्सिंग कौंसिल नहीं होने के कारण अभ्यर्थिया को अपात्रता की श्रेणी में माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक समस्त योग्यता	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी.बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
571	ARCHANA	HWN125407	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है जो आवेदन पत्र के स्थान संलग्न करवाना चाहती है, जिनमें एक नियुक्ति पत्र व दूसरा अनुभव प्रमाण पत्र है जो निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं है अतः अमान्य है। अभ्यर्थिया का पंजीकरण राजस्थान नर्सिंग कौंसिल नहीं होने के कारण अभ्यर्थिया को विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार अपात्रता की श्रेणी में माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक समस्त योग्यता पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी. बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
572	KAVITA GURJAR	HWN120331	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया का माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दस्तावेज सत्यापन दिनांक 16.09. 2023 को हो चुका है। अभ्यर्थिया ने अंतरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया का पंजीकरण राजस्थान नर्सिंग कौंसिल नहीं होने के कारण अभ्यर्थिया को विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार अपात्रता की श्रेणी में माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक समस्त योग्यता पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी. बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
573	KHAMOSH GURJAR	HWN126124	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अंतरिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया का पंजीकरण राजस्थान नर्सिंग कौंसिल नहीं होने के कारण अभ्यर्थिया को विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार अपात्रता की श्रेणी में माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक समस्त योग्यता पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी. बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
574	LADAN DEVI	HWN114687	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्रतिशत अंक 42.37 होने एवं स्वयं से कम प्रतिशत अंक वाले अभ्यर्थी जिनकी आईडी क्रमांक HWT120720 होने पर चयन होने का उल्लेख कर चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया का पंजीकरण राजस्थान नर्सिंग कौंसिल नहीं होने के कारण अभ्यर्थिया को विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार अपात्रता की श्रेणी में माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक समस्त योग्यता पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी. बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है। अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना में उल्लेखित आईडी क्रमांक अनुसूचित क्षेत्र से है जबकि अभ्यर्थिया द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र से आवेदन किया गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
575	LIKSHMA BAI	HWN123402	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में रिट संख्या 9140/23 की प्रतिलिपि एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर सूची में नाम सम्मिलित करवाने बाबत	रिट याचिका संख्या 9140/23 को माननीय न्यायालय द्वारा एक अन्य रिट याचिका संख्या 3709/2023 के साथ कनेक्ट किया गया है। रिट याचिका संख्या 3709/23 को माननीय न्यायालय द्वारा एस0बी0 सिविल याचिका संख्या 1008/23 प्रीतम मितवा बनाम सरकार के साथ कनेक्ट करते हुए खारिज किया जा चुका है। अभ्यर्थी आवेदन की तिथि को राजस्थान	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			निवेदन किया है।	नर्सिंग कौन्सिल में पंजीकृत नहीं होने के कारण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद हेतु पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
576	MANISHA YADAV	HWN128436	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 73.370 है जबकि अभ्यर्थिया से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित है। अतः अभ्यर्थिया ने बोनस अंकों को जोडकर अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया का पंजीकरण राजस्थान नर्सिंग कौंसिल नहीं होने के कारण अभ्यर्थिया को विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार अपात्रता की श्रेणी में माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक समस्त योग्यता पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी. बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
577	MANJU KUMARI	HWN128483	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 48.030 प्रतिशत बताते हुए ओबीसी–एनसीएल विधवा वर्ग से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के ओबीसी–एनसीएल विधवा वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया का पंजीकरण राजस्थान नर्सिंग कौंसिल नहीं होने के कारण अभ्यर्थिया को विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार अपात्रता की श्रेणी में माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक समस्त योग्यता पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी. बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
578	PINKY KUSHWAH	HWN120773	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि सामान्य जाति वर्ग की कट ऑफ में 70 प्रतिशत वाले अभ्यर्थी भी शामिल है जबकि प्रार्थिया के कुल अंक 75.50 प्रतिशत होने के उपरान्त भी लिस्ट में नाम नहीं जोडा गया है अतः वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने की कृपा करें।	अभ्यर्थिया का पंजीकरण राजस्थान नर्सिंग कौंसिल नहीं होने के कारण अभ्यर्थिया को विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार अपात्रता की श्रेणी में माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक समस्त योग्यता पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी. बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
579	PRIYANKA KASANA	HWN119669	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल अंकतालिकाएं, प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	अभ्यर्थिया ने ऑनलाइन आवेदन के साथ पंजाब नर्सिंग कौंसिल का रजिस्ट्रेश प्रामाण पत्र संलग्न किया है। अतः अभ्यर्थिया का पंजीकरण राजस्थान नर्सिंग कौंसिल नहीं होने के कारण अभ्यर्थिया को विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार अपात्रता की श्रेणी में माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक समस्त योग्यता पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी.बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
580	RAVINA	HWN109884	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थिया के पास व्यावसायिक योग्यता की	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ एएनएम द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षा की अंकतालिका दिनांक 18.09.2023 संलग्न की है	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			द्वितीय वर्ष की अंकतालिक एवं आरएनसी में पजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं थे जिन्हे परिवेदना के साथ उपलब्ध कराते हुये अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत् निवेदन किया है।	जिसके अनुसार अभ्यर्थिया आवेदन की दिनांक को निर्धारित योग्यता नहीं रखती थी। अतः विज्ञप्ति की शर्त एवं नियमानुसार इस भर्ती हेतु आवेदन की पात्र नहीं है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक समस्त योग्यता पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी.बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
581	RINKU TANK	HWT113385	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थिया ने परिवेदना के साथ एएनएम द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षा की अंकतालिका दिनांक 18.09.2023 संलग्न की है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया आवेदन की दिनांक को निर्धारित योग्यता नहीं रखती थी। अतः विज्ञप्ति की शर्त एवं नियमानुसार इस भर्ती हेतु आवेदन की पात्र नहीं है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक समस्त योग्यता पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी.बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
582	SHAYAR	HWN120121	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर एमबीसी वर्ग में स्पोर्टस पर्सन श्रेणी में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया का पंजीकरण राजस्थान नर्सिंग कौंसिल नहीं होने के कारण अभ्यर्थिया को विज्ञप्ति की शर्त के अनुसार अपात्रता की श्रेणी में माना गया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। डी.बी. याचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में माननीय न्यायालय ने आवेदन की दिनांक समस्त योग्यता पूर्ण होना आवश्यक माना है। इसी प्रकार एक अन्य डी.बी. रिट याचिका संख्या 349/2020 सुमन जाट बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर खारिज किया जा चुका है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
583	HANSA KUMARI BARJOD	HWN110537	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया द्वारा पूर्व में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती में आवेदन किये जाने पर आरएनसी रजिस्ट्रेशन उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। वर्तमान में आरएनसी रजिस्ट्रेशन दिनांक 07.07.2023 उपलब्ध होने पर परिवेदना के साथ संलग्न कर अभ्यर्थिया का नाम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित जनजाति वर्ग से किया गया है। अभ्यथिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर गणना करने पर कुल प्राप्तांक 42.040 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके जातिवर्ग अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रिल अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तंक 46.510 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। ऑनलाईन आवेदन करते समय अभ्यर्थिया राजस्थान नर्सिंग कौंसिल से पंजीकृत नहीं थी। विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तो के अनुसार आवेदन के पश्चात् कोई दस्तावेज मान्य नहीं किया जा सकता है। डी.बी यचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में पारित निर्णय दिनांक एवं समान प्रकरण यचिका सं. 15115/2018 सुमन जाट बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने आदेश पारित कर आवेदन की दिनांक को समस्त योग्यताएं पूर्ण जाने के निर्देश प्रदान किये हैं। इस प्रकार अभ्यर्थिया महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु पात्र अभ्यर्थी नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
584	HANSA KUMARI BARJOD	HWT110470	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया द्वारा पूर्व में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती में आवेदन किये जाने पर	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग से किया गया है। अभ्यथिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के आधार पर गणना करने पर कुल प्राप्तांक 42.040 प्रतिशत बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में उनके	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			आरएनसी रजिस्ट्रेशन उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। वर्तमान में आरएनसी रजिस्ट्रेशन दिनांक 07.07.2023 उपलब्ध होने पर परिवेदना के साथ संलग्न कर अभ्यर्थिया का नाम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	जातिवर्ग अनुसूचित जनजाति वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तंक 46.310 प्रतिशत से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। ऑनलाईन आवेदन करते समय अभ्यर्थिया राजस्थान नर्सिंग कौंसिल से पंजीकृत नहीं थी। विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तो के अनुसार आवेदन के पश्चात् कोई दस्तावेज मान्य नहीं किया जा सकता है। डी.बी यचिका संख्या 252/2019 सरकार बनाम जैबा में पारित निर्णय दिनांक एवं समान प्रकरण यचिका सं. 15115/2018 सुमन जाट बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने आदेश पारित कर आवेदन की दिनांक को समस्त योग्यताएं पूर्ण जाने के निर्देश प्रदान किये हैं। इस प्रकार अभ्यर्थिया महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 हेतु पात्र अभ्यर्थी नहीं है।	
585	AKLIMA BANO	HWN102323	कोई परिवेदना संलग्न नहीं है, केवल दस्तावेज संलग्न है।	अभ्यर्थिया द्वारा 10वी परीक्षा बोर्ड ऑफ हायर सेकण्डरी एजुकेशन, दिल्ली से उत्तीर्ण की है जो कि बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों द्वारा उत्तीर्ण नहीं होने के कारण अभ्यथ्री की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
586	TARAMANI	HWN110148	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड के कार्यानुभव को जोडकर बोनस अंक देने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थिया द्वारा 10वी परीक्षा बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन मध्यभारत ग्वालियर उत्तीर्ण की है जो कि बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों द्वारा उत्तीर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
587	BHURI DEVI MEENA	HWN111136	कोई परिवेदना संलग्न नहीं है। स्वयं के पुत्रों की 10वीं की अंकतालिका संलग्न की है। सूची में नाम सम्मिलित करने बाबत्।	अभ्यर्थिया द्वारा 10वीं परीक्षा बोर्ड ऑफ हायर सेकण्डरी एजुकेशन, दिल्ली से उत्तीर्ण की है जो कि बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों द्वारा उत्तीर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
588	SUNITA MEENA	HWN116183	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के 81.82 प्रतिशत प्राप्तांक एसटी वर्ग में होना बताया है एवं अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने 10वीं की परीक्षा कौंसिल ऑफ सैकण्डरी एजूकेशन मौहाली से उत्तीर्ण की है जो कि बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों द्वारा उत्तीर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
589	SHEELA SUMAN	HWN125355	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया ने 10वीं की परीक्षा हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से उत्तीर्ण की है जो कि बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों द्वारा उत्तीर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
590	Rekha Kumari Bairwa	HWN125357	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा 10वीं परीक्षा कौंसिल ऑफ हायर सैकण्डरी एजुकेशन, दिल्ली से उत्तीर्ण की है जो कि बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों द्वारा उत्तीर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
591	MANJU LATA	HWN125461	अभ्यर्थियां ने कोई परिवेदना संलग्न नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है जिसमें कौंसिल ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, मोहाली से 10वीं	अभ्यर्थिया द्वारा 10वी परीक्षा काउंसिल ऑफ सैकेण्डरी एज्युकेशन, मोहाली से उत्तीर्ण की है जो कि बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों द्वारा उत्तीर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। कोई	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			उत्तीर्ण अंकतालिका संलग्न की है।	कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
592	ASHA KUMARI	HWN126719	पूर्व में अपलोड की गई मार्कशीट के स्थान नवीन मार्कशीट को मान्य कर सूची में नाम सम्मिलित करने बाबत्।	अभ्यर्थिया द्वारा दिल्ली राज्य मुक्त विद्यालय से उत्तीर्ण की है जो कि बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों द्वारा उत्तीर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
593	bhuri kumari	HWT126658	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है अपितु सैकेण्डरी जामिया की अंकतालिका, याचिका संख्या 1457/2021 के आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया द्वारा 10वीं परीक्षा बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों द्वारा उत्तीर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
594	AMRIT KANWAR	HWN125946	प्राथी ने भूलवश वर्ष 2010 में बोर्ड ऑफ सैकेण्डरी एजुकेशन मध्य भारत, ग्वालियर से उत्तीर्ण 10वीं की परीक्षा के स्थान पर स्टेट बौर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, तमिलनाडू से उत्तीर्ण 10वी की अंकतालिका को सम्मिलित करते हुए आवेदन किया गया। अतः उपरोक्त मान्य बोर्ड से उत्तीर्ण सैकेण्डरी अंकतालिका को सम्मिलित करते हुए आवेदन स्वीकार कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु।	अभ्यर्थिया द्वारा 10वीं परीक्षा बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, मध्य भारत ग्वालियर से उत्तीर्ण की है जो कि बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों द्वारा उत्तीर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
595	ANITA	HWN125750	अभ्यर्थिया ने परिवेदन प्रस्तुत कर स्वंय के प्राप्तांक 78.200 प्रतिशत ओबीसी एनसीएल की कट–ऑफ से अधिक होने के कारण अंतरिम वरियता सूची मे नाम जोड़ने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा 10वीं परीक्षा बोर्ड ऑफ हायर सेकण्डरी एजुकेशन, दिल्ली से उत्तीर्ण की है जो कि बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों द्वारा उत्तीर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
596	BHIKHI BAAI	HWN124706	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया के तकनीकी शिक्षा के अंकों का प्रतिशत 79.4 होने के उपरांत भी अनुसूचित जाति वर्ग की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अंतरिम चयन सूची के क्रम संख्या 2305, 444, 195 पर अंकित अभ्यर्थियों के तकनीकी शिक्षा के अंकों का प्रतिशत कम होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थिया ने अनुसूचित जाति वर्ग की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा 10वी परीक्षा कौंसिल ऑफ हायर सेकण्डरी एजुकेशन, दिल्ली से उत्तीर्ण की है जो कि बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों द्वारा उत्तीर्ण नहीं होने के कारण अभ्यथ्री की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
597	femida	HWN117315	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अंकतालिका	अभ्यर्थिया द्वारा 10वी परीक्षा बोर्ड ऑफ हायर सैकण्डरी एजुकेशन, दिल्ली. से उत्तीर्ण की है	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं

			के अनुसार अंकों की सही गणना कर अंक दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया है।	जो कि बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों द्वारा उत्तीर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
598	karamjeet kaur	HWN130487	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर कोरोना अवधि के अनुभव का लाभ दिया जाकर बोनस अंकों को जोडकर अनुसूचित जाति वर्ग की अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा 10वी परीक्षा बोर्ड ऑफ हायर सैकण्डरी एजुकेशन, दिल्ली से उत्तीर्ण की है जो कि बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों द्वारा उत्तीर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
599	LALITA BAI	HWN112864	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 72.55 प्रतिशत बताते हुए अनारक्षित महिला वर्ग से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के जाति वर्ग अनारक्षित महिला वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम मेरिट सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा 10वी परीक्षा अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, दिल्ली से उत्तीर्ण की है जो कि बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों द्वारा उत्तीर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
600	PARMJEET KAUR	HWN101570	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 50.560 प्रतिशत बताते हुए ओबीसी–एनसीएल महिला वर्ग में विधवा श्रेणी से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा 10वी परीक्षा बोर्ड ऑफ हायर सैकण्डरी एजुकेशन से उत्तीर्ण की है जो कि बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका 2020 में वर्णित संस्थानों द्वारा उत्तीर्ण नहीं होने के कारण अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा चुकी है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
601	KRISHANA	HWN128740	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि माननीय उच्च न्यायालय की पालना में विभाग द्वारा करीब 5 वर्ष तक अनदेखी करने से अनुभव और बोनस अंक का लाभ नहीं मिल सका। अन्य अभ्यर्थियों ने भी 2017 में रिट लगाई थी जिनके नियुक्ति के आदेश भी माननीय उच्च न्यायालय ने 2018 में दिए थे इन अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में विभाग द्वारा कुछ समय के पश्चात 2019 में नियुक्ति दे दी जाती है जबकि हमें भी आदेश माननीय न्यायालय द्वारा 2018 में ही दिए गए थे और हमें नियुक्ति 14.02.2023 को दी गई	अभ्यर्थिया की अनुभव अवधि एक वर्ष से कम कोविड अवधि में नहीं होने के कारण बोनस अंक देय नहीं है। अभ्यर्थिया ने ओबीसी एनसीएल श्रेणी में आवेदन किया है। अभ्यर्थिया के प्रतिशत प्राप्तांक 40.664 है जो अभ्यर्थिया की श्रेणी में अन्तिम चयनित अभ्यर्थी से कम होने के कारण चयन नहीं किया जा सकता। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

			इस प्रकार हमें विभाग द्वारा 5 वर्ष की देरी की गई इन अभ्यर्थियों के साथ ही हमें भी नियुक्ति प्रदान कर दी जाती तो उसे 5 वर्ष का अनुभव तथा 30 बोनस अंक प्राप्त हो जाते। प्राथी ने परिवदेना प्रस्तुत कर मांग की है कि उनकी नियुक्ति 2018 से मानते हुए 30 बोनस अंक प्रदान किये जाये। इस भर्ती में बोनस अंक प्राप्त करने के लिये हमने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रीट क्रमांक 13890/12.09.2023 रिट लगाई।		
602	SUMAN KUMARI	HWN105828	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं है। नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। साथ ही निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वार जारी नहीं किया हुआ अनुभव प्रमाण पत्र भी मान्य नहीं है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 40.717 बनते हैं जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी–एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
603	SANJU KUMARI GOSWAMI	HWN115919	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अभ्यर्थिया ने ए.एन.,एम प्रशिक्षण वर्ष 2023 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया ने आशा सहयोगिनी का कार्य ही सम्पादित किया है जो ए.एन.एम. के कार्य के समरूप नहीं है। अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 46.320 उनके जातिवर्ग ओबीसी–एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
604	KISHNI KUMARI	HWN117399	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं परिवेदना के साथ बाल विकास परियोजना अधिकारी, बाड़मेर द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यकर्ता पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने एवं आंगनबाडी कार्यकर्ता का कार्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य के समान नहीं होने के कारण बोनस अंकों लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। रिट याचिका 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार एवं डी.बी. याचिको सं. 1660/2018 कविता पंवार बनाम सरकार को माननीय न्यायालय द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी अनुभव प्रमाण पत्र के अभाव में खारिज कर दिया है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना करने के निर्देश प्रदान किये हैं। जिसका संबंध समान कार्य से है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 47.458 बनते है जो कि आबीसी–एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
605	NIRMALA KHICHAR	HWN122813	कोई परिवेदना संलग्न नहीं है। केवल दस्तावेज संलग्न किया है। सूची में नाम सम्मिलित करने बाबत्। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकरी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं होने के कारण मान्य नहीं किया जा सकता है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में /सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार में खारिज कर दिया है। अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				से संबंधित है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 43.975 बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
606	VIMALESH	HWN129383	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अभ्यर्थिया ने ए.एन.,एम प्रशिक्षण मई 2023 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया ने आशा सहयोगिनी का कार्य ही सम्पादित किया है जो ए.एन.एम. के कार्य के समरूप नहीं है। अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 52.405 बनते है जो कि अनुसूचित जाति में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 54.140 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
607	REKHA BAI MEENA	HWN130841	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई कवेल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर द्वारा केयर कोर्डिनेटर पद का 1370 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसमे बिन्दु संख्या 6.2 में समान कार्य हेतु "नहीं" अंकित किया गया है। अतः अभ्यर्थिया द्वारा संपादित कार्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य के समान नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सक्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 38.232 प्रतिशत बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 50.075 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं।
608	HAMSHA BANU	HWN109935	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं

			औसत प्राप्तांक प्रतिशत 71.590 ईडब्ल्यूएस श्रेणी की कटऑफ प्रतिशत 52.92 एवं सामान्य वर्ग की कटऑफ 68.88 प्रतिशत से अधिक होने के कारण अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 41.842 बनते है जो उनके जातिवर्ग ईडब्ल्यूएस में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 52.925 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
609	INDIRA NANGALIYA	HWN127780	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर आशा सहयोगिनी के पद के अनुभव का लाभ प्रदान करते हुए बोनस अंकों को जोडकर अनुसूचित जाति विवाह विच्छिन्न श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहायोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। अभ्यर्थिया ने ए.एन.,एम प्रशिक्षण वर्ष 2023 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया आशा सहयोगिनी ही रही है अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय आधारित सोशल वर्कर है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान परित्यक्यता के संबंध में डिक्री पस्तुत नहीं की गई जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को विच्छिन्न विवाह वर्ग के आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 48.250 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग अनुसूचित जाति में चयनित अंतिम अभ्यर्थियों के प्राप्तांक प्रतिशत 54.140 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
610	JYOTI KUMARI	HWN119758	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय का नाम अंतरिम चयन सूची में नहीं होने तथा अन्य अभ्यर्थिया मंजू सेन (आई0डी0 130069) का नाम अंतरिम सूची में क्रमांक 2051 पर होने का उल्लेख करते हुए स्वंय का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहायोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। अभ्यर्थिया ने ए.एन.,एम प्रशिक्षण वर्ष 2023 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया आशा सहयोगिनी ही रही है अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 42.050 प्रतिशत बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना में उल्लेखित आईडी संख्या HWN130069 पर अंकित अभ्यर्थिया को सहवन से बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है जिसे आगामी चयन प्रक्रिया में शून्य कर दिया जावेगा।	
611	KUMARI MANOJ	HWN130457	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के पास आशा सहयोगिनी का 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र है को स्वीकार करते हुए अंतिम वरीयता सूची में शामिल करने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अभ्यर्थिया ने ए.एन.,एम प्रशिक्षण वर्ष 2023 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया ने आशा सहयोगिनी का कार्य ही सम्पादित किया है जो ए.एन.एम. के कार्य के समरूप नहीं है। अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 43.235 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी–एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
612	LAXMI KUMARI	HWN119683	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया ने आशा सहयोगिनी के पद पर एएनएम प्रशिक्षण प्राप्त किया है जिसका 30 प्रतिशत अंकों का अनुभव प्रमाण पत्र संयुक्त निदेशक भरतपुर द्वारा जारी किया गया है। अभ्यर्थिया का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है जबकि मंजू सेन पुत्री भंवरलाल, आई0डी0 130069 का नाम सम्मिलित है। अतः अभ्यर्थिया ने स्वंय का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अभ्यर्थिया ने ए.एन.,एम प्रशिक्षण वर्ष 2023 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			है।	आशा सहयोगिनी ही रही है अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 45.050 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना में उल्लेखित आईडी संख्या HWN130069 पर अंकित अभ्यर्थिया को सहवन से बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है जिसे आगामी चयन प्रक्रिया में शून्य कर दिया जावेगा।	
613	LEELA GURJAR	HWN104776	कोविड में आंगनवाडी पर किया गया कार्य को सम्मिलित करते हुए सूची में नाम सम्मिलित करने बाबत्।	आगनबाडी पर किया गया कार्य स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य के समान नहीं होने से बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
614	LILA DEVI	HWN129731	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव के आधार पर 30 बोनस अंक जोडकर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करवाने बाबत निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अभ्यर्थिया ने ए.एन.,एम प्रशिक्षण वर्ष 2023 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया ने आशा सहयोगिनी का कार्य ही सम्पादित किया है जो ए.एन.एम. के कार्य के समरूप नहीं है। अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 40.917 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी–एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

615	MAMTA KUMARI YADAV	HWT123900	अभ्यर्थिया ने परिवेदना एवं इसके संलग्नक में याचिका संख्या 8081/2023 में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2023 एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में जारी आशा सहायोगिनी के पद के अनुभव 30 का लाभ दिया जाकर अभ्यर्थिया के कुल औसत प्राप्तांक प्रतिशत 66.73 है जो कि टीएसपी अनुसूचित जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक है। इसके उपरांत भी अभ्यर्थिया का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है। अतः अभ्यर्थिया ने स्वंय का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अभ्यर्थिया ने ए.एन.,एम प्रशिक्षण वर्ष 2023 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया ने आशा सहयोगिनी का कार्य ही सम्पादित किया है जो ए.एन.एम. के कार्य के समरूप नहीं है। अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 56.330 उनके जातिवर्ग ओबीसी–एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 36.725 प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 50.542 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
616	MANJU DEVI	HWN129022	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 67 प्रतिशत बताते हुए दस्तावेज सत्यापन में भाग लिया था जिसमें उन्हे आंगनबाड़ी के 15 बोनस अंकों का लाभ दिया गया था किन्तु प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 56.330 उनके जातिवर्ग ओबीसी–एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 36.867 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				प्राप्तांक प्रतिशत 54.140 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
617	MAYA JANGIR	HWN115737	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर आशा सहयोगिनी के पद का अनुभव का लाभ देते हुये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अभ्यर्थिया ने ए.एन.,एम प्रशिक्षण वर्ष 2023 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया ने आशा सहयोगिनी का कार्य ही सम्पादित किया है जो ए.एन.एम. के कार्य के समरूप नहीं है। अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 53.205 प्रतिशत बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होन के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
618	MEENA KUMARI SHARMA	HWN130735	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी, माण्डलगढ़ भीलवाड़ा द्वारा आंगनबाडी केन्द्र पर कार्यकर्ता पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने से मान्य नहीं है। एवं समरूप कार्य का नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में /सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार में खारिज कर दिया है। अभ्यर्थिया द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के ओदश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अतः इन्हे ए.एन.एम. के	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 49.308 प्रतिशत बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 52.925 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
619	MEERA KUMARI	HWN105500	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावज सत्यापन के दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी, धौलपुर द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यकर्ता पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं होने से मान्य नहीं है। एवं समरूप कार्य का नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में /सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डीबी याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार में खारिज कर दिया है। अभ्यर्थिया द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के ओदश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सक्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 41.417 प्रतिशत बनते है जो उनके जातिवर्ग अनुसूचित जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 54.140 प्रतिशत से कम होने कोरण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
620	MONIKA SWAMI	HWN119946	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल श्रेणी की कट ऑफ 63.65 प्रतिशत से ज्यादा स्वयं के कुल प्राप्तांक 73.040 होने का उल्लेख कर अंतिम सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अभ्यर्थिया ने ए.एन.,एम प्रशिक्षण वर्ष 2023 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कार्य ही सम्पादित किया है जो ए.एन.एम. के कार्य के समरूप नहीं है। अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अनुभव के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 43.042 बनते हैं जो ओबीसी–एनसीएल श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांकों 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वचित रहीं है।। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
621	NIRMALA	HWN121811	अभ्यर्थियां ने स्वयं के जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में याचिकाकर्ता की बोनस अंकों की मांग को याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार एवं डी.बी. याचिका संख्या. 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार में खारिज कर दिया है। अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के ओदश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अभ्यर्थिया ने ए.एन.,एम प्रशिक्षण वर्ष 2021 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया ने आशा सहयोगिनी का कार्य ही सम्पादित किया है जो ए.एन.एम. के कार्य के समरूप नहीं है। अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 40.242 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वचित रही है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

622	POOJA JAT	HWN130040	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दस्तावेज सत्यापन के पश्चात मेरे कुल अंक 73.950 प्रतिशत है मैंने कोविड–19 के दौरान कार्य किया था जिसका मुझे अनुभव प्रमाण पत्र मिला है इसलिये मुझे अंतरिम वरीयता सूची में नाम जोडने की कृपा करें।	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के ओदश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अभ्यर्थिया ने ए.एन.,एम प्रशिक्षण वर्ष 2023 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया ने आशा सहयोगिनी का कार्य ही सम्पादित किया है जो ए.एन.एम. के कार्य के समरूप नहीं है। अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 43.950 बनते है जो कि ओबीसी–एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
623	PUSHPA MEGHWAL	HWN129630	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के दस्तावेज सत्यापन हेतु आंमंत्रित सूची में 73.98 प्रतिशत बताते हुये आशा सहायोगिनी के पद के अनुभव का लाभ प्रदान कर अन्तरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के ओदश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 43.983 बनते हैं जो इनके अनुसूचित जातिवर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के प्राप्तांक 44.140 से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
624	SANTOSH KUMARI PRAJAPAT	HWN118728	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर आशा सहायोगिनी के पद का अनुभव प्रमाण पत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति का उल्लेख कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			श्रेणी से आवेदन कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 76.620 प्रतिशत अंक होने पर भी वरीयता सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत निवेदन किया है।	सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अभ्यर्थिया ने ए.एन.,एम प्रशिक्षण वर्ष 2023 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया ने आशा सहयोगिनी का कार्य ही सम्पादित किया है जो ए.एन.एम. के कार्य के समरूप नहीं है। अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 46.617 उनके जातिवर्ग ओबीसी–एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
625	SHAYAR	HWN124615	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर आाशा सहयोगिनी के पद पर कार्यरत अभ्यर्थी जिसकी आईडी HWN127277 का चयन होने का उल्लेख किया है जबकि अभ्यर्थी भी आशा सहयोगिनी के पद पर कार्यरत है एवं 30 बोनस अंक जोडकर कुल 72.450 प्रतिशत बनते है इसलिये प्रोविजनल सूची में नाम जोडने के संबंध में निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 42.450 उनके ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। आई डी सं. HWN127277 पर चयनित अभ्यर्थिया को अन्तरिम चयन सूची में सहवनवश अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ दिया गया है । उक्त अनुभव आशा सहयोगिनी पद का होने के कारण बोनस अंक शून्य किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
626	SUNITA DEVI	HWN119144	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्ततु कर आशा सहयोगिनी के पद का अनुभव प्रमाण पत्र होने का उल्लेख कर नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 45.290 उनके अनारक्षित वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 68.883 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
627	SUPRIYA	HWN118058	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के ओसत प्राप्तांक 61.95 प्रतिशत का उल्लेख करते हुये अनुसूचित जाति वर्ग की अन्य अभ्यर्थियां प्रियंका आईडी HWN119553 की प्रतिशत 59.78 से स्वयं के प्राप्तांक प्रतिशत अधिक होने का उल्लेख कर अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया का अनुभव पंजाब राज्य का एवं आशा कार्यकर्ता का है जिसका नियमानुसार बोनस का लाभ देय नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्य राज्य का अनुभव होने सम्बन्धी विशेष अनुमति याचिका 1422/2022 सत्यदेव बागौर बनाम राजस्थान राज्य को खारिज कर दिया है। साथ ही आशा कार्यकर्ता का कार्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समान नहीं है। अभ्यर्थिया का अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भी नहीं किया गया। अतः अभ्यर्थिया को बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 42.208 प्रतिशत बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया कुल प्राप्तांक 54.140 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
628	SURGYAN DEVI	HWN104572	अभ्यर्थियां ने परिवेदना प्रस्तुत कर आशा सहयोगिनी के पद का अनुभव प्रमाण पत्र के बोनस अंक जोडकर सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी षरा जारी नहीं है। जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अभ्यर्थिया ने ए.एन.,एम प्रशिक्षण मई, 2023 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया ने आशा सहयोगिनी का कार्य ही सम्पादित किया है जो ए.एन.एम. के कार्य के समरूप नहीं है। अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 40.375 बनते है जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 50.075 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				नहीं है।	
629	KAMLA DEVI GURJAR	HWN128944	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर आशा सहयोगिनी के पद पर जारी अनुभव प्रमाण संलग्न कर अनुभव का लाभ प्रदान करते हुये दस्तावेज सत्यापन कर अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित किये जोन बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आवेदन एमबीसी सीएल वर्ग में किया गया है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये डाटा के अनुसार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 50.330 बनते है जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची में अनारक्षित वर्ग में आमंत्रित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 65.830 से कम होने के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किया गया। अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी पद का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। अभ्यर्थिया ने ए.एन.,एम प्रशिक्षण वर्ष 2023 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया आशा सहयोगिनी ही रही है अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय आधारित सोशल वर्कर है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
630	BHAGWANI KASWAN	HWN126196	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 69.880 होने का उल्लेख करते हुए आशा सहयोगिनी के पद के अनुभव का लाभ देते हुए ईडब्ल्यूएस श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहायोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो निर्धारित प्रपत्र में नहीं है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 39.883 उनके जातिवर्ग ओबीसी–एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता था। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
631	BHANWARI CHOUDHARY	HWN130091	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया का अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थिया से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थिया द्वारा अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक मानदेय आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 40.800 उनके जातिवर्ग ओबीसी–एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है	
632	ARTI SHARDA KUMHAR	HWN109975	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदन करते समय तकनीकि समस्या के कारण अनुभव में लमे के स्थान पर छव हो गया था। अतः अभ्यर्थिया के आशा सहयोगिनी के कार्य के अनुभव सहित अनुभव का लाभ प्रदान करते हुये अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 56.330 प्रतिशत बनते है जिसमें 15 बोनस अंक सम्मिलित है। जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुरूप अनुभव का लाभ देय नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
633	BABLI MEENA	HWN121745	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल अनुभव प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रपत्र में नहीं) संलग्न किया गया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो निर्धारित प्रपत्र में नहीं है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। अभ्यर्थिया ने ए.एन.,एम प्रशिक्षण वर्ष 2022 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया आशा सहयोगिनी ही रही है अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 46.142 उनके जातिवर्ग अनुसूचित जनजाति में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 50.075 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
634	BALA	HWN124557	अभ्यर्थिया ने परिवेदना के संलग्नक में खेल प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर आशा के पद के अनुभव का लाभ प्रदान करते हुए अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो निर्धारित प्रपत्र में नहीं है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय आधारित सोशल वर्कर है। इसके अतिरिक्त कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.633 उनके जातिवर्ग ओबीसी–एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता था। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
635	CHANDAR KANTA	HWN124962	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत में एनआरएचएम योजना के अन्तर्गत टीबीएचवी पद के बोनस अंकों की सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थिया के बोनस अंकों को जोडकर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान टीबीएचवी (टीबी हैल्थ विजीटर) पद का जारी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 49.658 उनके जातिवर्ग ओबीसी–एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
636	DURGESH BAGHELA	HWN119688	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया से कम प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थिया का अंतरिम चयन सूची में चयन किया गया है जबकि अभ्यर्थिया के एमबीसी जाति वर्ग में औसत प्राप्तांक प्रतिशत 62.370 होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में चयन नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थिया ने अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया केवल महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आशा सहयागिनी का प्रशस्ति पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर अभ्यर्थिया को अन्तरिम वरियता सूची में बोनस अंक प्रदान नहीं किये गये है। डी.बी. याचिका संख्या 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार व रिट याचिका संख्या 5346/2016 कविता पंवार बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने अनुभव प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है जबकि अभ्यर्थिया द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में प्रशस्ति पत्र संलग्न किया है। आशा सहयोगिनी के का कार्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य के समान नहीं होने से आशा सहयोगिनी के कार्य का बोनस देय नहीं है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 42.733 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिगर्व एमबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अन्तिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 52.800 प्रतिशत से कम होने के कारण अन्तरिम वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
637	GAYATRI KUMHAR	HWN100833	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के 71.750 प्रतिशत अंक होने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर परिवेदना पर सहानुभुति पूर्वक विचार कर सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 41.745 उनके जातिवर्ग ओबीसी–एनसीएल में चयनित अंतिम	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
638	HANSA SHARMA	HWN127975	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर आशा सहयोगिनी के पद के अनुभव का लाभ प्रदान करते हुए बोनस अंकों को जोडकर ईडब्ल्यूएस वर्ग की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अभ्यर्थिया ने ए.एन.,एम प्रशिक्षण वर्ष 2023 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया ने आशा सहयोगिनी का कार्य ही सम्पादित किया है जो ए.एन.एम. के कार्य के समरूप नहीं है। अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 46.908 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ईडब्ल्यूएस में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 52.925 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
639	HEMLATA SHARMA	HWN121367	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के औसत प्राप्तांक प्रतिशत कटऑफ से अधिक होने तथा अन्य अभ्यर्थिया मंजू सेन (आई0डी0 130069) का नाम विभिन्न कारणों से रोके गये अभ्यर्थियों की सूची में क्रमांक 2051 होने का उल्लेख करते हुए स्वंय का नाम अंतरिम वरियता सूची में सम्मिलित किये जाने का निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अभ्यर्थिया ने ए.एन.,एम प्रशिक्षण वर्ष 2023 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया आशा सहयोगिनी ही रही है अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 43.425 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 52.925 से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना में उल्लेखित आईडी संख्या	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				HWN130069 पर अंकित अभ्यर्थिया को सहवन से बोनस अंक प्रदान किये जा चुके है जिसे आगामी चयन प्रक्रिया में शून्य कर दिया जावेगा।	
640	PINKY SHARMA	HWN124824	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि दस्तावेज सत्यापन के दोरान अनुभव प्रमाण पत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी में आवेदन किया है। प्रार्थी के 74.050 प्रतिशत कुल अंक है इसलिये प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आशा सहयोगिनी का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जबकि नियमानुसार 23.05.2022 की अधिसूचना व राज्य सरकार के ओदश दिनांक 25.04.23 तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार समरूप कार्य के आधार पर ही बोनस अंकों का लाभ दिये जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अभ्यर्थिया का आशा सहयोगिनी के कार्य का अनुभव महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समरूप नहीं होने के कारण अनुभव का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के आदेश दिये हैं जो समान कार्य के आधार पर बोनस देने से संबंधित है। अभ्यर्थिया ने ए.एन.,एम प्रशिक्षण वर्ष 2023 में उत्तीर्ण किया है। इससे पूर्व का अनुभव बिना प्रशिक्षण के ए.एन.एम. का नहीं हो सकता एवं प्रशिक्षण उपरान्त भी अभ्यर्थिया ने आशा सहयोगिनी का कार्य ही सम्पादित किया है जो ए.एन.एम. के कार्य के समरूप नहीं है। अतः इन्हे ए.एन.एम. के समरूप कार्य हेतु दिया जाने वाला बोनस देय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.4.23 के अनुसार अनुभव आधारित बोनस अंकों लाभ केवल संविदा कार्मिकों को ही देय है जबकि आशा सहयोगिनी एक मानदेय (प्रोत्साहन राशि) आधारित सोशल वर्कर है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.050 बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 52.925 से कम होने के कारण अभ्यर्थिया का अंतरिम वरीयता सूची में चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
641	ASHA VISHNOI	HWN113949	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर विशेष योग्यजन श्रेणी में वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा दिव्यांग श्रेणी में आवेदन नहीं किया गया । अतः इनका मेडिकल चैकअप नहीं करवाया गया। तथापि अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ संलग्न दस्तावेज अनुसार One Arm (OA) कैटेगरी की दिव्यांगता होने से इस भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थी नहीं है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
642	POONAM KANWAR	HWN102671	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड परीक्षण दिनांक 14.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.एल. (बोथ लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

				हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	
643	TRIVENI CHOUDHARY	HWN104784	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग की विकलांगता श्रेणी की अन्तरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता ओ.ए.एल. (वन आर्म एंड वन लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
644	MONIKA SHARMA	HWN110217	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ईडब्ल्यूएस श्रेणी की मेरिट 40 प्रतिशत से स्वयं के प्राप्तांक 48.09 प्रतिशत ज्यादा बताते हुये अंतिम सूची में नाम शामिल करने के संबंध में निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड परीक्षण दिनांक 14.9.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.एल. (बोथ लेग) की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
645	SANITA	HWN112069	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं कर केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 16.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.एल. (बोथ लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims)	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
646	VAVITA	HWN116835	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी गैर अनुसूचित क्षेत्र की विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के कुल प्रतिशत अंक 50.900 होने के बावजूद भी अंतरिम वरीयता सूची में नाम शामिल नहीं कर प्रार्थीया से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रार्थया को अंतिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.एल. (बोथ लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
647	JASWANT KAUR	HWN122276	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थिया द्वारा केवल दस्तावेज एवं पीएच प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड परीक्षण दिनांक 13.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.एल. (बोथ लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
648	ANADU	HWN122821	दिव्यांग श्रेणी में अतंरिम वरियता सूची में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 20.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.एल. (बोथ लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing)	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfish), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
649	SUNITA	HWN123844	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में गलती से जातिगत श्रेणी ओबीसी एनसीएल के स्थान पर सामान्य श्रेणी कर दी गई है तथा Details of registration with nursing council ds Coulmn wheather worked on contract on similar post/work, during dated 22.03.2020 जव 13.02.2022 में yes के स्थान पर no अंकित कर दिया था, जिसे yes किया जाकर, जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में परिवेतित कर ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में विकलांगता श्रेणी में कोरोनाकाल अवधी में कार्यरत अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता ओ.ए.एल. (वन आर्म एंड वन लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
650	SUMAN KUMARI MEENA	HWN125370	अभ्यर्थियां द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड परीक्षण दिनांक 18. 9.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.ए. (बोथ आर्म) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

651	PRABHA KUMARI	HWN129217	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 20.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.एल. (बोथ लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
652	AARTI MEENA	HWT111665	प्रार्थीया के कुल प्राप्तांक 40.04 होने के बावजूद वरियता सूची में नाम सम्मिलित नहीं होने तथा कम प्राप्तांक यथा सूची क्रमांक 314, 315, 316 एवं 317 पर अंकित अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। अतः दस्तावेजो का पुनः अवलोकन कर अंतरिम वरियता सूची में शामिल किया जावें।	अभ्यर्थिया ने टी.एस.पी. व नॉन टी.एस.पी. दोनों श्रेणियों में आवेदन किया था किन्तु परिवेदना सिर्फ टी.एस.पी. आई डी से दी है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट क्रमांक 1555 एवं 971 दिनांक 20.9.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.एल. (बोथ लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfish), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
653	ANITA VERMA	HWN120893	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर विशेष योग्यजन श्रेणी में अनुसूचित जाति वर्ग की वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 20.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.एल. (बोथ लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfish), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
654	GUDDI KUMARI SAINI	HWN108567	अभ्यर्थिया ने ओबीसी–एनसीएल वर्ग में पीएच श्रेणी से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के औसत प्राप्ताक 41.310 प्रतिशत एवं पीएच श्रेणी की कटऑफ 37 प्रतिशत बताते हुए स्वयं के प्राप्तांक कटऑफ प्रतिशत से अधिक होने बावजूद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड परीक्षण दिनांक 13.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता 50 प्रतिशत ओ.ए.एल. (वन आर्म एंड वन लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2- D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3- OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfish), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
655	HEENA KUMARI	HWN128970	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर सामान्य वर्ग में दिव्यांग केटैगिरी में स्वयं के कुल 59.760 प्रतिशत अंक होने एवं अन्य अभ्यर्थी जिनकी आई डी कमांक HWN127217 के कुल अंक 59.653 प्रतिशत अंक ही होने के पश्चात भी चयन होने का उल्लेख कर स्वयं के कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत निवेदन किया है।	विज्ञप्ति की शर्तानुसार विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 04.10.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता ओ.ए.एल.(वन लेग एंड वन आर्म) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
656	HEMANSHU BHATIWAL	HWN118438	अभ्यर्थिया ने स्वयं के कुल प्राप्तांक 62.280 प्रतिशत बताते हुए महिला पीएच श्रेणी से आवेदन किया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम दिव्यांग सूची में 52 नम्बर पर बताया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	विज्ञप्ति की शर्तानुसार विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड परीक्षण दिनांक 13.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.एल.ए. (बोथ लेग आर्म्स) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision)	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
657	INDRAVATI	HWN101876	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय का नाम विशेष योग्यजन . ओबीसी–एनसीएल श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड परीक्षण दिनांक 13.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता ओ.ए.एल (वन आर्म एंड लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
658	JYANI	HWN115754	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वंय के औसत प्राप्तांक प्रतिशत 45.78 विशेष योग्यजन ओबीसी एनसीएल वर्ग की कटऑफ 37.108 से अधिक होने के कारण विशेष योग्यजन ओबीसी एनसीएल वर्ग की अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	विज्ञप्ति की शर्तानुसार विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड परीक्षण दिनांक 13.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता ओ.ए. (वन आर्म) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

659	KANTA KUMARI	HWN111049	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया के शारीरिक असक्षमता (दांये पैर) बाबत मेडीकल बोर्ड का गठन करने एवं पुनः चिकित्सकीय जांच करने का आदेश करने एवं अभ्यर्थिया कों ओबीसी–एनसीएल विशेष योग्यजन श्रेणी में योग्य होते हुए वंचित किये जाने से रोकने एवं श्रेणी में योग्यतानुसार अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड परीक्षण दिनांक 13.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.एल. (बोथ लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
660	MAHIMA	HWN105582	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर ओबीसी एनसीएल पीएच श्रेणी की मेरिट लगभग 37.108 प्रतिशत से ज्यादा 41.750 प्रतिशत होने का उल्लेख करते हुये अंतिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने टी.एस.पी. व नॉन टी.एस.पी. दोनो श्रेणियों में आवेदन किया था किन्तु परिवेदना सिर्फ टी.एस.पी. आई डी से दी है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 20.9.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.एल. (बोथ लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfish), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
661	MAINKA KUMARI PRAJAPAT	HWN116040	अभ्यर्थिया ने परवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया का विकलांगता श्रेणी में औसत प्राप्तांक प्रतिशत 59.98 प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन अंतरिम चयन सूची में हो गया है जबकि अभ्यर्थिया का चयन अंतरिम चयन सूची में नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थिया ने स्वंय का चयन विकलांगता श्रेणी में अंतरिम चयन सूची में करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने टी.एस.पी. व नॉन टी.एस.पी. दोनो श्रेणियों में आवेदन किया था किन्तु परिवेदना सिर्फ टी.एस.पी. आई डी से दी है। मेडिकल बोर्ड परीक्षण दिनांक 15.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.एल. (बोथ लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfish), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness)	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
662	MAMTA MEENA	HWN115467	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 40.090 प्रतिशत बताते हुए अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में पीएच श्रेणी से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थियां ने आईडी संख्या 104809, 110027 एवं 115779 के प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित होना बताया है जबकि उनके प्राप्तांक प्रतिशत अभ्यर्थियां से कम है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड परीक्षण दिनांक 20.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता ओ.ए.एल. (वन आर्म एंड वन लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
663	MANISHA KUMARI YADAV	HWN125135	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया के विशेष योग्यजन अनुसूचित जाति वर्ग में औसत प्राप्तांक प्रतिशत 43.232 होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि इससे कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का नाम अंतरिम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः अभ्यर्थिया द्वारा अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 14.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.एल. (बोथ लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
664	MANJU KUMARI MEENA	HWN124532	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 56.030 प्रतिशत बताते हुए अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग में पीएच श्रेणी से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 14.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.एल. (बोथ लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing)	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
665	MANOJ KUMARI	HWN119261	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 46.32 प्रतिशत बताते हुए ओबीसी–एनसीएल महिला वर्ग में पीएच श्रेणी से आवेदन क़िया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 14.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.एल. (बोथ लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
666	MEENA KUMARI	HWN112580	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया का ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग में विकलांगता श्रेणी में औसत प्राप्तांक प्रतिशत 47.430 प्रतिशत विकलांगता श्रेणी के अन्तिम अभ्यर्थी के प्रतिशत से अधिक होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं है। अतः अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 14.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.एल. (बोथ लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
667	MIKA	HWN115468	अभ्यार्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का नवीनतम ओबीसी जाति प्रमाण पत्र स्वीकार करने के लिये निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 14.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.एल. (बोथ लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है–	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
668	MOHSINA BI	HWT119529	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनूसचित क्षेत्र की अंतरिम चयन सूची में विकलांगता श्रेणी में अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड परीक्षण दिनांक 16.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.एल.ए. (बोथ लेग्स आर्मस) की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
669	MONA KUMARI	HWN124057	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अंतरिम चयन सूची में ओबीसी एनसीएल जनजाति वर्ग की विकलांगता श्रेणी में अन्य अभ्यर्थी जिनकी प्रतिशत 37.17 है का नाम सम्मिलित है जबकि अभ्यर्थिया का प्रशित 58.17 होने के उपरांत भी नाम सम्मिलित नहीं है। अभ्यर्थिया ने अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 14.9.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.ए. (बोथ आर्म) की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

670	MONIKA KUMARI	HWN115904	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अनूसचित जनजाति वर्ग की विकलांगता श्रेणी की अंतिम अभ्यर्थी की प्रतिशत 39.00 से अधिक 43.420 प्रतिशत से अधिक होने के कारण अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 4.10.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता ओ.ए.एल. (वन आर्म एंड वन लेग) की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
671	PARMA DEVI VISHNOI	HWN122884	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 69.810 प्रतिशत बताते हुए ओबीसी–एनसीएल महिला वर्ग में पीएच श्रेणी से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड परीक्षण दिनांक 14. 09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.एल. (बोथ लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
672	POOJA GWARIYA	HWN105121	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि मैं 70 प्रतिशत विकलांग हुं तथा मेरे 44. 380 प्रतिशत कुल अंक है इसलिये प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने की कृपा करें।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड परीक्षण दिनांक 14. 09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता ओ.ए. (वन आर्म) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims)	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
673	POOJA KUMARI	HWN116407	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि मैंने शीफू में फार्म भरा था जिसमें मैंने विकलांगता प्रमाण पत्र ऑफलाईन बना हुआ लगा दिया था जिससे फाईनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। अब मैने नया विकलांगता प्रमाण पत्र बना लिया है जिसको मैने अपलोड करवा दिया है मेरा फार्म स्वीकार करने की कृपा करें।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड परीक्षण दिनांक 14.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता ओ.ए.एल. (वन आर्म एंड वन लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
674	POONAM SINDHI	HWN103235	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को सामान्य श्रेणी की विशेष योग्यजन संवर्ग में कटऑफ 38.467 प्रतिशत से ज्यादा 41.090 प्रतिशत अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर अन्तरिम सूची में नाम सम्मिलित करवाने हेतु निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 20.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.एल. (बोथ लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
675	prem lata tak	HWN124695	अभ्यर्थियां ने परिवेदना प्रस्तुत कर यह उल्लेख किया है कि मेरा गांव टीएसपी क्षेत्र में आता है लेकिन भुलवश मैने टीएसपी से आवेदन नहीं किया और में दिव्यांग श्रेणी से आती हूं और दिव्यांग श्रेणी में 80 प्रतिशत दिव्यांग हूं अतः मेरा	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 20.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता ओ.ए..एल. (वन आर्म एंड वन लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है–	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			टीएसपी क्षेत्र से आवेदन स्वीकार कर की गई कार्यवाही से अवगत करवाने की कृपा करें।	1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
676	PUNJI MAIDA	HWT115552	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल विकलांगता प्रमाण पत्र, अंकतालिकाएं एवं अन्य दस्तावेज संलग्न किये गये है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 20.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.एल.ए. (बोथ लेग्स आर्म्स) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
677	RABIYA BANU MANSURI	HWN126743	अभ्यर्थियां द्वारा ओबीसी एनसीएल जाति वर्ग के नये प्रमाण पत्र संलग्न कर ओबीसी एनसीएल विशेष योग्यजन श्रेणी में स्वयं के कुल प्राप्तांक 70.350 प्रतिशत होना बताते हुये प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 20.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.एल.ए. (बोथ लेग्स आर्म्स) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
678	REKHA SWAMI	HWN116564	अभ्यर्थियां ने परिवेदना प्रस्तुत कर 15 प्रतिशत बोनस अंकों सहित स्वयं के 58.520 प्रतिशत अंक बताकर जयपुरिया अस्पताल में गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष दिव्यांगता परिक्षण करवाये जाने का उल्लेख करते हुये ओबीसी एनसीएल विशेष योग्यजन श्रेणी में सम्मिलित करने बाबत निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 16.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता ओ.ए.एल. (वन आर्म एंड वन लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
679	Rinku sahu	HWN129929	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर दिव्यांग कैटगरी ओबीसी एनसीएल की 34.108 प्रतिशत से ज्यादा 42.43 प्रतिशत अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 16.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता ओ.ए.एल. (वन आर्म एंड वन लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
680	SARITA MEENA	HWN122031	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के कुल प्राप्तांक 50.409 से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन करने का उल्लेख कर अन्तरिम चयन सूची में सम्मिलित करने का निवेदन किया है। साथ ही Disability Certificate की प्रति भी संलग्न की है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता ओ.ए. (वन आर्म) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				(Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
681	SAROJ BHAKAR	HWN129893	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं को दिव्यांग श्रेणी का पुनः मेडिकल करवाकर सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड परीक्षण दिनांक 15. 9.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.एल. (बोथ लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
682	SHARDA	HWN118576	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को विशेष योग्यजन श्रेणी में कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने हेतु निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड परीक्षण दिनांक 15. 9.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता ओ.ए. (वन आर्म) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
683	SHIKHA YADAV	HWN118857	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर कोविड अवधि में कार्य करने के कारण 15 बोनस अंक देने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर अंतिम वरीयता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 18.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.एल.ए. (बोर्थ लेग्स आर्मस) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है–	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
684	SUMAN RANI	HWN101901	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर प्रोविजनल सूची के क्रमशः क्रम संख्या 39,40,41,42,43,44,45 एवं 46 का चयन प्रोविजनल सूची में होने एवं स्वयं के कुल प्रतिशत 47.330 प्रतिशत होने के बावजूद चयन सूची में नाम सम्मिलित नहीं होने पर नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड परीक्षण दिनांक 18.9.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता ओ.ए. (वन आर्म) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
685	SUMAN SAINI	HWN123532	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 10वीं कक्षा में 46.33 प्रतिशत, डिप्लोमा में 75.750 प्रतिशत अंक प्राप्त है एवं सीएचए का 174 दिवस का अनुभव एवं ओबीसी कैटेगरी के दिव्यांग कैटेगरी की महिला वर्ग से संबंधित आवेदित होने का उल्लेख किया है मेरिट सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 18.09.2023 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता ओ.ए.एल. (वन आर्म एंड वन लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness) 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

686	VIDAMEE	HWN120543	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर 10वीं में 58.83 प्रतिशत व प्रशिक्षण एएनएम में 79.86 प्रतिशत है इस प्रकार कुल औसत प्रशिक्षण 48.54 प्रतिशत है जबकि ओबीसी एनसीएल विकलांग श्रेणी में महिला अभ्यर्थी निर्मला लोढा के कुल 37.108 प्रतिशत का चयन हुआ है जबकि प्रार्थी के 48.54 प्रतिशत बनने के बाद भी कम प्रतिशत वाली कई अभ्यर्थियों का चयन होने का उल्लेख कर स्वयं को प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	विशेष योग्यजन श्रेणी में आवेदित अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जॉच उपरान्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता बी.एल. (बोथ लेग) श्रेणी की है जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद केवल निम्नांकित दिव्यागताओं हेतु उपयुक्त माना गया है– 1- LV (Low Vision) 2 D (Deaf), HH (Hard of Hearing) 3 OL (One Leg), CP (Cerebral Palcy), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victims) 4- SLD (Specific Learning Disability), MI (Mental Illness). 5- MD Involving (a) to (d) above इस प्रकार आवेदित पद अभ्यर्थी की दिव्यांगता हेतु उपयुक्त नहीं होने से अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु आवेदन का पात्र नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
687	PRIYANKA DHANKA	HWN122141	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है।	अभ्यर्थिया द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 50.075 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 50.075 प्रतिशत के बराबर है किन्तु अभ्यर्थिया जन्मदिनांक 05.07.2002 है एवं अंतिम चयनित अभ्यर्थिया की जन्म दिनांक 19.05.1998 है। अतः नियमानुसर अधिक आयु वाली अभ्यर्थिया का चयन किया गया है। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
688	SUDESH	HWN119221	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	अभ्यर्थिया ने प्रो गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से सम्बद्ध संस्था का खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरालिम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संसथा नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना 21.11.2019 के अनुसार प्रस्तुत किया गया खेल प्रमाणपत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण हेतु मान्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
689	NIDHI KUMARI	HWN119764	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल दस्तावेज संलग्न है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 58.833 प्रतिशत बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थियो के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
690	SUMITRA DHAKA	HWN120432	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया ने खेल कोटे से ओबीसी एनसीएल श्रेणी में आवेदन किया था। अंतरिम चयन सूची में ऐसे अभ्यर्थी जिनके कुल अंक अभ्यर्थिया से कम है तथा श्रेणी भी प्रार्थी के समान है परन्तु अभ्यर्थिया का नाम सूची में नहीं है जबकि प्रार्थीया के कुल अंक अधिक है। अन्य अभ्यर्थी की आई0डी0 निम्न है:– 1. 124142 2. 128928 3. 126206 4. 102745	अभ्यर्थिया ने अमेच्योर बेसबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया का खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरालिम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संसथा नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना 21.11.2019 के अनुसार प्रस्तुत किया गया खेल प्रमाणपत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण हेतु मान्य नहीं है। परिवेदना पत्र में उल्लेखित आईडी क्रमांक का खेल प्रमाण के सत्यापन के अध्यधीन अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित करते हुये परिणाम रोका गया है। इसका तात्पये यह नहीं कि उक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। इनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरान्त खेल प्रमाण पत्र नियमानुसार नहीं पाये गये तो अंतिम चयन सूची में चयन नहीं किया जायेगा। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			5. 108321 अतः अभ्यर्थिया ने खेल प्रमाण पत्र के आधार पर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।		
691	SANGEETA DHAKA	HWN120463	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया ने खेल कोटे से आवेदन किया था। अंतरिम चयन सूची में ऐसे अभ्यर्थी जिनके कुल अंक अभ्यर्थिया से कम है तथा श्रेणी भी प्रार्थी के समान है परन्तु अभ्यर्थिया का नाम सूची मं नहीं है जबकि प्रार्थीया के कुल अंक अधिक है। अन्य अभ्यर्थी की आई0डी0 निम्न हैः— 1. 129970 2. 124142 3. 128928 4. 126206 5. 128209 6. 102745 7. 108321 8. 130288 अतः अभ्यर्थिया ने खेल प्रमाण पत्र के आधार पर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने अमेच्योर बेसबाल फडरेशन ऑफ इंडिया का खेल प्रमाणपत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यथिया के कुल प्राप्तांक 45.417 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
692	USHA LAMBA	HWN123051	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आवेदन के समय उत्कृष्ठ खिलाडी प्रमाण पत्र लगाया था वो प्रमाण पत्र गुम हो गया प्रार्थी के पास दो प्रमाण पत्र है एक 2015 दूसरा 2018 का आवेदन करते समय सितम्बर 2018 का प्रमाण पत्र लगाया था लेकिन नाम मिलने की वजह से प्रार्थी द्वारा दूसरा प्रमाण पत्र जो 2015 का है वो प्रस्तुत किया है इसलिये प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर मान्य करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की है।	अभ्यर्थिया द्वारा आनॅलाईन आवेदन में उत्कृष्ठ खिलाड़ी वर्ग के संबंध में कोई पमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा परिवेदना के साथ गोज रियू कराटे–डो स्पोर्टस फेडरेशन द्वारा आयोजित द्वितीय नेशनल गोजू रियू कराटे चैम्पियनशिप 2015 में भाग लेने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो इण्डियन ओलम्पिक एसोसिऐशन द्वारा सम्बद्ध नहीं होने के कारण उत्कृष्ठ खिलाड़ी वर्ग का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 45.850 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
693	POOJA SHARMA	HWN123774	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची संलग्न करी है जिसमें अभ्यर्थिया के प्राप्तांक प्रतिशत 48.050 अंकित किये गये है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 48.050 प्रतिशत बनते है जो कि ईडब्ल्यूएस जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 52.925 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
694	ASHA	HWN116988	अभ्यर्थिया ने परिवेदना के संलग्नक में खेल प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज संलग्न कर अंतरिम वरियता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवदन किया है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थिया को बोनस देय नहीं है तथा स्पोर्टस कैटेगरी का लाभ देय नहीं है। अतः अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 46.467 उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थियों के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
695	BHAGIRTHI	HWN115869	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर खेल प्रमाण पत्रों के सत्यापन पश्चात इनकी अंतरिम चयन सूची जारी करने हेतु निवेदन किया है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 43.700 प्रतिशत उनके जातिवर्ग ओबीसी–एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता था। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
696	BISHNA TULARAM BUDHA	HWN105561	अभ्यर्थिया द्वारा कोई भी परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी सूची में स्वयं के नाम का पृष्ठ अपलोड किया गया है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थिया को बोनस देय नहीं है तथा स्पोर्टस कैटेगरी का लाभ देय नहीं है। अतः अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 52.000 प्रतिशत उनके जातिवर्ग अनारक्षित में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 68.883 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
697	DURGA	HWN103465	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर खेल प्रमाण पत्र संलग्न कर खेल कोटे के आधार पर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन ही नहीं किया गया एवं परिवेदना के साथ संलग्न खेल प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र के आधार पर नियमानुसार उत्कृष्ठ खिलाड़ी वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 52.233 प्रतिशत बनते है जो कि अंतरिम चयन सूची में उनके जातिवर्ग अनुसूचित जनजाति वर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 54.140 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
698	MANISHA	HWN124623	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के 10वीं के अंकों को सही करने एवं स्पोटर्स कोटे का लाभ देने हेतु निवेदन किया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं से कम अंक प्राप्त अभ्यर्थियों का चयन प्रोविजनल सूची में होना बताया है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थिया को बोनस देय नहीं है तथा स्पोर्टस कैटेगरी का लाभ देय नहीं है। अतः अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 42.817 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी–एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
699	MUSKAN SONI	HWN108227	अभ्यर्थियां द्वारा नेशनल गेम्स (बास्केट बॉल) खेल प्रमाण पत्र संलग्न कर एवं स्वयं के कुल 46.830 प्रतिशत अंक होने का उल्लेख कर स्वयं का चयन का कारण स्पष्ट करने एवं नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46. 533 प्रतिशत बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थियो के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
700	PALU KUMARI	HWN130764	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 60.500 प्रतिशत बताते हुए ओबीसी–एनसीएल महिला वर्ग में उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग की	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 60. 500 प्रतिशत बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थियो के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			कटऑफ से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
701	PINKI	HWN110549	अभ्यर्थियां ने परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं का आवेदन अनुसूचित जाति वर्ग उत्कृष्ट खिलाडी वर्ग में बताते हुये स्वयं के प्राप्तांक 51.400 प्रतिशत उल्लेख करते हुये अंतरिम चयन सूची में चयन करने बाबत निवेदन किया है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 51.400 प्रतिशत बनते है जो कि अनुसूचित जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 54.140 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
702	RAJBALA	HWN119143	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अनुसूचित जाति वर्ग श्रेणी में आवेदन कर स्वयं के पास खेल कोटे में नेशनल प्रमाण पत्र होने के बावजूद उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी में चयन नहीं होने के संबंध में उल्लेख करते हुये अन्तिम चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा अमेच्योर रग्बी फुटबाल फेडरेशन ऑफ इंडिया का खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुरूप इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं हैं। अतः उत्कृष्ट खिलाडी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 52.908 प्रतिशत बनते है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 54.140 से कम होने के कारण चयन से वंचित रही है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
703	SEEMA	HWN117021	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर उत्कृष्ठ खिलाडी प्रमाण पत्र का उल्लेख करते हुये स्वयं की ओबीसी एनसीएल की प्रतिशत लगभग 44.190 से ज्यादा 44.680 प्रतिशत होने के बाद भी वरीयता सूची में नाम नहीं होने के कारण प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा संबंद्ध फेडरेशन द्वारा Nsfoi नामक खेल प्रतियोगिता में भाग लेना आवेदन पत्र में दर्शाया है किन्तु ऑनलाईन आवेदन में खेल आयोजक फेडरेशन का नाम NA बताया है व खेल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है। अतः उपरोक्त आधार पर उत्कृष्ट खिलाडी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 44.683 प्रतिशत बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
704	SHANTI	HWN117686	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तत कर INDIA OLYMPIC ASSOCIATION से मान्यता प्राप्त ICE HOCKEY ASSOCIATION OF INDIA के WINTER GAME कि 9 IHAI NATIONAL TOURNAMENT का प्रमाण पत्र जो विभाग द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति के अधीन होने का उल्लेख करते हुये प्रमाण पत्र की उचित जांच करवाकर चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आइस हॉकी फेडरेशन द्वारा 9वी IHAI ICE Hockey Championship में भाग लेना आवेदन पत्र में दर्शाया है किन्तु खेल आयोजक आइस हॉकी एसोसिएशन नियमानुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः उपरोक्त आधार पर उत्कृष्ट खिलाडी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 45.558 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
705	SUAA	HWN108051	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं के दस्तावेज संलग्न कर पुनः जांच करने का उल्लेख कर अन्तिम चयन सूची में नाम सम्मिलित	अभ्यर्थिया ने ऑल इंडिया युवा गेम्स एंड स्पोर्ट्स ट्रस्ट इंडिया का खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरालिम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना 21.11.2019 के अनुसार प्रस्तुत किया गया खेल	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			करने हेतु निवेदन किया है।	प्रमाणपत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण हेतु मान्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
706	SUMAN	HWN120892	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर INDIAN OLYMPIC ASSOCIATION से मान्यता प्राप्त ICE HOCKEY ASSOCIATION OF INDIA के WINTER GAME कि 9 IHAI NATIONAL TOURNAMENT का माननीय प्रमाण पत्र जो विभाग द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति के अधीन होने का उल्लेख करते हुये प्रमाण पत्र की उचित जांच करवाकर चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा आइस हॉकी फेडरेशन द्वारा 9जी IHAI ICE Hockey Championship में भाग लेना आवेदन पत्र में दर्शाया है किन्तु खेल आयोजक आइस हॉकी एसोसिएशन नियमानुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः उपरोक्त आधार पर उत्कृष्ट खिलाडी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 42.490 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 68.883 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
707	SUMAN KUMARI	HWN126612	अभ्यर्थियां द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर स्वयं को youth games federation of india कि तरफ से state game एवं national games में प्रतिभागी होने एवं स्वयं से कम प्रतिशत वाले खिलाडियों का चयन होने का उल्लेख कर प्रोविजनल सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने यूथ गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरालिम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना 21.11.2019 के अनुसार प्रस्तुत किया गया खेल प्रमाणपत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण हेतु मान्य नहीं है। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
708	SUSHILA	HWN118256	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर पुनः जांच कर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने इंडियन अमेच्योर स्पोर्टस फेडरेशन द्वारा आयोजित इंडिया स्पोर्टस फेस्टिवल एंड यूथ नेशनल गेम्स में भाग लिया है किन्तु यह इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन/ पैरालिम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना 21. 11.2019 के अनुसार प्रस्तुत किया गया खेल प्रमाणपत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी आरक्षण हेतु मान्य नहीं है। अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 47.650 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
709	JASHODA	HWN107019	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है। अभ्यर्थिया द्वारा केवल दस्तावेज संलग्न किये गये है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 51.975 बनते है जो उनके जातिवर्ग ओबीसी–एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरियता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
710	POOJA SINGH	HWN119200	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है केवल दस्तावेज संलग्न किये है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 51. 333 प्रतिशत बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

711	LALITA	HWN121242	अभ्यर्थिया द्वारा कोई परिवेदना प्रस्तुत नहीं की गई है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थिया को बोनस देय नहीं है तथा स्पोर्टस कैटेगरी का लाभ देय नहीं है। अतः अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44. 775 बनते है जो कि उनके जातिवर्ग ओबीसी–एनसीएल में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
712	ANITA	HWN114357	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर चयन सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु निवेदन किया है साथ ही खेल प्रमाण पत्र भी परिवेदना के साथ सलग्न कर प्रस्तुत किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा टाईकवोंडो फेडरेशन ऑव इंडिया द्वारा 7th National Senior Poomsea Teakwondo Championship 2015 में भाग लेना आवेदन पत्र में दर्शाया है किन्तु खेल आयोजक फेडरेशन नियमानुसार इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन से संबद्ध संस्था नहीं है। अतः उपरोक्त आधार पर उत्कृष्ट खिलाडी आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीलएल वर्ग में आवेदन किया गया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 45.417 प्रतिशत बनते है जो कि उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
713	MEERA POONIYA	HWN129551	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर खेल प्रमाण पत्रों के आधार पर खेल कोटे का लाभ दिया जाकर अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान निजी संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 45.533 प्रतिशत बनते हैं जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थियो के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
714	NIRMA BISHNOI	HWN121625	अभ्यर्थिया ने परिवेदना में खेल प्रमाण की प्रति प्रस्तुत कर स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया ने सेपक टैकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बद्ध संस्था नहीं है। अतः अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अतः अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 47.650 उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया जा सकता है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है अतः अस्वीकार कर खारिज की जाती है।
715	RAJANTI KUMARI	HWN122622	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत स्वयं के द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र की जॉच कर उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में चयन करने हेतु निवेदन किया है तथा निम्नलिखित आईडी क्रमांक की उनसे कम प्रतिशत होने के बावजूद चयन कर लिया गया है:– HWN109330, HWN129970,	अभ्यर्थिया द्वारा महाराजा सूरजमल बृज यूनिवर्सिटी, भरतपुर द्वारा हॉकी खेल में जारी खेल प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.11.2019 के अनुसार अभ्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत खेल प्रमाण पत्र का लाभ नियमानुसार नहीं दिया जा सकता है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा दिनांक 10.08.2022 से 18.05.2023 तक कुल 282 दिवस का एएनएम पद का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिसके आधार पर अभ्यर्थिया	परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

			HWN114126, HWN126206	को बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार बोनस अंकों के अभाव में अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 46.925 प्रतिशत बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थियो के प्राप्तांक 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में चयन नहीं किया गया। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हे अंतरिम वरीयता सूची में उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में सम्मिलित करने हुये परिणाम रोका गया था उनके खेल प्रमाण पत्रो का इण्डियन औलम्पिक एसोसिएशन से प्राप्त पत्रांक IOA/II.28/2023 दिनांक 05.03.2024 के अनुसार निर्धारित कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	
716	GIRIJA YOGI	HWN108404	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर बोनस अंकों का लाभ प्रदान करते हुए अंतरिम चयन सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रांक 1622 दिनांक 29.05.2023 संलग्न किया गया था जो कि निर्धारित प्रारूप में नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया। अब अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ निर्धारित प्रारूप में जारी अनुभव प्रमाण पत्रांक 1622 दिनांक 29.05.2023 संलग्न किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा समान प्रकरण में पारित निर्णयानुसार उक्त अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य किया जाकर अनुभव का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावानुसार अनुमोदित
717	LAXMI KUMARI KATARA	HWT120323	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर विधवा श्रेणी का लाभ लेने हेतु निवेदन किया है एवं स्वयं द्वारा बताया गया है कि पति के मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जावेगा।	अभ्यर्थिया के अनुसार उसके पति स्व0 श्री कांतिलाल की मृत्यु दिनांक 1.4.23 को हो गई। जिसके मृत्यु प्रमाण पत्र में पत्नी का नाम सुशीला डामोर लिखा है। जिस बाबत ग्राम पंचायत सुराता डूंगरपुर का स्पष्टीकरण संलग्न कर प्रस्तुत किया है कि अभ्यर्थिया का विवाह सामाजिक रीति रिवाज से 3.10.2020 को मृतक स्व0 कांतिलाल के साथ हुआ। अतः वर्तमान में लक्ष्मी कुमारी कटारा ही स्व0 श्री कांतिलाल की पत्नी है। परिवेदना समिति को निर्णय लेना है कि उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र को ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर मान्य किया जाये अथवा नहीं?	परिवेदना समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अभ्यर्थिया का नाम पति के मृत्यु प्रमाण पत्र में पत्नी के रूप में दर्ज नहीं होने के कारण परिवेदना स्वीकार नहीं की जा सकती।
718	lata kumari balai	HWT102754	अभ्यर्थिया ने परिवेदना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अभ्यर्थिया के टीएसपी एससी परित्यक्ता श्रेणी में औसत प्राप्तांक प्रतिशत 44.50 होने के उपरांत भी अंतरिम चयन सूची में चयन नहीं किया गया है जबकि अभ्यर्थिया से कम प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का चयन अंतरिम चयन सूची में किया गया है। अतः अभ्यर्थिया ने स्वंय का चयन टीएसपी एससी परित्यक्ता श्रेणी की अंतरिम चयन सूची में करने हेतु निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग से किया गया है। किन्तु अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान डिक्री प्रस्तुत नहीं की गई है। जिसके अभाव में अभ्यर्थिया को विच्छिन्न विवाह वर्ग के आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। श्रेणी परिवर्तन हेतु दायर रिट याचिका संख्या 13619/2019 जयेश कुमार बनाम सरकार एवं रिट याचिका संख्या 13409/2019 निरमा बनाम सरकार व डीबी याचिका संख्या 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 44.500	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।

				प्रतिशत बनते है जो कि अनुसूचित जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 50.542 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है।	
719	MANJU RINWA	HWN127169	अभ्यर्थिया ने स्वयं के प्राप्तांक 74.730 प्रतिशत बताते हुए ओबीसी–एनसीएल परित्यक्ता महिला वर्ग से आवेदन किया है। अभ्यर्थियां ने स्वयं के जाति वर्ग की कटऑफ से अधिक प्राप्तांक प्रतिशत होने के बाद भी प्रोविजनल सूची में नाम नहीं होने से अवगत कराया है। अभ्यर्थिया ने स्वयं का नाम प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करवाने बाबत् निवेदन किया है।	अभ्यर्थिया द्वारा ओबीसी एनसीएल विच्छिन्न विवाह श्रेणी में आवेदन किया था किन्तु अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत डिक्री दिनांक 08.08.2023 की जारी की गई है जो ऑनलाईन आवेदन के समय जारी नहीं होने के कारण अभ्यर्थिया को विवाह विछिन्न श्रेणी में नहीं माना गया है। श्रेणी परिवर्तन हेतु दायर रिट याचिका संख्या 13619/2019 जयेश कुमार बनाम सरकार एवं रिट याचिका संख्या 13409/2019 निरमा बनाम सरकार व डीबी याचिका संख्या 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने एवं निजी संस्थान का होने के कारण बोनस अंकों का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। माननीय न्यायालय निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा अनुभव जारी नहीं होने के कारण डीबी याचिका संख्या 1660/2018 कविता पंवार बनाम सरकार को खारिज कर दिया है। इस प्रकार अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक 44.733 प्रतिशत बनते है जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
720	PAYAL REGAR	HWN128907	प्रार्थिया द्वारा परिवेदना प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि दस्तावेज सत्यापन के समय तलाक की डिक्री न लगाकर उस समय शपथ पत्र लगाया जिसमें मेरे वरिष्ठ न्यायालय में दावा पेश कर रखा था। अब मुझे न्यायालय से तलाक की डिक्री मिल गयी है जो की मे परिवेदना के साथ सलग्न कर प्रस्तत कर रही हूं अतः मुझे प्रोविजनल सूची में सम्मिलित करने की कृपा करें।	अभ्यर्थिया द्वारा परिवेदना के साथ पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2023 को जारी डिक्री प्रस्तुत की गई है जो कि आवेदन करने की तिथि के पश्चात् की है। विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार आवेदन करने की तिथि के पश्चात जारी कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जा सकता है। श्रेणी परिवर्तन हेतु दायर रिट याचिका संख्या 13619/2019 जयेश कुमार बनाम सरकार एवं रिट याचिका संख्या 13409/2019 निरमा बनाम सरकार व डीबी याचिका संख्या सेंख्या 7840/2019 सोनल त्यागी बनाम सरकार को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। परिवेदना स्वीकार योग्य नहीं है।	परिवेदना स्वीकार्य योग्य नहीं है। अतः खारिज की जाकर निस्तारित की जाती है।
721	PRATIMA KUMARI YADAV	HWN121652	कटऑफ से ज्यादा अंक होने पर भी सूची में नाम नहीं होने पर नाम सम्मिलित करवाने बाबत।	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन ओबीसी एनसीएल विच्छिन्न विवाह वर्ग से किया गया है। किन्तु अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान डिक्री प्रस्तुत नहीं की गई है। परिवेदना के साथ विवाह विच्छेद हेतु शपथ पत्र पर इकरारनामा प्रस्तुत किया है जो स्वीकार योग्य नहीं है। जिसके अभाव में अभ्यर्थिया को विच्छिन्न विवाह वर्ग के आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया गया । अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 50.551	कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

				प्रतिशत बनते ह जो कि ओबीसी एनसीएल जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थिया के कुल प्राप्तांक प्रतिशत 63.625 प्रतिशत से कम होने के कारण अंतरिम वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।	

संयुक्त शासन सचिव
चि.एवं स्वा. (ग्रुप–3) विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर

रजिस्ट्रार,
राजस्थान पैरा मेडिकल
कौंसिल, जयपुर

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
संस्थान, जयपुर

रजिस्ट्रार,
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल,
जयपुर

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
मुख्यालय

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
मुख्यालय

रजिस्ट्रार,
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान,
जयपुर

उप विधि परामर्शी,
चि. एवं स्वा. विभाग, शासन
सचिवालय

उप विधि परामर्शी,
मुख्यालय